Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का आठवां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक १० अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रात: ८. ०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विकास, शिक्षा, करारोपण, वन, समाज कल्याण, पंचायत, यातायात विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री माधोलाल खानपुरिया।

ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा कोटा की इमारत म रहने वाले कर्मचारियों से किराये की वसूली

११८. **श्री माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा कोटा के अन्तर्गत इमारतों में निम्न लिखित कर्मचारी निवास करते हैं।

(क) श्री विष्णुशंकर माथुर, रिसर्च असिस्टेन्ट रेनी बाग, कोटा (ख) श्री भैरूमल ड्राईवर ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा (ग) श्री नयनूराम गूजर (घ) श्री जयचन्द (ङ) श्री लूणसिंह ड्राईवर (च) श्री बुधराम चपरासी (छ) श्री अम्बालाल दारोगा।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक किस किस तारीख से इन इमारतों में रह रहा है?

(३) उपरोक्त व्यक्तियों के सरकारी इमारतों में निवास करने की सूचना प्रिंसिपल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब कब किस किस नम्बर के पत्र द्वारा दी?

(श्री माधोलाल खानपुरिया)

(४) उपरोक्त व्यक्तियों से कितना कितना किराया किस ट्रेजरी में जमा कराया गया ?

(५) यदि नहीं तो क्यों ?

(६) मकान किराये की इस हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(७) सरकार ने उसके विरुद्ध क्या एक्शन लिया है ?

(८) यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ये कर्मचारी सेन्टर की इमारत में स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, श्री भैरूलाल व श्री लूणसिंह ड्राईवर श्री अम्बालाल रसोईया व श्री जयचन्द और नैनूराम मवेशी संभालने वाले अस्थायी मजदूर हैं जिनको अक्सर ड्यूटी के कारण सेन्टर में रहना पड़ता है। श्री बी. एस. माथुर प्रिंसिपल के साथ रहते थे।

(२) श्री बी० एस० माथुर २६.१०.६० से रह रहे हैं। दूसरों के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

(८) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा): पहला प्रश्न समझ में नहीं आया दुबारा समझा दीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये कर्मचारी सेन्टर की इमारत में स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। श्री भैरूलाल व श्री लूणसिंह ड्राईवर श्री अम्बालाल रसोइया व श्री जयचन्द और नैनूराम मवेशी सम्भालने वाले अस्थायी मजदूर हैं जिनको अक्सर ड्युटी के कारण सेन्टर में रहना पड़ता है। श्री बी० एस० माथुर प्रिन्सिपल के साथ रहते थे।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : क्या टेम्परेरी रूप से इनको रखा जा सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे वहां स्थायी रूप से नहीं रहते थे।

स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां—उदयपुर डिवीजन

११६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के कई क्षेत्रों में इस वर्ष स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई में नहीं की जाकर जून में शुरू की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No. 3

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां। यह सत्य है कि उदयपुर जिले की पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में इस वर्ष ग्रीष्मावकाश मई में न किया जाकर जून में प्रारम्भ किया गया क्योंकि जिला परिषद्, उदयपुर ने परिषद् की बैठक दिनांक १५ तथा १६ अप्रेल १९६३ में यह निर्णय लिया कि पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में ग्रीष्मावकाश के स्थान पर रबी तथा खरीफ फसल की बुवाई तथा कटाई के समय १५ दिन का अवकाश किया जाय। यह अनुमति दे दी गई जिसके अनुसार उदयपुर जिले की समस्त ग्रामीण प्राथमिक शालाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश २६. ६. ६४ से ७. ८. ६४ तथा शरद्कालीन अवकाश २२. १०. ६४ से ४. ११. ६४ तक इस वर्ष १९-६४ से मनाया जावेगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि इस प्रकार का अवकाश होने से जो विद्यार्थी पास होते हैं दो महीने बाहर पढ़ते हैं उनको समय पर पुस्तकें प्राप्त नहीं होती ?

श्री आचार्य : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि पांचवीं कक्षा में पढ़कर दूसरी मिडिल स्कूलों में प्रवेश के लिए जाते हैं उनको केवल आठ दिन की ही छुट्टियां मिलती हैं ?

श्री आचार्य : यह भी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद में यह निर्णय होता है माननीय सदस्य भी जिला परिषद् में होते हैं वहां पर यह प्रश्न उठाया जाय इसके लिए सरकार को बाध्य न किया जाय कि इस पर निर्णय ले।

श्री विजयसिंह झाला : पुस्तकें तक प्राप्त नहीं होतीं।

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद का निर्णय है वे ही बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२०

रजिस्ट्रेशन की रकम की बकाया, नीम-का-थाना

१२०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील नीम-का-थाना में रजिस्ट्रेशन (तावान) की कोई रकम इन्सपैक्टर्स-आफ-स्टाम्प्स अथवा रजिस्ट्रेशन ने बकाया निकाली है ?

(२) अगर हां, तो कितनी रकम कब बकाया निकाली ?

(३) क्या इसमें कोई रकम श्री किशन, मोहनलाल व गजानन्द मोदी, नीम का थाना के नाम भी बाकी निकली ?

(४) क्या इस रकम की वसूली एस० डी० ओ० नीम-का-थाना ने रोक दी ? यदि हां, तो किन प्रावधानों के तहत ?

(५) इस रकम की वसूली अब तक न होने के क्या कारण हैं ?

श्री उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी खास तौर से भाग पांच की। इस कारण इस प्रश्न को एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री रामकिशन : मैं माननीय उप-मंत्री महोदय की शालीनता पर मुग्ध हूं लेकिन तीन साल से यह सवाल चल रहा है। किसी न किसी रूप से टालते ही आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको पूर्णतया सन्तुष्ट करने के लिये एडजोर्नमेन्ट की प्रार्थना कर रहा हूं। ज्योंही जानकारी प्राप्त होगी सदन में वह दे दूंगा।

प्रश्न संख्या १२१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

गेम सेन्च्युरी में आए तालाबों में मछली पकड़ने के ठेके

१२२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गेम सेन्च्युरी में बसे हुए ग्रामों के किसानों को घास लकड़ी व चराई की क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

(२) सैन्च्युरी में आये हुए ऐसे तालाबों में जो वहां की ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किये हुए हैं, पंचायत को मछली पकड़वाने या मछली का ठेका देने की आजादी है या नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गागरोन द्वारा श्री गोवर्धनलाल वल्द फूंदीलाल श्री रामलाल वल्द नारायण व श्री रतन वल्द लालू आदि को नौलाब के तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत दी गई थी व इन लोगों पर गेम वार्डन द्वारा जुर्माना किया गया है व उनका चालान किया है ? यदि हां तो किस कानून से ?

उप-मंत्री वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : १ गेम सेन्च्युरी में बसे हुए ग्रामों के किसानों को घास, लकड़ी, व चराई की वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं, जो इन क्षेत्रों में गेम सेन्च्युरी बनने से पहले प्राप्त थीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। इन लोगों पर न तो जुर्माना ही किया गया न चालान ही पेश किया गया। जब ये लोग मछली पकड़ते हुए पकड़े गये तो उनके प्रार्थना पत्र पर मुआवजा लिया गया है। राजस्थान फोरेस्ट एक्ट की धारा ६८ के तहत रिजर्व फोरेस्ट में मछली पकड़ना जुर्म है। यह क्षेत्र रिजर्व फोरेस्ट है। वहां मछली पकड़ने वाले से मुआवजा लिया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह: जो तालाब गेम सेन्च्युरी में हैं और पंचायतों को ट्रान्सफर कर दिये गये

Page No. 5

(श्री जुझारसिंह)

हैं जिन तालाबों से सिंचाई भी होती है ऐसे तालाब ग्राम पंचायतों के पास आजाने के बाद उन तालाबों में कुछ व्यक्तियों को जिनको पंचायत ने ठेका दिया है मछली पकड़ने का उन ठेकेदारों से ठेके की एवज में रुपया वसूल किया है यह मानकर कि उनके अधिकार की चीज है। गेम सेन्चुरी वालों ने उनको चालान किया और उन पर जुर्माना किया जब कि उनको यह अधिकार नहीं था। इस बारे में क्या सरकार निर्णय लेगी कि इस प्रकार के प्रश्न फिर पैदा न हों।

गेम सेन्चुअरी है उनके बाहर लिखा हुआ है पशु पक्षी आदि मारना अपराध है वहां मछली का रेफरेन्स नहीं है बर्ड्स एनीमल्स के प्रीजरवेशन की बात है बिना बन्दूक चलाये मछली मार सकते हैं तो इस प्रकार का सवाल पैदा नहीं होना चाहिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सारे मामले की जांच करवा लेंगे और सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मछलियों के पकड़ने का सवाल है इसके लिये फिशरीज एक्ट बना हुआ है और उसके तहत मछलियां पकड़ने का अधिकार न ग्राम पंचायतों को है न म्यूनिसिपैलिटियों को है। इनमें से किसी को नहीं है। न ये ठेका दे सकते हैं चाहे फिर ये इर्रिगेशन परपजेज के लिये हों तालाब, तब भी उनमें से मछलियों का ठेका देने का अधिकार किसी को नहीं है और यह स्पष्ट भी कर दिया गया है एक सरकूलर निकाल कर गवर्नमेन्ट की तरफ से।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं पर क्या गेम सेंचुरी विभाग को भी नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। मैं तो इसको भी मानता हूं कि फोरेस्ट विभाग को भी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिये था। फिशरीज विभाग के नोटिस में लाना चाहिये था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जब पंचायतों ने ठेका दिया तो उनका तो कसूर नहीं था। उन्होंने तो ठेके के मन्जूर होने पर मछली पकड़ी। तो केस तो पंचायतों पर चलाना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : चालान उनका ठीक ही हुआ है। पंचायत समितियों को हमने सरकूलर भेज दिया है।

श्री जोधसिंह : पर चालान भी उनका क्यों किया गया, ग्राम पंचायतों का होना चाहिये था जिन्होंने कानून के खिलाफ उनको ठेका दिया अपना अधिकार समझ कर। वे व्यक्ति तो मछली पकड़ने में जस्टिफाइड हैं उनका चालान करना कहां तक उचित है? अगर फिशरीज डिपार्टमेन्ट एक्टिव है तो पंचायतों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेता?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्राम पंचायतों को चालान करने का सवाल नहीं है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनको तो हमने हिदायतें दे दी हैं पर इल्लीगल आर्डर की तामील करना लीगल नहीं हो जाता।

बाड़मेर में कालेज

१२३. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार बाडमेर में कालेज खोलने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो कब तक ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) सन् १९६५ में अथवा पंचवर्षीय योजना के अन्त तक।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति सांचोर द्वारा तकावी की रकम की वसूली

१२४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर द्वारा कृषि सिंचाई कुओं की तकावी की रकमें जो पिछले तीन चार साल में पंचायत समिति द्वारा काश्त कारों को दी गई थी वे पूरी रकमें सांचोर तहसील द्वारा कुर्कियों के जरिये वसूल की जा रही हैं ? अगर हां तो रकमें किश्त में वसूल करके पूरी रकमें वसूल करने के क्या क्या कारण हैं ?

(२) ऐसे कितने कृषि सिंचाई के कुओं की रकमें हैं जिनकी पूरी वसूली मय व्याज के की जा रही है जब कि कुए पूरे बन्धवाए जा चुके हैं और उनसे सिंचाई भी की जा रही है ?

(३) क्या यह सच है कि इतने अरसे बाद पूरी रकमें मय व्याज के कुर्की के जरिए वसूल करने की हालत में मजबूरी से कई काश्तकारों को अपने बन्धे हुए वेरे महाजनों एवं अन्य शख्सों के पास गिरवी रखने पड़े व रकमें पूरी अदा करनी पड़ीं ? अगर हां, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिये जिम्मेदार कौन है ? क्या सरकार की ऐसी कार्यवाहियां उपज ज्यादा बढ़ाने की नीति के लिये घातक सिद्ध नहीं होगी ? ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनको रकम वसूली की ही वजह से उनके बेरे गिरवी रखने पड़े हैं।

(४) क्या सरकार जनुईन केसों में तकावी की रकमें पूरी मय व्याज वसूल न कर किश्तों में वसूल करवाने के बारे में अब पुनः विचार करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कितने मामलों में कब तक कर दिया जावेगा ?

(५) बहुत अर्से बाद मय पैनल इन्टरेस्ट के पूरी तकावी की रकमें वसूल करने से जिन जिन काश्तकारों को अपने बन्धे हुए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बेरे गिरवी रखने पड़े उनको अब सरकार क्या राहत देगी ?

उप मन्त्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) जी नहीं । केवल उन्हीं काश्तकारों से एक मुश्त वसूली की जा रही है जिन्होंने ऋण का उपयोग शर्त के अनुसार नहीं किया है ।

(२) ऐसे किसी कुए के ऋण की रकम पूरी वसूल नहीं की जा रही है ।

(३) जी नहीं ।

(४) ऐसे ४४ मामले हैं जिनमें एक मुश्त वसूली की कार्यवाही होने के बाद कार्य पूरे कर लिये गये हैं । उनसे आसान किश्तों में वसूली की जा रही है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया ऐसा नहीं है । यहां मैं सरकार की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि सैकड़ों बेरों के लिये तीन तीन चार चार साल पहले तकावी दी थी । अब उनका अकाउन्ट उनके पास नहीं होने से एक मुश्त वसूली करने का हुक्म जारी किया गया है सरकार द्वारा । उनके खिलाफ कुर्कियां निकाली गई हैं और इससे मजबूर होकर काश्तकारों ने अपने बेरों को बोहरों के यहां गिरवी रखकर पैसा चुकाया है ।

यह एक पालिसी का मैटर है कि जहां इर्रिगेशन वैल के लिये लोन दिया गया हो किसान को, और उसने बना लिया हो, केवल हिसाब न होने से सबमिट न किया हो तो जिस तरह से ग्रान्ट इन एड रूल्स में लिबरली इन्टर प्रीटेशन किया जाता है, वैसे इस में भी किया जावे । विकास अधिकारी और ओवरसीयर को किश्तें कर देनी चाहिये । यह अकाउन्ट का प्रश्न है । अकाउन्ट न देने से ही कुर्कियां की हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर वास्तव में कुए खोद दिये हैं तो सख्ती नहीं की जानी चाहिये । अगर ऐसा हुआ है तो आदेश जारी कर दिये जावेंगे कि किश्तों में ही वसूल किया जावे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी यह जानकारी सत्य नहीं है कि गिरवी नहीं रक्खे गये हैं । मैं बता देना चाहता हूं कि पचास साठ केस ऐसे हैं जिन में कुए महाजनों को रहन रखे गये हैं । रजिस्ट्री की गई हैं उनकी । आप चाहें तो तहसील में रजिस्टरों के जरिये इसकी तस्दीक कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : रहन रखने करने से सम्बन्ध सरकार का नहीं है । फिर मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है कि हिसाब न देने के कारण से जो उनसे एक मुश्त वसूली की जा रही है तो उसके लिये आदेश जारी कर देंगे । उन्होंने आश्वासन दिया है ऐसा ।

स्त्री शिक्षा में प्रगति

२४५. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 8

(श्री मोहनराज)

(१) राजस्थान में १६५० में शिक्षित महिलाओं का क्या प्रतिशत था ? और अब नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार क्या प्रतिशत है ?

(२) क्या यह सही है कि स्त्री शिक्षा की अत्यन्त मन्द प्रगति रही है और इसका कारण शिक्षित महिलाओं द्वारा ग्रामों में जाकर अध्यापिकाओं का कार्य करने की अनिच्छा है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या को सुलझाने के क्या उपाय कर चुकी है अथवा करना चाहती है ?

(३) क्या यह सही है कि यदि ग्रामों में अध्यापिकाओं के आवास गृहों का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाए तो अधिक महिलाएं इस ओर आकर्षित हो सकेंगी ? यदि हां, तो क्या इस कार्य हेतु इस वर्ष के बजट में कोई राशि निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन् १६५०–५१ में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत ३.० था। १६६१ की नवीनतम जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत ५.८ है ।

(२) जी हां । स्त्री शिक्षा की अपेक्षाकृत प्रगति मन्द रही है । शिक्षित महिलाओं द्वारा ग्रामों में जाकर अध्यापन कार्य में अनिच्छा भी इसका एक कारण है । इस समस्या को सुलझाने के लिये विविध उपाय कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं : १. अध्यापन कार्य में रुचि रखने वाली लड़कियों को छात्रवृति देना ।

२. महिला अध्यापकों की नियुक्ति एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में नाम रजिस्टर न होते हुए भी की जाना । ३. योग्य महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की न्यून एवं उच्चतम निर्धारित व्यवस्था के नियमों में रियायत किया जाना । ४. ग्राम काकियों की नियुक्ति की जाना ताकि यह अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूलों में भर्ती कराने में सहायक हों और स्कूल में मामूली देखभाल कर सकें । ५. देहातों में महिला शिक्षकों को जन सहयोग द्वारा आवास की सुविधा प्रदान करना ६. प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा का सरकारी शालाओं में निशुल्क शिक्षा का प्रावधान इत्यादि इत्यादि ।

(३) जी हां । ग्रामों में अध्यापिकाओं के आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है । और यदि क्वार्टर्स काफी तादाद में सही जगहों पर बनवाये जावें तो यह उम्मीद की जाती है कि अधिक अध्यापिकाएं ग्रामों में जाकर काम करना पसन्द करेंगी । राज्य सरकार ने अध्यापिकाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १००० क्वार्टर्स बनवाने की व्यवस्था रक्खी है । सन् १६६३–६४ तक ५६० क्वार्टर्स की धन राशि पंचायत समितियों को दे दी गई है और ६० क्वार्टर्स का प्रावधान सन् १६६४–६५ में रखा गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्त्री शिक्षा की इस मन्द गति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम सभी जिम्मेदार हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ग्रामीण क्षेत्रों में गर्ल्स स्कूलों में आवास की सुविधा न होने से स्त्री टीचर नहीं जाती है, इसके लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे बता चुके हैं कि वे एक हजार क्वार्टर्स बनाने जा रहे हैं। क्या सरकार की यह नीति है कि प्राइमरी स्कूलों में लड़के और लड़कियों को सह शिक्षा दी जावे तो क्या इससे कुछ इस स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है या इसमें रुकावट आई है ?

श्री आचार्य : अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला है। गांवों में अगर अलग से लडकियों की स्कूलें हों तो माता पिता उसमें अपनी लडकियों को पढने भेजने में ऐतराज नहीं करते हैं पर लडकों के साथ पढने के लिये भेजने में ऐतराज करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कुछ प्रगति आये।

श्री मोहनराज : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि स्कूलें भी ज्यादा खोली जावें ?

श्री आचार्य : इसके सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी।

इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव है कि ३५ से अधिक लड़कियां यदि एक स्थान पर मिल जायें तो हम एक लेडी टीचर देकर स्कूल खुलवा देते हैं और इस प्रकार के आदेश भी हैं। यह प्रयास है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि शहरों में तो खोल देते हैं लेकिन गांवों में इसलिए टाल देते हैं कि यह समझते हैं कि पंचायत समितियां हमारे सीधे अधिकार में नहीं हैं और इस प्रकार से गांवों में पिछले ५ सालों में एक भी स्कूल नहीं खुला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि ३५ से अधिक लड़कियां मिल जायें तो हम एक महिला अध्यापक देने के लिए तैयार हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह आदेश कब निकाले ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस साल भी निकाले और गये साल भी निकाले।

श्री मोतीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस तरह के आदेश अभी तक पंचायत समितियों को नहीं मिले हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही नहीं है और कहीं कहीं तो पाठशालायें भी खुली हैं।

श्री रामकिशन : जैसा आपने कहा क्या सरकार उचित समझती है कि जहां स्त्री शिक्षक मिल सकें उसके लिए शहरों में नियम बना दिये कि जब तक स्त्री शिक्षक मिलती हैं तब तक पुरुषों को नहीं लिया जाये। इस तरह के आदेश पंजाब और मद्रास में भी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैटर ऑफ पालिसी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : शहरों में ही ऐसा किया जायेगा या गांवों में भी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांवों में तो अधिक हैं। शहरों में तो सजगता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरवलाल कालाबादल।

हरिजनों द्वारा मकान हेतु अनुदान की मांग सवाईमाधोपुर

१२६. श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर कस्बे के कितने हरिजन परिवारों ने मकान हेतु सरकार से अनुदान की मांग की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) हरिजनों द्वारा समस्त कार्यवाही खाना पूर्ति पूरी हो जाने पर भी अनुदान प्रदान करने में देरी करने का क्या कारण है ?

(३) अब कब तक अनुदान की रकम प्राप्त होने की आशा है ?

उप-मंत्री समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सवाई माधोपुर कस्बे के ३१ मेहतर परिवारों ने मकान सहायता की मांग की थी। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) नियमानुसार उक्त परिवारों के फार्मों की जांच कर इस विभाग के पत्र संख्या एफ ८। ६४--६५।१९२४७-५५ दिनांक १३-४-६४ द्वारा ३१ मेहतर परिवारों को ७५० रुपये प्रति परिवार की दर से गृह निर्माण हेतु सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : यह मांग किस तारीख को की गई थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १५-२--६३ को।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : यह तो गलत तारीख दी है। वहां हरिजन परिवार काफी परेशान हुए और उनके दो चार सौ रुपये तो आने जाने में खर्च हो चुके।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विभाग से जो तारीख आई है वह मैंने जवाब में बता दी। अब आपके पास दूसरी तारीख है तो मैं जांच करा लूंगी।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : वह हरिजन काफी परेशान हुए और मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही भेज सकता हूं और मेरे प्रश्न के आते ही इन्होंने मन्जूर कर दिया।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी कोशिशों से हुआ है सारा।

प्रश्न संख्या १२७

श्री हनुमान सिंह चौधरी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२८

श्री मानिकचन्द सुराणा।

Page No. 11

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम ।

रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीणों का ऋण—जिला चुरू

१२९. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत चुरू जिले में कितने ग्रामीणों को हाउसिंग लोन मिला है।

(२) जिस गति से रूरल हाउसिंग स्कीम चल रही है उसे देखते हुए क्या योजना में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कुल १८ ग्रामीणों को ऋण दिया गया है।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गृह योजना के अन्तर्गत धनराशि बहुत कम कर दिये जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

श्री रावतराम : यह १८ ग्रामीणों को ऋण दिया गया है यह कितने अर्से में दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ६०–६१ में दिया गया। २५ हजार रुपया पंचायत समितियों को दिया गया........

श्री रावतराम : मैंने लिस्ट मांगी है कि किस किस को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि १८ ग्रामीणों को दिया गया लेकिन यह किन किन को दिया गया है, यह नहीं बताया गया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लिस्ट मेरे पास नहीं है। मैं आपको बाद में जानकारी करके दे दूंगा।

श्री रावतराम : इसमें सरकारी नीति क्या है ? २–३ साल में १८ परिवारों को हाउसिंग लोन दिया गया तो इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है कि किस तरह से इस योजना को आगे बढ़ा सकेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि जिन पंचायत समितियों को चूरू डिस्ट्रिक्ट में लोन दिया वह काम ही पूरा नहीं कर पाये इसलिए और देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री रावतराम : जो लोन दिया गया वह तो लगा दिया उसमें तो रुपया बाकी नहीं है लेकिन आप पैसा दे ही नहीं रहे हैं तो उसको कैसे लगायें ?

श्री अध्यक्ष : **श्री उमरावसिंह ढाबरिया।**

भीलवाड़ा जिले की स्कूलों का रिजल्ट

१३०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भीलवाड़ा जिले की हाई स्कूलों, जूनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूलों व हायर सेकेन्ड्री

Page No. 12

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

स्कूलों में १९६३–६४ में गत वर्ष की तुलना में कितने कितने लड़के बढे व कितने पास हुए ? स्कूलोंवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट ४० प्रतिशत भी नहीं रहा ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उप–मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है बावजूद प्रयत्न करने के। इसलिए इसको आगे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह।

प्रश्न संख्या १३१

श्री सम्पत्ति लाल बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री **रामानन्द अग्रवाल** ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछे जाने की आज्ञा दी जाये।

सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में कोई निश्चित परसेन्टेज स्थान रिजर्व किये हुए हैं ?

(२) क्या राजस्थान में इन पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों के लिये सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने के लिए कुछ अधिक उम्र (एज रिलेक्सेशन) की इजाजत दी हुई है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब और मद्रास में इन जातियों के लिए सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(४) क्या राजस्थान सरकार का पिछड़ी जातियों की सार्वजनिक सेवाओं में इन प्रान्तों के समान सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

उप–मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं हैं।

(२) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के लिये राज्य सेवाओं में ५ वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह छूट नहीं है।

(३) जी हां, मद्रास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के लिये १६ प्रतिशत एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित है।

पंजाब में अनुसूचित जाति व अनुसूचित

Page No. 13

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

जन जातियों के लिये १६ प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिये २ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

(४) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं। अन्य पिछड़ी जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने का विचार नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही मौलिक प्रश्न है। जब देश के अन्य राज्यों ने पिछड़ी हुई जातियों के लिये संरक्षण दिया है तो राजस्थान सरकार विचार करने के लिए क्यों नहीं तैयार है, क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो फैक्ट्स हैं वे मैंने आपके सामने रख दिये हैं। केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के लिए ही स्थान सुरक्षित हैं, पिछड़ी जातियों के लिए नहीं हैं।

श्री रामकिशन : लेकिन क्यों नहीं हैं। जब दूसरे राज्यों ने यह सुविधा दी है और हमारे यहां राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियों के लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। नाई, लुहार, सुतार, कुम्हार आदि सभी पिछड़ी जाति के अन्दर आते हैं। जैसा मद्रास और मैसूर राज्य ने किया है वहां पर तो ६० प्रतिशत लोग पिछड़ी हुई जाति के अन्दर आ जाते हैं तो राजस्थान सरकार इस पर विचार करने के लिए क्यों नहीं तैयार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वहां पर लिट्रेसी का परसेन्टेज बहुत हाई है और पिछड़े वर्ग में पढ़े लिखे बहुत मिल जाते हैं इसलिये उनका परसेन्टेज फिक्स किया जाता है और यहां पर जितना परसेन्टेज फिक्स किया गया है उसमें ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हायर सर्विसेस में तो मिल ही नहीं पाते हैं और लोअर में भी बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं यह भी एक कारण है।

श्री रामकिशन : आपका कहना है कि राजस्थान में पिछड़ी जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आम तौर पर स्थिति यह है कि पिछड़ी हुई जाति को कोई संरक्षण नहीं है और उनकी कोई हमारे यहां लिस्ट भी नहीं है। वर्ना और राज्यों ने इसको माना है। इसमें पढ़े लिखे लोग काफी हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो सरकार की नीति थी वह मैंने आपके सामने निवेदन कर दी।

श्री रामकिशन : यह नीति संबंधी प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय इसलिए किसी वरिष्ट मंत्री महोदय, से इसका उत्तर दिलवाया जाये। फैक्ट्स तो हमारे सामने हैं। पिछड़ी जाति को संरक्षण देने के लिए क्यों नहीं तैयार है जब कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जिस दिन बहस आये उस समय इसको उठायें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

Page No. 14

गूंगे व बहरे विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था

१३३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में गूंगे व बहरे विद्यार्थियों को शिक्षा दिये जाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

(२ क्या यह सत्य है कि श्री रघुनाथ बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में एक गूंगा व बहरा छात्र पढ़ रहा है ?

(३) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से उसे वजीफा दिया जा रहा है ?

(४) अगर हां तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है।

(५) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में कोई जांच भी हुई थी ! अगर हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में गूंगे व बहरे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए गूंगे व बहरे का स्कूल जयपुर में है।

(२) कोई नहीं पढ़ रहा है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नही उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि श्री हरिश्चन्द्र द्विवेदी विद्यार्थी को सन् ६२ तक ५ वर्षों तक इसी नाम से वजीफा दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६२ और ६१ के संबंध में अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न नहीं था इसलिए ६४ से पहले और ६३ से पहले के लिए हमने कोई दर्यापत नहीं किया। इस प्रश्न में लिखा है, इसलिए हमने ऐसा उत्तर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं गत सत्र से प्रश्न दे रहा हूँ। इस विद्यार्थी को ४० रुपये प्रति माह के हिसाब से अब तक ३८०० रुपया दिया जा चुका है स्कालरशिप के नाम से और यह विद्यार्थी रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा है और इसको हर क्लास में पास हुआ बताया गया है। इस प्रकार से अभी तक ३८०० रुपया दिया गया है यहां तक कि सरकार की ओर से जांच भी की गई थी और यहां तक नौबत आई कि किसी तरह से जांच में बेल कराया है और प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, स्थिति को टालने का कोई प्रयास नहीं है। प्रश्न था कि स्कालरशिप मिल रही है तो ६३ और ६४ तक न तो कोई स्कालरशिप मिली है। ६०-६१ के लिए मैं और कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस तथ्य में तो आप जीत गये लेकिन जानकारी करके और बता दें।

Page No. 15

श्री अध्यक्षः श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना और दे दूं वह विद्यार्थी सन् ५७ से लेकर ६२ तक रहा और उस विद्यार्थी को स्कालरशिप मिली ।

अध्यापिकाओं की कमी

१३४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि महिला अध्यापिकाओं की बहुत कमी है और इसकी पूर्ति के लिए कन्डेन्स्ड कोर्स खोले गये हैं ?

(२) यदि हां, तो इस प्रकार के कोर्स की शिक्षा के लिए कितने केन्द्र खोले गये और उनकी कॅपेसिटी कितनी है ?

(३) आज तक कितनी अध्यापिकाओं ने यह कोर्स पास किया ? कोर्स पास की हुई कितनी अध्यापिकाएं राज्य की सर्विस में हैं ?

उपमन्त्री शिक्षा, (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य है कि महिला अध्यापिकाओं की कमी पूर्ति के लिए कन्डेन्स्ड कोर्स खोले गये हैं । देहाती क्षेत्रों में जाने वाली अध्यापिकाओं की कमी है ।

(२) कन्डेन्स्ड कोर्स के लिए निम्न स्थानों पर केन्द्र खोले गये हैं और उनकी केपेसिटी उनके आगे अंकित हैः—

स्थान	केपेसिटी
(१) जोधपुर शहर	२५
(२) सलुम्बर	२० से २५
(३) परतापुर	२० से २५
(४) पिंसागन	२०
(५) नवलगढ़	२०
(६) नीम का थाना	२०
(७) बारां	२०

(३) कुल १३५ महिला छात्राएं पास हुई और उनमें से ७६ राज्य सेवा तथा पंचायत समितियों में ले ली गई हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कुल केपेसिटी कितनी बताई है टोटल लगाकर बतायें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १३५ महिला छात्राएं पास हुई हैं उनमें से ७६ राज्य की सेवा में लगी हैं । केपेसिटी २५,२०, २० इस तरह से है । उनका टोटल लगाकर दे दूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक सालाना केपेसिटी कितनी है । सालाना कितनी पास होती हैं यह आप संक्षेप में बता दें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कितनी पास होती हैं यह प्रश्न नहीं था। केपेसिटी कितनी है वह एक एक संस्था के सामने बता दी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कैसे पता लग सकता है। टोटल बताएं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १,२,३,४, ५,६, बाई २० यानी १२०।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (रायसिंहनगर): ४२०?

श्री निरन्जननाथ आचार्य :१५५-५६ है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उनमें से पास हुई हैं १३५ और सर्विस में लगी हैं ७६।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप तो याद नहीं रखती हैं। मैंने जवाब दे दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यापिकाओं की इतनी कमी की हालत में भी १५० की केपेसिटी है उस पर भी कहते क्या है? कहते हैं कि उनको सरकार में सर्विस नहीं मिली है। फिर भी आप कहते हैं कि यह चेष्टा कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे शहरों में नौकरी चाहती हैं। गांवों में हमने इनको पंचायत समितियों में एब्जार्ब करने के लिए दे दिया है। वे गांवों में जाना नहीं चाहती हैं मुश्किल हमारी यही है। हम में से जो महिला सदस्या हैं........

(हंसी)

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) : आप क्या महिला हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : महिला जो कार्यकर्त्री हैं उनका प्रयास गांवों में नहीं होता है। हम पुरुष बड़ी मुश्किल में हैं। हम प्रयास करें तो कामयाबी नहीं मिल रही है। यह दिक्कतें आ रही हैं। मेरे खयाल से सदस्या महोदया को जो महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको ज्यादा सजगता से काम करना चाहिए।

श्री नाथूराम : (बागीदुरा) : परतापुर गांव है कोई शहर नहीं है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह गलत है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं उसको गांव ही नहीं मानता गांव से और हलका गांव मानता हूं।

श्री नाथूराम : परतापुर में कितनी लड़कियां पास हुई हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री नाथूराम : गत वर्ष में कितनी पास हुई थीं?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि यह जो

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कहा गया है कि सर्विस में नहीं हैं तो क्या वे सर्विस में नहीं आना चाहती हैं या सरकार के पास सर्विस नहीं है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वे गांव के क्षेत्र में नहीं जाना चाहती हैं और शहरों में ही रहने का प्रयत्न करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी सुविधाओं को हर तरह से खयाल में रखने को तैयार हैं। लेकिन वे गांवों में जाना पसन्द नहीं करती हैं इसलिए नहीं आती हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि १३५ महिलाएं पास हुई हैं उनमें से ७६ अध्यापिकाओं को स्थानों पर लगाया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि बाकी की जो महिलाएं पास हुई हैं उनको क्या शहरों के अन्दर महिला अध्यापिकाओं की आवश्यकता नहीं है ? आप जैसा कहते हैं कि गांवों में जाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा है कि शहरों में भी अध्यापिकाओं की आवश्यकता है और वह प्राप्त नहीं हो रही हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि उनको लगा दिया जाय ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय........

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक महिला सदस्य द्वारा सवाल पूछा जा रहा है तो सदस्या महोदया को जवाब देने दें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हर शहर में सरप्लस टीर्स हैं हम कोटे के बावजूद यहां जितने एडजस्ट कर सकते है करते हैं। उसके अतिरिक्त शहर में कोई जगह खाली नहीं है। वही जो पहले उत्तर दिया था वही उत्तर उसके लिए है। गांवों में उनको सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते हैं। उनको विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपमंत्री ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल गलत है। देवगढ़ एक कस्बा है वहां पर ५ अध्यापिकाओं की कमी है। इनको बार बार लिख रहे हैं लेकिन आप भेज नहीं रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो प्रश्न ही नहीं पूछा। अब खाली देवगढ़ का सवाल आता है। अगर आप मुझसे खानगी में कल ही पूछ लेतीं तो मैं आपको जवाब दे देता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह टाल—मटोल का सवाल नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टाला कहां है दो तीन प्रश्न आपने पूछे उनमें कहीं देवगढ का सवाल नही आया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय सदस्या वहां देवगढ़ से एम० एल० ए० हैं तो वहां का तो खास प्रश्न होगा ही।

श्री निरंजननाथ आचार्य : देवगढ़ की आबादी ५—७ या १० हजार की है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा के लिए

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अध्यापिकाओं के बारे में प्रश्न हैं और यह जवाब दिया है बीच में कि वे पुरुष हैं इस लिए महिला शिक्षा के बारे में काम नहीं कर सकते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री में भी दो महिला मिनिस्टर है क्यों नहीं महिला शिक्षा उनको ट्रांसफर कर दी जाय। राजस्थान की महिलाएं बहुत पीछे हैं। टाल-मटोल करके उनके पढ़ाने की व्यवस्था ठीक नहीं करते है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने तो डिप्टी डाइरेक्टर तक अलग कर दिया है। हमारे विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर महिला, इन्सपेक्टर महिला, सब इन्सपेक्ट्रैस महिला इस तरह से कर दिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : उपमंत्री भी महिला होनी चाहिए। आपको त्यागपत्र दे देना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब मैं खुद यह महसूस करता हूं कि आप एप्लीकेशन देदें तो डिप्टी मिनिस्टर भी महिला हो जाय।

श्री विजयसिंह झाला : आप त्यागपत्र देदें।

श्री रामकिशन (बैर) : मंत्री महोदय ने यह बताया कि वे गांवों में नहीं जाना चाहती हैं तो क्या इसकी उन्होंने जांच की है कि क्यों नहीं जाना चाहती हैं ? मुमकिन है कि यह समस्या जो महिला अध्यापिकाएं हैं वे शादी शुदा नहीं होती हैं और कुमारी होती हैं तो उनके लिए हो या शादी शुदा होती हैं तो उनके पति को कहीं रखा जाता है और पत्नी को कहीं रखा जाता है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। शायद महिलाएं इसीलिए गांवों में जाने को तैयार नहीं हैं। यह नियम होना चाहिए कि यदि वे शादी शुदा हैं तो जहां उनका पति सर्विस में होता है वहीं उनको भेज दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां पुरुष टीचर हैं और उनकी पत्नि भी टीचर हैं तो उसके लिए आदेश हमारे पास है कि यथा-शक्ति दोनों को एक जोड़ी की तरह एक जगह रख दिया जाय लेकिन पंचायत समितियों का प्रश्न अलग है। वहां हम नहीं पहुंच पाते हैं नीति हमारी यह है कि दम्पत्ति एक ही जगह पर काम करें। जहां तक सेकेण्डरी स्कूलों का प्रश्न है, कालेजों का प्रश्न है इस नीति को अपनाया जाता है। यहां तक अपनाया जाता है कि दोनों से कोई यदि शिक्षा विभाग में नहीं हो और दूसरे विभाग में भी हों तब भी बड़ी हमदर्दी से उनकी कठिनाई को देखा जाता है।

श्री रामकिशन : क्या सरकार यह नीति नहीं बना सकती है कि जो महिला अध्यापिका शादीशुदा गांवों के लिए एप्लाई करती है तो उनके पतियों को भी वहां पर सर्विस दे सकते हों ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सुना नहीं आप बहुत शीघ्रता से बोले।

श्री अध्यक्ष: जो पुरुष स्त्री अध्यापिकाओं से शादी करेंगे उनको सरकार नौकरी देगी ?

Page No. 19

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अगर क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हों तो। उसके बाद में कोई महिला डाक्टर से शादी कर लें तो डाक्टर रख लेंगे।

श्री रामकिशन : एक महिला सदस्या के पति को सर्विस में प्रिफरेन्स दी जाय इसका नियम बनायेंगे क्या ? आप जानते है कि हिन्दुस्तान में पढ़ी लिखी महिलाएं बे पढ़े लिखों से शादी नहीं करती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कई केसेज हैं।

श्री रामकिशन : आपके घर में हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

रोडवेज की बसों के कागजात

१३५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान रोडवेज की कितनी बसें हैं और इनमें से कितनी बसों के फिटनेस रजिस्ट्रेशन टोकन आदि के कागज पूरे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि आवश्यक कागजातों की कमी के कारण जो चालान होते हैं उनमें बस के ड्राइवर की जमानत नहीं कराई जाती और उसका जुर्माना या सजा भी ड्राइवर व कन्डक्टर को ही भुगतनी पड़ती है ?

उपमन्त्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान स्टेट की कुल गाड़ियों की संख्या ३०८ है जिनमें से रजिस्ट्रेशन सभी गाड़ियों के मौजूद हैं। तथा १४ गाड़ियों को छोड़ कर फिटनेस सर्टिफिकेट भी सभी गाड़ियों के हैं। ये १४ गाड़ियां वर्कशाप में मरम्मत के लिए पड़ी हुई हैं। ठीक होने पर इनके फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए जायेंगे। १६८ गाड़ियों के टोकन प्राप्त हो चुके हैं। १०८ गाड़ियों के टोकन के लिए टैक्स जमा करा दिया गया है, लेकिन ए० जी० ऑफिस से एडजस्टमेंट हो जाने पर ही टोकन प्राप्त हो सकेंगे। बाकी २६ गाड़ियों के कागजात आर० टी० ओ० आफिस में जमा करा दिये गये हैं। जिनका टैक्स ड्यू नहीं होता ऐसी ६० गाड़ियों का टैक्स अभी जमा करना बाकी है।

(२) जी नहीं। अगर गाड़ियों के चालान कागजातों की कमी के कारण होते हैं तो ऐसी स्थिति में विभाग जमानत और जुर्माना दोनों अदा करता है। अगर चालान ड्राईवर और कन्डक्टर की खुद की गलती के कारण होते हैं तो उसका उत्तरदायी विभाग नहीं होता। विभाग में इस विषय में ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स को पहले से ही आदेश दे रखे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अब तक इन कारणों की वजह से कितने कन्डक्टरों और ड्राइवरों का चालान हुआ ?

श्री भीमसिंह : टिकटों के पैसों की पूर्ति के लिये उनको जमा कराना पड़ता है और अगर उनकी गलती होती है तो उसका उत्तरदायी विभाग नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहा कि जिनकी खुद की गलती होती है, उनको खुद को भुगतना पड़ता है तो ऐसे कितने कन्डक्टर हैं जिनको पैसा देना पड़ा है ?

श्री भीमसिंह : यह तो सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जो चालान के रूप में रकम जमा कराई गई है वह मैं आपको बता सकता हूं।

सन् १९६३–६४ में १५२१.५० न.पैसे।

सन् १९६४-६५ में ४५५ रुपये।

इसके अलावा केसेज की संख्या भी मैं दे सकता हूं।

१९६३-६४ में ५३

१९६४ : ६५ में १४

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने यह बताया कि राजस्थान स्टेट रोडवेज की कुल गाड़ियों की संख्या ३०८ है। सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मौजूद है १०९ गाड़ियों के टोकन के लिये टैक्स जमा करा दिया गया है। आपने यह भी बताया कि १५२१ रु० जुर्माने के जमा कराये गये। इसके साथ साथ यह भी कहा कि हमारे सभी कागजात मुकम्मिल हैं।

श्री भीमसिंह : यह मैंने नहीं कहा कि सभी कागजात मुकम्मिल हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : फिर रोडवेज के कागजात पूरे नहीं होने से किस प्रकार जुर्माना हुआ ?

श्री भीमसिंह : मैंने कतई नहीं कहा कि सारे कागजात मुकम्मिल हैं। आपने अपने प्रश्न को तीन हिस्सों में बांटा है (१) टोकन (२) गाड़ियों का फिटनेस और तीसरा परमिट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रोडवेज की बसेज के कागजात मुकम्मिल नहीं हुए हैं तो फिर दूसरे प्राइवेट बसेज वालों के कागजात मुकम्मिल कैसे होंगे ?

श्री भीमसिंह : मैंने कहा कि १०९ गाड़ियों के टोकन के लिये टैक्स जमा करा दिया गया है लेकिन ए. जी. आफिस से एडजस्टमेंट हो जाने पर ही टोकन प्राप्त हो सकेंगे क्योंकि सेन्क्शन लेने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त २६ गाड़ियों के कागजात आर. टी. ओ. आफिस में जमा करा दिये गये हैं। ६० के टैक्स जमा कराना बाकी है जो ड्यू नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये गाड़ियां ६२-६३-६४, से चल रही हैं लेकिन अभी तक उनके कागजात पूरे नहीं किये जा सके हैं। क्या यह रोडवेज के लिये डिसक्रेडिट की बात नहीं है ?

श्री भीमसिंह : ये जो फिगर्स दिये हैं वे कागजात मुकम्मिल नहीं होने के फिगर्स नहीं हैं ये सारे इक्टठे हैं। ये सारे ड्राइवरों की गलती से नहीं हुए। ड्राइवरों व कन्डक्टरों की गलती से तो १० परसेन्ट केसेज

(श्री भीमसिंह)

होते हैं। मैंने जो केसेज चालान हुए है उनके फिगर्स दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह फैक्ट है कि कागजातों के पूरे नहीं होते हुए भी राजस्थान रोडवेज की गाड़ी को प्लाई करने की आज्ञा अधिकारियों द्वारा दे दी जाती है?

श्री भीमसिंह : जिनके टैक्स जमा नहीं होते उनको नहीं। पांच गाड़ियों के टैक्स जमा नहीं हुए हैं बाकी की सभी गाड़ियों के टैक्स जमा हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कागजातों के मुकम्मिल हुए बिना गाड़ी चलाना गैर कानूनी है तो सरकार की रोडवेज भी कानून का पालन नहीं करती हैं तो दूसरे प्राइवेट बस चलाने वाले कानून का पालन कौन करेंगें। सरकार इसके लिए स्टेन्डिग ओर्डर्स क्यों नहीं कर देती कि इस तरह की बसेज को प्लाई नहीं की जावें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से गर कानूनी तौर पर बसेज चलाने पर मिनिमम पेनल्टी ५००) रुपया है और यह जुर्माना मालिक पर किया जाता है। क्या इसमें ड्राइवरों और कन्डक्टरों की भूल नहीं होते हुए भी फाइन होता है तो इसकी जिम्मेदारी जनरल मैनेजर की या मिनिस्टर इन्चार्ज की होती हैं कि उन्होंने बसों को प्लाई करने की आज्ञा प्रदान की?

श्री भीमसिंह : जो गाडियां कारखाने में पड़ी हैं उनका तो फिटनेस सर्टिफिकेट उनको कैसे मिलेगा। दूसरी बात यह कही गई कि उनके पूरे कागजात नहीं होने से जुर्माना हुआ मगर कई दफा ऐसा होता है कि कागजात तो ड्राइवर को संभला दिए जाते हैं मगर वह गलती से उनको अपने साथ ले जाना भूल जाता है और अपने क्वार्टर में ही रख जाता है। इस तरह से तो हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिये नियम हैं कि यदि वह २४ घन्टों के अन्दर कागजात दिखा देता है तो वह चालान कैंसिल हो जाता है। आपने यह कहा कि उन चालानों के साथ साथ कन्डक्टरों को पैसे देने पड़े हैं, और वह भी उनकी लापरवाही के कारण नहीं आप कहें तो मैं आपको ३१ : ४० ड्राइवर और कन्डक्टरों के कोनक्रीट उदाहरण दे सकता हूं जिनकी जमानत आपने नही दी दूसरों ने दी और उनको फाइन देना पड़ा।

श्री भीमसिंह : यदि आप इस प्रकार के मामले बताएगे तो उनको टेक-अप कर लेंगे। लेकिन १० परसेन्ट केसेज चालान के ड्राइवरों की गलती से होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why should not the Government pass orders that they should not ply at all when the papers are not complete? रोडवेज के कारण स्टेट के खजाने को क्यों नुकसान पहुंचे। इसके लिये क्या सरकार कोई आदेश जारी करेगी?

श्री भीमसिंह : इस प्रकार के ऑर्डर्स दिये हुए हैं।

Page No. 22

श्री अध्यक्ष : Next. श्री केदारनाथ।

छात्रावास में हड़ताल-गंगानगर

१३६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि १९६२ - ६३ में गंगानगर समाज कल्याण छात्रावास में विद्यार्थियो ने हड़ताल की ? यदि हाँ तो उसका क्या कारण था और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती, प्रभा मिश्रा) : जी हां। हड़ताल का कारण राशन, कपड़े आदि की समय पर व्यवस्था न हो सकने से सम्बंधित था। दिनांक १-१-१९६३ को सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र जांच कराई गई और समुचित व्यवस्था करदी गई थी। अब वहां छात्रों को कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

माध्यमिक शाला भवन निर्माण की व्यवस्था

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तोड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तोड़गढ़ किले पर माध्यमिक शाला है ? अगर हां, तो उसमें कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि चित्तोड़गढ़ तलहटी में भी माध्यमिक विद्यालय है ? अगर हां तो उसमें कितने छात्र अध्ययन कर रहे है ?

(३) क्या यह सही है कि तलहटी की माध्यमिक शाला राज्य सरकार द्वारा दिये गये भवन में चल रही है ? अगर हां तो किले की माध्यमिक शाला के लिये भवन की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

(४) क्या भविष्य में किले की माध्यमिक शाला के लिये भवन निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर सन् १९६१ - ६२ से ही माध्यमिक शाला चल रही है। इसमें कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार है :--

कक्षा :	१	२	३	४	५	६	७	८	योग।
छात्रसंख्या	२२	२१	२६	१९	२२	१३	१४	१४	१५१।

(२) जी हां, चित्तौड़गढ़ तलहटी में भी माध्यमिक शाला है सन् १९६१ : ६२ से प्रारम्भ हुई है / इसमें कक्षावार छात्र संख्या इस प्रकार है :

कक्षा :	३	४	५	६	७	८	योग।
छात्र संख्या :	४३	५५	५८	१९०	१३१	९३	५७०।

(३) जी हां।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(४) जिले की जनता ने भवन की व्यवस्था करने का बोंड भर कर विभाग को दिया था और उस बोंड में अंकित शर्तों के अनुसार प्राथमिक शाला को माध्मिक शाला में प्रौन्नत किया गया। भवन नहीं दिया गया जो देना है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या यह है कि वह पिछले २० वर्षों से खाली पड़ा है और इसलिये इसको माध्यमिक शाला के लिये प्राप्त किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह खाली था या भरा हुआ यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या यह सही है कि इस माध्यमिक शाला को किराये के मकान में शिफ्ट किया गया है और वह मकान खाली पड़ा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले १९६१–६२ में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते तलहटी में चल रही प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में पौन्नत किया गया। पहले इसी इमारत में चल रही थी। गत सत्र में छात्र संख्या बढ जाने के कारण किराये के भवन में शिफ्ट किया तो पुरानी इमारत खाली हुई। उसको रिफ्यूजी एवं देहली गेट प्राथमिक शालाओं को जो किराये के भवनों में चल रही थी शिफ्ट किया जा कर भवन का उपयोग किया गया।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : किले और तलहटी की जनता के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किले की जनता के प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शाला किले को माध्यमिक शाला में प्रोन्नत करने हेतु लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमें यह अंकित किया कि माध्यमिक शाला में प्रोन्नत करेंगी तो हम माध्यमिक शाला के अनुरूप भवन विभाग को देंगे।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री गोविन्दसिंह।

पच पहाड़ डग बस किराया

१३८. **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ए. बी. व सी. रूट का क्या क्या बस किराया निर्धारित है ?

(२) क्या यह सही है कि डग से पचपहाड़ (जिला झालावाड़) तक पक्की सड़क बनी हुई है ?

(३) यदि हां, तो डग से पचपहाड़ का बस का किराया फी मील कितना होना चाहिये ?

(४) क्या यह सही है कि पचपहाड़ से डग या डग से पचपहाड़ बस का किराया कच्चे रास्ते के हिसाब से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) मैग्जिमम निर्धारित बस किराया निम्न प्रकार है :

Page No. 24

(श्री भीमसिंह)

ए० रूट ८ पाई फी मील फी यात्री

बी० रूट ११ पाई फी मील फी यात्री

सी० रूट १४ पाई फी मील फी यात्री

(२) जी हां यह सही है।

(३) ८ पाई फी मील फी यात्री से अधिक नहीं होना चाहिये।

(४) यह सही नहीं है क्यों कि सड़क पक्की है और उसी हिसाब से किराया लिया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह : यह जो फर्माया गया है इसको आप दुबारा एक्जामिन करवा लीजिये। उनसे जो किराया लिया जा रहा है वह १४ पाईलिया जा रहा है।

श्री भीमसिंह : आपके पास कोई खास जानकारी होगी तो जांच करवा कर दुरुस्त कर लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह : मैं आपके पास टिकट पेश कर सकता हूं। आठ पाई, ग्यारह पाई और चौदह पाई के हिसाब से किराया लिया जाता है। अब नई डेसिमल प्रणाली अपना ली गई है तो नये पैसे में किराया लिया जाना चाहिए। पाई से फायदा होता है इसलिए आप नये पैसे में नहीं कर रहे हैं?

श्री भीमसिंह : पाई और नये पैसे में उसी तरह से हिसाब हो जाता है। क्योंकि नोटिफिकेशन पहले का निकाला हुआ था इसलिए पाई में मैंने निवेदन किया। पाई को नये पैसे में केलकुलेट किया जाय तो वही हिसाब पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह : जिस दिन से नई डेसिमल प्रणाली चालू हो गई है उस दिन से नये पैसे में किराया लिया जाना चाहिए। पाई में लिया जा रहा है तो उसको नये पैसे में कन्वेंट करने में क्या दिक्कत महसूस हो रही है?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका संशोधन करा देंगे।

प्रश्न संख्या १३९

श्री अध्यक्ष : जो जोधसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४०

श्री मुरली धर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४१

श्री हनुमान सिंह चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझार सिंह।

किराये का भुगतान

१४२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Education please reply -

(1) Is it a fact that the Government occupied a building on rent at Ramganj Mandi from the वैष्णव पंचायत at Rs. 15/- per month about three years ago to be used as a Boarding House ?

(2) Is it a fact that no rent has been paid to the "वैष्णव पंचायत" for this building for the last three years ?

(3) what has been the reason for the delay and when will the paymant be mede now ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : (१ से ३) इस इमारत का किराया दिनांक ३१-३-६४ तक का दिनांक २-३-६४ को चुका दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन- चित्तौड़गढ़ राशमी क्षेत्र

१४३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं राशमी क्षेत्र में प्राथमिक कन्या शालाओं और माध्यमिक कन्या शालाओं में कितनी कितनी छात्रायें शिक्षा पा रही हैं ?

(२) क्या प्राथमिक कन्या शालाओं को माध्यमिक कन्या शाला में परिवर्तन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो किस किस स्कूल को ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) पंचायत समिति चित्तौड़गढ़—

प्राथमिक कन्या शाला, सावा में ६६

प्राथमिक कन्या शाला, बस्सी में १०६

प्राथमिक कन्या शाला, घोसुन्डा में ३७

कन्या छात्राएं शिक्षा पा रही हैं।

पंचायत समिति राशमी—

प्राथमिक कन्या शाला, गंगरार में ६८

प्राथमिक कन्या शाला, आरनी में ४०

छात्राएं शिक्षा पा रही हैं—

चित्तौड़गढ़ एवं राशमी पंचायत समिति क्षेत्र में दो सरकारी प्राथमिक कन्या शालाएं चित्तौड़ प्रापर में चलती हैं जिनकी छात्र संख्या इस प्रकार है :

१. चित्तौड़ शहर प्राथमिक कन्या शाला में २२६।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

२. चित्तौड़ जिला प्राथमिक कन्या शाला में ५६ ।

(२) इस वर्ष १६ प्राथमिक कन्या पाठ-शालाओं को मिडिल स्तर में परिवर्तित किया गया है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : पंचायत समिति राशमी, चित्तौड़गढ़ में भी इसका नम्बर लिया गया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कौनसा नम्बर ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : माध्यमिक शाला बनाने के लिए ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सावा और बस्सी चित्तौड़गढ़ में ही है । प्राथमिक कन्या शाला के लिए नम्बर नहीं लिया गया है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : वहां पर तो कम से कम होना चाहिये जहां १०६ लड़कियां हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ध्यान रखा जायगा ।

प्रश्न संख्या १४४

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

स्त्री शिक्षा अभियान

१४५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई है ?

(२) यदि नहीं, तो इसकी उपलब्धि के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(३) क्या सरकार स्त्री शिक्षा अभियान भी चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राज्य सरकार की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के यह लक्ष्य हैं :

(१) ६–११ वर्ष की ३०.२ पर्सेन्ट लड़कियों को १९६५–६६ तक के अन्त तक स्कूलों में लाना ।

(२) ११–१४ वर्ष की १२.२ पर्सेन्ट लड़कियों को स्कूलों में लाना ।

(३) १४–१७ वर्ष की ३.३ प्रतिशत लड़कियों को स्कूलों में लाना । सन् १९६३–६४ के अंत तक हम लगभग २१.४ प्रतिशत ६-११ वर्ष की लड़कियों को, ४८.६ प्रतिशत ११–१४ वर्ष की लड़कियों को, और २.६ प्रतिशत १४–१७ वर्ष की लड़कियों को स्कूलों में ला पाये हैं और यह उम्मीद की जाती है कि ६--११ वर्ष की लड़कियों के लक्ष्य को छोड़

Page No. 27

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कर हम ११-१४ वर्ष या१४-१७ वर्ष की लड़कियों के लक्ष्य को तो पूरा कर पायेंगे। ६-११ वर्ष की लड़कियां लगभग २७ व २८ प्रतिशत ही १९६५-६६ के अन्त तक स्कूलों में जा सकेंगी।

(२) स्त्री शिक्षा राजस्थान में शुरू से ही बहुत पिछड़ी रही है। १९५०-५१ में ६-११ वर्ष की केवल ५.७ प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में आ रही थीं जिसे बढ़ा कर सन् १९६०-६१ में १५.३ कर दिया गया।

प्रथम व तृतीय पंचवर्षीय योजना में छात्राओं की औसत वार्षिक वृद्धि १४.७ प्रतिशत थी जब कि हिन्दुस्तान की कुल लड़कियों को मिला कर लगभग ६.२ प्रतिशत ही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है और इसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३४.०९ लाख रुपये की विशेष रकम का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिये भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस वर्ष से फीमेल सेट अप अलग से कायम कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत डिप्टी डाइरेक्टर, इन्सपेक्ट्रेस व डिप्टी इन्स्पेक्ट्रेसेज आफ स्कूल्स होंगी।

(३) सरकार प्रतिवर्ष छात्र अभियान चलाती है जिसमें छात्राओं की संख्या में विशेष वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : समझ में नहीं आता, आपकी उपलब्धि पर कितना आपको मुबारकबाद दिया जाय!

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप नाराज मालूम होती हैं। आपकी समझ में नहीं आता कितना मुबारकबाद दें। वैसे मैं आपके मुबारकबाद का मुस्तहक भी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है।

श्री रामकिशन : पहले पहल तो आपको मुबारकबाद मिला है। वह भी अस्वीकार कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

छात्रावासों में अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था

१४६. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) **:** क्या समाजकल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न टेक्निकल कालेज छात्रवासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, कालेज छात्रावास का पूरा खर्च समाज कल्याण विभाग दे, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि हर साल अनुसूचित जाति के टेक्निकल लाइन के छात्र इसलिए अध्ययन से वन्चित रह जाते हैं कि वे कालेज छात्रावास का खर्च वहन नहीं कर सकते और जो छात्रवृत्ति टेक्निकल लाइन के छात्र को मिलती है वह साल समाप्त होने पर मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार

Page No. 28

(श्री रावतराम)

चालू साल में टेक्निलकालेज छात्रावासों में कुछ स्थान सुरक्षित करने और उनमें रहने वाले छात्रों को पूरा खर्च देने का विचार रखती है।

उपमन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(२) हां यह सम्भव है कि अनुसूचित जाति के टेक्निकल लाइन के कुछ छात्र कालेज छात्रावास का खर्च वहन न करने के कारण अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति संचालक कालेज शिक्षा द्वारा स्वीकृत की जाती है। पोलिटेक्निक शिक्षणालयों में अध्ययन करने वाले छात्रवृत्ति देने के अधिकार उन्होंने पोलीटेक्निक शिक्षणालयों के प्रधानाचार्य को दे दिये हैं और वे ही इसकी रकम का चुकारा करते हैं।

इसके अलावा अन्य टेक्निकल कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा संचालक कालेज शिक्षा के कार्यालय में प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर संचालक कालेज शिक्षा द्वारा स्वीकृत करदी जाती है जिसका भुगतान सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा किया जाता है।

श्री रावतराम : मेरा प्रश्न साफ यह है कि अनुसूचित जाति के छात्र टेक्निकल लाइन में जाते हैं उनको कालेज छात्रावासों में प्रवेश दिलाने का समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है। अभी यह होता है जो छात्रावास बने हुए हैं, जो इन जातियों के लिए चलाये जाते हैं उनमें उन स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है। वे छात्रावास कालेजों के नजदीक नहीं हैं इसलिए वे पढ़ाई नहीं कर सकते।

इसके अलावा स्कालरशिप मिलती है वह साल के अन्त में जाकर मिलती है। आप अनुमान लगायें कि ये जो गरीब छात्र हैं वे अपनी फीस जमा नहीं करा सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, कपड़े नहीं बनवा सकते—वे साल के अन्त तक दो हजार रुपये कहां से खर्च करेंगे ?

इसके अलावा राज्य सरकार या समाज कल्याण विभाग द्वारा इन टेकनिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने चाहिए ताकि इन जातियों के लड़के इन कालेजों में प्रवेश पा सकें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सत्य है कि कालेज में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है लेकिन जितने होस्टल चल रहे हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि जो छात्र टेक्निकल कालेज में पढ़ रहे है उनको तीस रुपये प्रति माह अधिक सहायता दें ताकि वे अपना खर्चा मीट-अप कर सकें। यह प्रश्न विचाराधीन है। वैसे जिस तरीके से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, वह मैंने निवेदन कर दी है। यह आदेश जारी कर दिये हैं कि

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

शिक्षा विभाग में फार्म प्राप्त होने के बाद दो माह में छात्रवृत्ति की स्वीकृति कर दी जाय और इस कायदे से काम कर रहे हैं। हां किसी मामले में देरी हुई हो तो मुझे बता दें, उसकी इन्क्वायरी करा कर जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगी।

इसके अतिरिक्त इस बार हर स्त्री सोशियल वेलफेअर आफिसर को लिख दिया गया है कि छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती हो तो कागजात को कम्प्लीट करा कर परस्यू करने की कोशिश करें और स्थिति से डिपार्टमेंट को हमेशा अवगत कराती रहें।

श्री रावतराम : मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे छात्रावास हैं जो अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए चलते हैं उनके अन्दर लड़के रहते हैं। उनमें भी उतना ही खर्च पड़ता है और जो टेक्निकल कालेज के चलते हैं उनमें और इनमें अधिक अन्तर नहीं रहता है।

स्कालरशिप फरवरी और मार्च में मिलती है। गई साल एक लड़के का जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज में दाखिला कराया, छात्रावास में उसको भर्ती करवाया। लेकिन स्कालरशिप नहीं मिली तो प्रिन्सिपल ने कहा—तुम टाइम पर आते नहीं, तुमने किताबें खरीदी नहीं, वर्दी बनवाई नहीं। इस तरह उसका साल खराब हो गया। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐतराज क्या है डिपार्टमेंट उतना ही खर्च कर रहा है छात्रावासों में।

आप उनको कालेज होस्टल में रखते हैं उसका पूरा खर्चा दे दें तो ऐतराज की क्या बात है। दूसरी बात यह है कि स्कोलरशिप फरवरी, मार्च में मिलती है उसे मंथली दे दें तो उचित होगा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
ग्राम अलीगढ़ के प्राचीन किले की दीवारें

१२१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मंत्री, पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक में ग्राम अलीगढ़ के प्राचीन किले की दीवारों को बिना किसी स्वीकृति के गिराया जा रहा है? यदि नहीं, तो किसकी स्वीकृति से? स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस पर वहां के नागरिकों में असन्तोष है?

उत्तर

(१) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कस्बा अलीगढ़ के मध्य स्थित किले की दीवारें गिराई जा रही हैं।

(२) जी नहीं।

ग्राम पंचायत हिराणी, तहसील नावां में गबन

१२७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकास कार्यों हेतु दी गई धनराशि का सरपंच ग्राम पंचायत हिराणी, तहसील नावां ने खुले रूप से गबन किया है ?

(२) क्या यह सही है कि इतना बड़ा भारी गबन होने पर भी सरकार ने सरपंच के खिलाफ कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगीत संस्थाओं को आर्थिक सहायता

१२८. श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में कितनी संगीत संस्थाओं को आवर्तक आर्थिक सहायता दी जाती है ? कृपया उनके नाम मय स्थान बताइये।

(२) उक्त संस्थाओं को कितना प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं को प्राइमरी स्कूल के बराबर माना जाता है और उसी के आधार पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती है ?

(४) क्या इन संस्थाओं के उत्तीर्ण छात्रों को कालेजों में लेक्चरार्स नियुक्त किया जाता है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में निम्नलिखित सहायता प्राप्त संगीत संस्थायें इस समय कार्य कर रही है तथा उनको विभाग द्वारा जो सहायता दी जाती है उसकी प्रतिशत भी अंकित है :

संस्था का नाम	अनुदान प्रतिशत	
१—म्यूजिकल कालेज, अजमेर	५०	प्रतिशत
२—सरस्वती भवन, ब्यावर	५०	,,
३—संगीत भारती, बीकानेर	६०	,,
४—आल इंडिया संगीत कालेज चुरू	६०	,,
५—मीरा कला मंदिर, उदयपुर	६०	,,
६—भारतीय लोक कला मंदिर, उदयपुर	७५	,,
७—संगीत नाटक निकेतन उदयपुर	५०	,,
८—राष्ट्रीय कला मंदिर जोधपुर	७५	,,
९—शास्त्रीय संगीत विद्यालय सीकर	६५	,,

(शिक्षा मंत्री)

१०- कला भारती, अलवर ६५ प्रतिशत

(२) उपरोक्त संस्थाओं को जितनी प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है वह संस्था के आगे अंकित है।

(३) ऐसा नहीं है। क्योंकि ये संस्थायें स्पेशल स्कूल्स के अंतर्गत मानी जाती हैं जो भी सहायता प्रदान की जाती है वह ग्रान्ट्स इन एड़ रूल्स के आधार पर ही दी जाती है।

(४) जो विद्यार्थी राजस्थान कला संस्थान से प्रथम श्रेणी में संगीत प्रभाकर की डिग्री पास करे उसे संगीत में लैक्चरार नियुक्त किया जा सकता है। बशर्ते कि वह किसी रिकगनाइज्ड़ यूनीवर्सिटी से ग्रेजूएट हो या उसके बराबर की डिग्री प्राप्त की हो।

रूरल हाउसिंग स्कीम, मावली

१३१. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मावली पंचायत समिति क्षेत्र में किसी गांव की कोई रूरल हाउसिंग स्कीम बनाई गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रत्येक १००० जन संख्या से ऊपर गांव की स्कीम बननी चाहिये ?

(३) कब तक सभी गांवों की रूरल हाउसिंग स्कीम बनाली जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(३) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

उदयपुर से भाडोल वाया बूभड़ा और नाई के लिए बस सर्विस का परमिट

१३६. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से भाड़ोल तो कई बसें जाती हैं लेकिन उदयपुर के पास बूभड़ा और नाई जो दो बड़े गांव हैं वह जंगल निवासियों की मण्डी और व्यापारिक केन्द्र हैं, वहां कोई बस नहीं जाती है और वहां से बस मिलने का स्थान बहुत दूर है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार बस वालों को बूभड़ा व नाई होती हुई बस ले जाने की आज्ञा देने या अन्य बस का नया परमिट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

१. जी हां, यह सही है।

(यातायात मंत्री)

२. इन बसों को इन गांवों में ले जाने की व्यवस्था कठिन है क्योंकि इन गांवों में पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता है। ऐसी सूरत में डाइवर्शन करना कठिन है। अगर कोई प्रार्थना पत्र पेश होगा तो वह पत्र विचार के लिए आर० टी० ए० में रखा जावेगा।

पंचायत नापासर के भूतपूर्व सरपंच द्वारा जमीन की बिक्री

१४० श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि स्वायत शासन विभाग राजस्थान द्वारा मना किये जाने के बावजूद भी पंचायत नापासर के भूतपूर्व सरपंच ने जमीनें बेच दीं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या इन जमीनों की बाकायदा नीलामी नहीं हुई और मन चाहे तरीके से बेच दी गई ?

(३) क्या उप सरपंच व सचिव ने अपने नाबालिग भतीजे के नाम से भी जमीनें ले लीं और बाकायदा नीलामी नहीं कराई ?

(४) क्या राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके इस पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच व सचिव ने गैर कानूनी कार्य किया है ? अगर हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर पालिका के लिये रोक होने पर भी पंचायत में भूमि विक्रय की। इस मामले में विभागीय जांच करवाई गई है।

जी हां।

(२) जी हां।

(३) नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम स्कूल श्यामगढ़ के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

१४१. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम स्कूल श्यामगढ़ के भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि कब व किस व्यक्ति को दी गई एवं उसका उपयोग कब किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १९६१ में इसी प्रयोजन हेतु पंचायत समिति कुचामन द्वारा १०००) रु० की धनराशि और दी गई जो नियमानुकूल नहीं है ?

(३) उक्त भवन निर्माण में कितने

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

रुपयों का हिसाब आज तक पेश हुआ है व ओवरसियर द्वारा कितनी राशि का माप बुक में अंकन किया गया ?

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति के बनने के बाद स्कूल के लिए कोई रकम नहीं दी गई है।

(२) केवल ५००) रु० दिये गये जो नियमानुसार था।

(३) ३९९०) रु० का हिसाब पेश किया गया है। माप-बुक में ५०००) रु० की लागत का काम होना अंकित किया गया है।

देलवाड़ा से फतहनगर वाया घासा-मावली बस परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र

१४४. श्री सम्पत्ति लाल बोहरा (मावली)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देलवाड़ा से फतहनगर वाया घासा-मावली बस रूट के परमिट के लिये कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर बस चलाने के लिये कई पंचायतों और पंचायत समितियों ने भी अनुरोध किया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस रूट का गजट में प्रकाशन हो चुका है और किसी भी पार्टी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि इसके पश्चात् कई बार आर० टी० ए० की बैठक हो चुकी है लेकिन बिना किसी निर्णय के वे स्थगित हो गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) इस रूट का परमिट अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है और अब कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। इस रूट का प्रकाशन गजट दिनांक ११. ४. ६३ में हो चुका है और किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

(४) इस विषय को २७ व २८ मार्च सन् १९६४ को रखा गया था परन्तु समय के अभाव में आर० टी० ए० इस पर विचार नहीं कर सकी। इस पर १०-११ जुलाई ६४ की मिटिंग में विचार हुआ व निर्णय हो चुका है।

(५) इस पर निर्णय लिया जा चुका है जैसा कि प्रश्न के उत्तर में अंकित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शारीरिक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित अध्यापकों को ग्रेड

२५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शिक्षा विभाग ने अजमेर में १४ मई, १६५७ से ३० जून, १६५७ तक किसी शारीरिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरकारी व्यय पर किया था ?

(२) क्या इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से अध्यापकों को भिजवाया था ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ? शर्तों की कापी सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सफल प्रशिक्षार्थियों को विभाग द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र दिये गये थे ?

(४) क्या ऐसे सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को उचित ग्रेड दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या रिवाइजड-पे-स्केल रूल्स, १६-६१ के अनुसार इन्हें दो एडवान्स इन्क्रीमेंट भी दिये गये ? यदि नहीं, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) प्रमाण पत्र दिये गये थे।

(४) ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि इस अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को कोई ग्रेड या इन्क्रीमेण्ट्स दिये जावेंगे।

(५) रिवाइज्ड पे-स्केल रूल्स, १६६१ के अनुसार उन्हें एडवान्स ग्रेड इन्क्रीमेण्ट्स का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि यह अल्पकालीन प्रशिक्षण था यानी रिफ्रेशर कोर्स की तरह था और रिफ्रेशर कोर्स वालों को किसी इन्क्रीमेण्ट्स आदि का हक नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजन कोलोनीज पर व्यय की गई धनराशि

२६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सन् १६५७ से १६६४ तक कितनी कितनी हरिजन कोलोनी बनाई गई हैं और कहां कहां पर ?

(२) प्रत्येक पर सरकार की तरफ से कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

(३) इन कोलोनीज़ के लिये कितनी धनराशि सहायता के रूप में व कितनी धनराशि कर्ज के रूप में दी गई है।

(४) कहां कहां पर कोलोनीज़ पूर्ण

(श्री श्रवणलाल)

रूप से बन चुकी हैं और कहां पर कार्य अभी अधूरा है ?

(५) हरिजन कोलोनीज बसाने के संबंध में क्या नियम हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्रत्येक कालोनी पर व्यय की गई धनराशि की सूचना सूची में अंकित है ।

(३) समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता के रूप में दी गई धनराशि सूची में अंकित कर दी गई है । विभाग द्वारा कर्ज नहीं दिया जाता है ।

(४) वांछित सूचना सूची में अंकित कर दी गई है ।

(५) नियमों की प्रतिसदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

'ए' श्रेणी के चिकित्सकों के पद

२७. **वैद्य-श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के 'ए' श्रेणी के चिकित्सकों तथा निरीक्षकों को राजपत्रित अधिकारी घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक घोषित करने का विचार है ।

(२) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिये कॉलेजेज़ ब्रांच नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब कलेजिज ब्रांच कब तक बनादी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, क्योंकि अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया ।

(२) जी हां, अभी ऐसा आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

पंचायत अध्ययन केन्द्र

२८. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा):- क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितने व कहां कहां पर पंचायत अध्ययन केन्द्र हैं ?

(२) ट्रेनिंग कितने समय के लिए किस किस को दी जाती है ?

(३) उक्त ट्रेनिंग के लिए क्या कोर्स निश्चित है तथा उनके लिये क्या पाठ्यक्रम हैं ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(विकास मन्त्री)

(२) सूची संलग्न है ।

(३) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्कूलों के अधूरे भवन—बड़गांव और गिरवा

२६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : -क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बड़गांव और गिरवा पंचायत समितियों के कौन कौन से गांवों में स्कूलों के भवन अधूरे बने हुये हैं ?

(२) क्या सरकार उन अधूरी इमारतों को पूरा करने का विचार रखती है और ये कब तक पूरी हो जावेगी ?

(३) उक्त क्षेत्रों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहां कहां नई स्कूल की इमारते बनेंगी और उनके लिये कितनी रकम मंजूर की गई ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) संबंधित पंचायतों द्वारा अधूरे भवनों को शीघ्र पूरा कराने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

(३) तीसरी योजना में अब नये स्कूल भवन उन्हीं गांवों में बनाये जाएंगे जहां शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार नयें स्कूल खुलेंगे और भवन निर्माण के लिए जनसहयोग प्राप्त हो सकेगा । इस कार्य के लिए पंचायत समिति बड़गांव व गिरवा द्वारा क्रमशः २४०००) रु० व ५५००) रु० का प्रावधान रखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

ग्राम सेवक ट्रेनिग सेंटर्स

३०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या विकास मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर्स कहां कहां पर हैं ?

(२) उक्त सेन्टर्स पर क्या क्या विषय पढ़ाये जाते हैं ?

(३) उक्त ट्रेनिंग के लिए विषय अनुसार कौन कौन से पाठ्यक्रम मय लेखक प्रेस्काइब्ड हैं ?

(४) उक्त ट्रेनिंग के लिए कुल कितने व कौन कौन से विषय प्रेसकाइन्ड हैं ?

उत्तर

(१) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा,

Page No. 37

(विकास मंत्री)

सवाई माधोपुर, तिलोनिया (अजमेर) मण्डोर (जोधपुर) एवं गढ़ी (बांसवाड़ा) में हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) अभी तक कोई सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं अतः लेखक का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) उपरोक्त सूची में यह सूचना भी दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(६.०१ म० पू०)

दिनांक ७ अगस्त को सदन में हुई घटना सम्बन्धी खेद प्रकाश

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को मध्यान्ह के पश्चात् जो इस सदन में घटनाएं हुई, हल्की घटनाएं हुई उस समय मैं यहां नहीं था किन्तु जो कुछ मैंने सुना, समाचार पत्रों में पढ़ा उससे मुझे खेद हुआ। मैं समझता हूं जनतंत्र की सफलता के लिये यह परम्पराएं आवश्यक हैं कि हम जो कुछ भी करें, नियंत्रण के साथ करें। सदन की सुचारु रूप से कार्यवाही के लिये इतना ही आवश्यक है कि हम आसन के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना रखें। मैं अपने दल की ओर से जो कुछ भी हुआ अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में दुःख और खेद प्रकट करता हूं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने पायेगी।

मैं यह भी अन्य दलों के माननीय सदस्यों व नेताओं से निवेदन करूंगा कि यदि वे इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रगट करेंगे तो सदन की डिगनिटी के लिये और सुचारु ढंग से सदन की कार्यवाही के लिये एक सुशोभित बात होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता महोदय ने सदन में खेद प्रकट किया है, मैं उस दिन यहां उपस्थित नहीं था लेकिन जिस प्रकार के समाचार समाचार पत्रों में पढ़े यह, स्वाभाविक है कि ऐसे समाचारों से जहां सदन की प्रतिष्ठा को आघात लगता है वहां प्रत्येक व्यक्ति को इससे दुःख होगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि लोकतन्त्र में बहुमत की जो कार्य करने की पद्धति है और बहुमत के आधार पर वह जो निर्णय लेती है, हमें उसको सहन करना पड़ेगा। बहुमत की सरकार जिस प्रकार का भी निर्णय लेती है हम इस सदन में केवल उस संबंध में अपनी आलोचना कर सकते हैं, प्रत्यालोचना कर सकते हैं या उसमें कोई सुझाव हों तो दे सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी का बहुमत होता है यह उस पार्टी के अधिकार का प्रश्न रहता है कि वह हमारी बातों को किस सीमा तक स्वीकार करे, हमें इस प्रजातन्त्र के मूल उद्देश्य को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी अपना रास्ता अख्तियार करेगी और हमें अपनी बातों को कहना पड़ेगा। यदि इस सिद्धान्त को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी का जो मूल सिद्धान्त है, पार्टी रूल का

(श्री भैरोंसिंह)

उस पार्टी रूल को हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आते। मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान में या हिन्दुस्तान में जो लोकतंत्र है हमें आज प्रयास इस बात का करना है कि हिन्दुस्तान की पूरी जन-संख्या में लोकतन्त्र के प्रति श्रद्धा का निर्माण हो और किसी भी कार्यवाही से उसके प्रति कोई अश्रद्धा का भाव हमारे द्वारा न हो। विधान सभा इस लोकतन्त्र का वह सिंबल है जिस सिंबल की कद्र, और प्रतिष्ठा हम बनाकर रखेंगे उसका डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली असर मुल्क पर पड़ने वाला है वह लोकतन्त्र के हित में या अहित में होगा। यदि लोक सभा और विधान सभा की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो लोकतन्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और साथ ही जनता के जो रिप्रजेन्टेटिव विधान-सभा में आते हैं उनके प्रति, लोग उनको जिम्मेदार समझ कर श्रद्धा भाव रखेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबका यह कर्त्तव्य बन जाता है कि यदि हम लोकतन्त्र प्रणाली में विश्वास रखते हैं तो हम निरन्तर इस बात की चेष्टा करें कि जनता की श्रद्धा इस विधान सभा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार बन सकती है, उसको बनाने की चेष्टा करें। यह वह पवित्र मन्दिर है जिसके लिए यदि हम ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की हिस्ट्री को देखें तो ऐसा लगता है कि वे आपस में दुनियां भर के झगड़े हाउस ऑफ कोमन्स के बाहर करते हों लेकिन हाउस ऑफ कोमन्स में जिन ट्रेडीशन का निर्माण उन्होंने कर दिया उसकी प्रतिष्ठा वे हर तरह से करते हैं। आज हम सब का प्रयास होना चाहिये कि हम उसी तरह ट्रेडीशन्स बनाकर हिन्दुस्तान में लोकतंत्र का मष्तिस्क ऊंचा कर सकें इसकी चेष्टा करें। मैं अधिक नहीं कह सकता लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर गंभीरता का परिचय दें तो अच्छा होगा।

मैं सरकारी पक्ष से कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि उनका बहुमत है जो चाहेंगे कर गुजरेंगे लेकिन यदि वे थोड़ा अपोजीशन को अकोमोडेट करके चलें, उनकी विशेज क्या हैं उनको जान लें तो ये दिक्कतें हल हो सकती हैं। समय बढ़ाने या चर्चा करने का सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके कारण विरोधी दल और सरकारी पक्ष के बीच इस प्रकार की परिस्थिति बनी! राजस्थान के मुख्य मन्त्री और सदन के नेता की उपस्थिति के समय झगड़ा होता है तो और भी ज्यादा खेद का विषय है। समय बढ़ाकर और अधिक चर्चा किसी विसय पर कर सकें इससे विधान सभा की हानि नही होती बल्कि जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य रिप्रेजन्टेटिव होकर आते हैं वे वहां के लोगों की विशेज को वेन्टिलेट करना चाहते हैं यदि उनको समय नहीं मिले तो उन्हें खेद होता है और जिस क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र के लोगों के दिमाग में भी आयेगा कि हमारे प्रतिनिधि को समय नहीं मिलने से हमारी ग्रिवेन्सेज को वह वेन्टिलेट नहीं कर सका, समय न देने के कारण यह हो जाय तो दोनों के लिए उचित नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में विरोधी दल को वे अकोमोडेट करें ताकि इस प्रकार की घटना न हो जैसी परसों हुई है। उसके लिए कोई तारीफ नहीं करेगा खेद ही प्रकट करेगा इस आधार पर मैं भी अपने और अपने दल की ओर से खेद प्रगट करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : on a point of order. Sir अध्यक्ष महोदय, मुझे और इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों को अभी तक तो इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि आज किस मोशन के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार प्रकट किये जा रहे हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पहले दिन शुक्रवार की बात कुछ होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इन तथ्यों में नहीं जायं तो ठीक है, यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद सदन का कोई सदस्य कोई कार्यवाही करे तो क्या उसको सदन की कार्यवाही माना जायगा, या सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना माना जायगा? सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद वह सदन की कार्यवाही में पहुंचाना नहीं माना जायगा तो उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का चार्ज, किसी प्रकार का कोग्निजेंस लेने का इस सदन को अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : order please. माननीय सदस्य उस घटना पर ही नहीं जायं बल्कि और भी घटनाएं हुई हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस की की कार्यवाही स्थगित होने के बाद....

श्री अध्यक्ष : order please. This is on point of order.

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें यह जानकारी तो मिलनी चाहिए कि किस घटना पर इस तरह के विचार प्रकट किये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : order please. जानकारी इस तरह नहीं दी जा सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानकारी के लिये इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। कि स्वतन्त्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने उस रोज सदन की कार्यवाही....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि चर्चा को इस तरह का रूप देने की कोशिश न करें कि किसने क्या किया। जिस उच्च भावना से विरोधी पक्ष के नेता ने बातें कही हैं, उसी विचार धारा के अन्दर आप कहना चाहें तो कहें अन्यथा विवाद नहीं उठायें।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह घटना घटी थी मैं भी इस सदन से बाहर था, समाचार पत्रों में जो कुछ निकला उससे सन्तोष नहीं मिला। दूसरे माननीय सदस्यों से जानकारी ली, घटना के कारणों की जानकारी ली तो ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों की कार्यवाही लोकतान्त्रिक नहीं थी

(श्री रामकिशन)

तो सरकारी पक्ष की ओर से भी जो कुछ किया गया वह लोकतान्त्रिक नहीं था। मुख्य मंत्री को विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों ने, इस बिल को रखा गया, उससे पहले एक पत्र लिखा था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे सैद्धान्तिक रूप से क्योंकि इसका लाखों लोगों की जिन्दगी पर असर पड़ेगा इसलिये इसका विरोध करना हमारा परम धर्म है। इसलिये अच्छा हो कि इस बिल पर विचार करने से पहले उन माननीय सदस्यों को बुला कर बात करें। मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं कुछ गलती हो पर मुख्य मंत्री ने उनसे मिलने की शालीनता नहीं दिखाई कि सरकार की कठिनाइयों को विरोधी दल के सदस्यों के सामने रख देते तो यह अप्रिय घटना घटी है उसके घटने की नौबत नहीं आती। जहां तक यह घटना घटी है उसका कोई माननीय सदस्य न समर्थन करेंगे और न समर्थन करने का इरादा रखते हैं। प्रश्न इतना उठता है कि सरकारी पक्ष इतनी बड़ी पार्टी है, राज्य सञ्चालन के तजुर्बे में, उम्र में बड़े हैं, हमसे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, ऐसा मामला आये तो उनकी ओर से ज्यादा धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाय तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। हमारे देश में जनतान्त्रिक संगठन, विधान सभा कोई मृत प्राय संगठन नहीं है, जब तक गर्मी नहीं आये तब तक आनन्द, मजा ही नहीं आता। मेरे इस कहने का गलत अर्थ न लगा ले। जो वैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका हम पूरा पूरा उपयोग करें पर इसके साथ ही साथ सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटनाओं के घटने का अवसर ही नहीं आने दें। दूसरे इस तरह के लोकतान्त्रिक संगठनों की बैठकें साल में नौ–नौ, दस-दस महीना तक चलती हैं वहां इस तरह की घटनाएं नहीं घटतीं, लोगों को अपने मन के सारे विचार रखने का अवसर मिल जाता है। जहां दो तीन महीनों का समय बोलने का मिलता है, उसमें अपने मन के विचार पूरे नहीं रख सकते, लाखों तरह के विचार मन में पैदा होते हैं, कई घटनाएं रोजमर्रा के जीवन में ऐसी घटती हैं, जो दिल में उथल-पुथल मचाती रहती हैं, इसीलिये नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे और उनको रोका जा रहा था। तो इस तरह की स्थिति पैदा की उसके लिये सरकारी पक्ष भी दोषी है जितने कि हमारे दल के लोग दोषी हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद में जो घटना घटी, उस कड़वाहट को इस सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, उस रोज की घटना का जो जिक्र है, उस रोज दुर्भाग्यवश मैं भी इस सदन में उपस्थित नहीं था और जो भी कुछ उस संबन्ध में सूचना मिली है वह समाचार पत्रों से मिली है। इसके अतिरिक्त उसके बारे में जानकारी अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त नहीं हो पाई है। समाचार पत्रों से भी जो सूचना मिली उसके बारे में यह सूचना मिली है कि हाउस को स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा मानकर कि हाउस स्थगित नहीं हुआ है कुछ कार्यवाही चलाने की अनधिकृत चेष्टा की। अध्यक्ष

Page No. 41

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, जहां तक इस घटना का ताल्लुक है, यह घटना अप्रिय अवश्य है। परन्तु अगर इसके पूरे तथ्यों में जाये, बक ग्राउण्ड में जायें तो बात या शक्ल दूसरी हो सकती है। जहां तक लोकतन्त्र को मजबूत बनाने की बात है हमारे देश में, इस बात में हमारा दल दृढ़ विश्वास करता है कि हमारे देश में जो लोक तन्त्रीय पद्धति. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम लागू किया गया है, उसको मजबूत बनाया जाय, दृढ़ बनाया जाय। परन्तु हमारी यह मान्यता है कि इस लोकतान्त्रिक तरीके की मजबूती केवल उसके फार्म के ऊपर जोर देने से और उसके कन्टेन्ट को नैग्लेक्ट करने से नहीं हो सकती। जिनके हाथों में देश की मौजूदा शासन व्यवस्था है वे डेमोक्रेसी के के फार्म पर, प्रजातन्त्र की बनावट के ऊपर जोर देते हैं, उसके कन्टेन्ट, जनता के दावों से इन्कार करते हैं और इस कारण जो हिन्दुस्तान की जनता की परम्पराएं हैं, डेमोक्रेसी के लिये देश की जनता ने लड़ाई लड़ी, डेमोक्रेसी हासिल की, डेमोक्रेसी के सिद्धान्त देश के सामने रखे, जो लक्ष्य रखे, वह देश की जनता यह महसूस करने लगी है सरकार के इस रवैये के कारण कि वह इस सिस्टम के जरिये हमारा मुंह बन्द करके हमारा डेमोक्रेसी का वास्तविक अधिकार जो कन्टेन्ट है डेमोक्रेसी का, उसको देने से इन्कार किया जाता है। हमने देखा है कि बावजूद इस सदन के माननीय सदस्यों के निवेदन करने के प्रतिपक्षी लोगों के द्वारा इस बात के निवेदन करने पर भी कि जनता जो बाहर आई हुई है उससे मुख्य मंत्री मिलें, इस प्रकार निवेदन करने के बावजूद भी मुख्य मंत्री मिलने से इन्कार करें तो यह परम्पराएं हैं कि जनता के प्रति कितनी हमदर्दी है कितनी जवाबदारी है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उसका रिटेलियेशन किया है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यह जो परम्पराएं हैं उनकी प्रतिक्रिया दूसरे लोगों पर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि डेमोक्रेसी के कन्टेन्ट्स को लगातार इन्कार किया जाय, इग्नोर किया जाय और केवल उसके फॉर्म पर जोर दिया जाय। हम समझते हैं इससे देश में लोकतन्त्र मजबूत नहीं हो सकता, फॉर्म भी तभी मजबूत होगा जब कि कन्टेन्ट के ऊपर ज़ोर दे कर उसे मजबूत किया जायगा। अनुभव भी बताता है कि जैसे-जैसे शासक दल जनता की समस्याओं के प्रति इर्रैस्पोन्सिबल होता जाता है त्यों त्यों उसके टूटने की नौबत आती है। तो यहां जो घटना घटी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासन पर है जो अपने तौर तरीके से भारी असंतोष सदन के बाहर जनता में पैदा कर रहा है और उसी का सदन के अन्दर इजहार किया गया।

विरोधी दल के नेता ने यह भावना व्यक्त की कि लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहिये, इससे हम सहमत हैं। पर उसको मजबूत बनाने के लिये उसके फॉर्म पर जोर देना असली भावना को भुलाना होगा। अगर देश के अन्दर लोक तन्त्र को सही माने में मजबूत करना है तो देश की ४३ करोड़ जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो लोकतन्त्र का सही ढांचा बनाने का हमने रखा था, उससे इन्कार कर रहे हैं, कुछ लोग शासन में होने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के नाते या विरोध में होने के नाते तो यह हमारे देश के लिये बड़ा खतरा है। लोकतन्त्र को बचाने के लिये इसके खिलाफ लड़ना होगा और लोकतन्त्र को मजबूत करना होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता ने तारीख ७ को इस सदन में जो कुछ घटनाएं घटीं और उस बारे में कहा, उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। आज हम सब पर और खास तौर से हमारे देश में महान-नेता पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के निधन के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की आ गई है कि हम खुद किस प्रकार से जनतंत्र की परम्पराओं को बनाना चाहते हैं। वह स्वयं जब तक थे, एक डेमोक्रेटिक के मौजूद होने की वजह से जनतंत्र की किसी प्रकार का खतरा नहीं था लेकिन आज तो देश की जनता को, देश की जनता प्रतिनिधियों को ही परम्पराएं बनाकर उस रास्ते पर चलना होगा कि जिससे जनतंत्र मजबूती के साथ कायम हो। यहां इस समय यह कहा गया कि जो बहुमत वाली पार्टी है, उसका भी एक कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों को वह अकोमोडेट करके चले। मैं समझता हूं कि इस बात को हमने ज़्यादा से ज्यादा लक्ष्य में रखा है और हम उस लक्ष्य को रखकर चलना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का उठता है कि सदन के लिए जो भी बिजि-नेस तय किया जाय, उसके लिए बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर निर्णय होता है। अगर उसमें किसी विषय पर समय अधिक रखना हो तो उस समय विचार कर लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को चाहेंगे कि जो भी बिजिनेस निर्धारित किया जाय वह समय पर पूरा हो। इस बात में सबका सहयोग प्राप्त होना चाहिये, क्योंकि वह बिजनेस सरकार अपकी तरफ से नहीं भेजती है, बल्कि वह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है जिसमें विरोधी दलों के प्रतिनिधि भी उप-स्थित होते हैं। इसलिए वहां पर जो भी इस बारे में निर्णय करना हो, विषय को देखते हुए समय निर्धारित करना हो और उसके बाद में जब सदन में इस प्रकार के प्रश्न आएं तो उनके रखने का, सोचने का और उस पर निर्णय के करने कई तरीके होते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन की स्वस्थ पर-म्पराए भारतवर्ष के सामने और राजस्थान के सामने जितनी आएंगी उतनी ही हमारी सबकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

जहां तक डेमोक्रेसी के फॉर्म और कन्टेंट सवाल है, विभिन्न पार्टियों के अलग अलग तरीके सोचने के इस बारे में हो सकते हैं। मैं समझतां हूं कि इस पार्टी का प्रश्न है, जो परम्पराएं ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के द्वारा डाली गई हैं और हमारे देश में पिछले वर्षों से पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के नेतृत्व के अन्दर जो परम्पराएं डाली गई हैं, उन पर-म्पराओं को ही हम मानकर आगे चलना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए उससे स्वस्थ्य हमारे सामने उदाहरण नहीं हो सकते। उन उदाहरणों को हमारी यह पार्टी मानती रही है और मानकर आगे चलेगी और अलग अलग कन्टेन्ट्स और अलग अलग जैसे मैंने कहा, व्याख्याएं हो सकती हैं लेकिन हमारी जो व्याख्याएं चली आ रही हैं परम्पराओं की, उनके अनुकूल बहुत सी कार्यवाहियां

Page No. 43

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करनी होगी जिससे हम बहुत सी चीजों में उलझें नहीं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इस मामले में कि आसन को जिस सहयोग, की आवश्यकता होगी, जिस सम्मान की आवश्यकता होगी, सदैव प्राप्त होता रहेगा, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपकी तरफ से खेद नहीं प्रकट किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात शुरू में रखी और उस विषय पर मुख्य मंत्री जी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, मैं इस समय कोई विस्तार से चर्चा और किसी विशेष घटनाओं की नहीं करना चाहूंगा। तारीख ७ को कुछ घटनाएं हुईं, इन घटनाओं का क्रम था और अगर आज हम बैठकर विचार करें कि किस व्यक्ति या व्यक्तियों कि कितनी गलती थी, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तारीख ७ से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुईं। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की तरफ से, माननीय विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो आश्वासन दिये गये हैं, वे बहुत स्वागतयोग्य हैं और मैं तो यही आशा करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो किसी भी ओर बैठे हों पक्ष या विपक्ष में, विचार व्यक्त किये उन पर गम्भीरता से मनन करेंगे और अपने संसदीय आचरण से ऐसी आदर्श स्थिति पैदा करेंगे कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक समाजवाद हम कायम करना चाहते हैं, वह एक अच्छे ढंग से कायम हो सके। अब एक माननीय सदस्य ने कहा कि डेमाक्रेसी के फॉर्म और कंटेन्ट में फर्क है, उस बारे में इस समय चर्चा विस्तार से की जाय, यह आवश्यक नहीं है। विभिन्न पार्टियों के मत हैं। सरकार की किसी नीति पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम काफी अनुभव है, हमें संविधान के अंतर्गत, हमारे नियमों के अन्दर काफी आदेश हैं कि हमें यह पता लगा सकेंगे कि हम अपने संविधान के अन्तर्गत जो हमारे देश में प्रजातंत्र कायम कर रहे हैं उसका किस तरह से संचालन किया जाय। इसलिए माननीय सदस्यों से अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सब बातों का हमारे नियमों का, हमारे संविधान का, हमारी परम्पराओं का जिनका उल्लेख किया गया उस पर दृढ़ता से विचार करें कि किस तरह से सदन में कार्य करें जिससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़े और हमारे देश में सही माने में प्रजातन्त्र की नीव लग सके। अब सदन की आगे की कार्य चलेगी।

स्थगन प्रस्ताव

जैसलमेर जिले के लानोला गांव के किसानों की बेदखली के सम्बन्ध में उपमंत्री, राजस्व का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव आए हैं. विशेष रूप से जैसलमेर जिले लनोला गांव में, कुछ किसान बेदखल किए गए। उस सम्बन्ध में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों नी सूचना की है :

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री केदारनाथ ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (विभाजन संख्या ६३)

सरकारी पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण किया जाय ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह मामला तो सबजुडिस है ।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास जो भी तथ्य हैं, कृपया रखें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय मुझे वहां जाने पर जो मेरे सामने तथ्य आए उनके आधार पर मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं । लनोला एक मौजा है तहसील जैसलमेर में, जहां एक खड़ीन है, उसमें कहा जाता है कि कुछ काश्तकार हमेशा से करते आए हैं और उसी के आधार पर उन्होंने इस साल भी फसल बोई । फसल बोने पर उनके अनुसार यह कहा जाता है कि श्री हुकमसिंह के आदमियों ने उस फसल पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयत्न किया । दोनों पक्ष पुलिस में पहुंच गए और इसी मामले को लेकर १४५ की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । १४५ जाब्ता फौज़दारी कार्यवाही में प्रिलिमिनरी आर्डर के साथ ही साथ उसके ऊपर इन्टेरिम अटेचमेंट आर्डर दियाग या और तहसीलदार, जैसलमेर रिसीवर कायम किया गया ।

दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन समरी सेटलमेंट और दूसरे रेकार्डस के आधार पर उनकी है और उन्होंने इसके ऊपर फसल जब बरसात हुई बोने का प्रयत्न किया । इस पर यह फिसाद शुरू हुई और उन्होंने भी १४५ की कार्यवाही के लिए प्रार्थना की और यहां से इंटेरिम एटेचमेंट आर्डर हो जाने के बाद उनकी तरफ से डिस्ट्रक्ट कोर्ट, जोधपुर के अन्दर एक रिवीजन फाइल किया गया और उसमें इस प्रकार के आदेश अदालत के हुए कि तारीख २२-८-६४ तक एस. डी. एम. जो उस मामले की एन्क्वायरी कर रहे थे, वह उस मामले में कोई हुक्म न दे ।

इस वजह से स्थिति ऐसी हो गई कि एन्क्वायरी हो जाने के बावजूद भी स्थगन आदेश की वजह से एस. डी. एम. चाहे इस तरफ या चाहे उस तरफ आदेश नहीं दे सकता था ।

इसी बीच में माणिकलालजी वर्मा ने एक पत्र लिखा और इसके आधार पर वे चाहते थे कि किसानों पर ज्यादतियां हो रही हैं इसलिए किसानों को बदस्तूर जमीन पर खेती करने दिया जाय । चूंकि खेती करने के सम्बन्ध में अदालत अटेचमेन्ट का हुक्म हो जाने के कारण अड़चन थी और इस कारण वहां कुछ मूवमेन्ट वहां प्रारम्भ होने वाला था । इसी दौरान में मैं वहां ७ तारीख को गया और ८ को उभय पक्षों से मिला और उभय पक्षों से मिल कर शान्तिपूर्वक इस बात का फैसला किया गया कि जो १६ किसान इस मामले से सम्बन्धित थे और जिनके मामले अदालत में चल रहे थे उनको आपसी फैसले के अनुसार खातेदारी के अधिकार दे दिये जांय और खातेदारी के अधिकार के साथ-साथ जो कम्पन्सेशन नियमानुसार श्री हुकमसिंहजी को दिलाया जा सकता है वह भी हुकमसिंहजी ने छोड़ दिया था । इस तरह से जो किसान इससे सम्बन्धित

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है उनको बिना मुआवजा खातेदारी राइट्स देने की बात आपसी समझौते से तय हो गई और चूंकि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कौर्ट से स्टे ऑर्डर है, अदालत से कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता है लेकिन अदालत से बाहर इस प्रकार का समझौता हो गया और जो सत्याग्रह ६ तारीख को होने वाला था वह इस समझौते के कारण नहीं हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, लनोला कांग्रेसी मेम्बर का गांव है और उनकी ओर से किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और उससे प्रेरित होकर वर्मा साहब भी सत्याग्रह करने के लिए तैयार हुए हैं। लनोला के जागीरदार के आदमी पहुंचे और किसानों की खड़ी फसलों को बरबाद कर दिया, उनके साथ मारपीट की....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ट्रेक्टर उसी समय कुर्की में ले लिया। फिर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आदेश से जमानत पर छोड़ा गया। यह कहा जाय कि ट्रेक्टर चलाकर किसानों की फसलों को बरबाद कर रहे हैं यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक जागीरदार द्वारा अत्याचार हो रहे हैं और मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आपसी समझौता इसलिए कराया कि वह कांग्रेसी मेम्बर है और माणिकलालजी ने आन्दोलन के करने के लिए डेरे डाल दिये हैं। क्या मैं यह समझूं कि कांग्रेसी एम० एल० ए० को बचाने के लिए, जागीरदार को बचाने के लिए यह टेम्पो बनाया है ? अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा सदन गम्भीरता से जांच करें और ऐसे जागीरदार जिन्होंने जुल्म किये हैं, गरीबों को परेशान किया है, जिनकी खड़ी फसलों को बरबाद कर दिया गया है, उनसे उनका मुआवजा दिलाया जाय और बुनियादी तरीके से किसानों को जो दुख है उनको दूर किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय,

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, आप कहे उससे पहले मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह मामला अदालत के बाहर समझौते के तौर पर तय किया गया है लेकिन यह मामला अदालत के विचाराधीन होने की परिभाषा में तो अवश्य आता है इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा अपने वक्तव्यों में इस प्रकार के विचार न व्यक्त किये जायं जो सीमा से बाहर हों तो, अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना आज की नही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपको अदालत के मामले में पड़ना ही नहीं चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ के सम्बन्ध में मामला आया था कि किसानों से १५ गुना तावान, पेनल्टी गलत वसूल की गई थी और अध्यक्ष महोदय ने भी जानकारी चाही थी। जहां आप १॥ गुना, ६ गुना और १५ गुना तावान काश्त-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारों से गैरवाजिब ढंग से वसूल करते हैं वहां तो आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोर्ट में मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में मामला चल रहा है आप ७ तारीख को वहां क्यों भागे ? आपने यहां जाकर इस मामले में क्यों हस्तक्षेप किया ? और हस्तक्षेप किया तो आपने काश्तकारों के कब्जे को सही माना। काश्तकारों के कब्जे को आपने सही माना कि वे काश्त करते आ रहे हैं उनके खातेदारी राइट्स हैं। जब उनके खातेदारी राइट्स हैं और आपने उनको माना है तो उन काश्तकारों को खातेदारी से इजेक्ट करने वाले आदमी के खिलाफ आपने कौनसी कार्यवाही की ? कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए कि कांग्रेसी मेम्बर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय खातेदारी के अधिकार किसको हैं और किसको नहीं हैं कह प्रश्न मेरे सामने नहीं था। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि आपसी समझौते के अनुसार यह फैसला हुआ है। १६ किसान जो उसमें सम्बन्धित हैं, उस जमीन के खातेदार होंगे और खातेदारी दर्ज करायेंगे दूसरे पक्ष के जिन्होंने मुकदमे चलाये थे और उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है। आउट साइड दी कोर्ट फैसला हुआ है। हमने कोई इन्टरफियर करने की कोशिश नहीं की। जो समस्या उलझी हुई थी वह आपसी समझौते के आधार पर यदि सुलझ गयी तो क्या गलत हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, १६५७ में समरी सेटलमेन्ट हुआ। उस वक्त काश्तकारों ने रिप्रेजेन्टेशन किये कि गिरदवरियां वगैराह गलत इन्द्राज की जा रही हैं और बेदखली की साजिश की जा रही है। श्री उमरावसिंहजी ने एक प्रश्न पूछा था तो उस समय सदन में उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार की बेदखली जागीरदार द्वारा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में उस इलाके में गिरदावरियां दर्ज नहीं की जाती थीं समरी सेटलमेंट के टाइम पर। माननीय हुक्मसिंहजी ने हजारों, सैंकड़ों काश्तकारों को बेदखल करने के लिए साजिश कर ली थी और नौकरनामा लिखाने की कार्यवाही आज से नहीं काफी समय पूर्व से चलाई जा रही थी, काफी समय पहले से यह जारी थी। इस पर काफी रिप्रेजेन्टेशन हुए। १२-१३ तारीख को बिजाई करने के बाद २१ तारीख को जागीरदार ट्रेक्टर लेकर पहुंचे। स्थिति गम्भीर थी। यह स्थिति मौजूद थी कि जागीरदार साजिश करते चले आ रहे थे, समरी सेटलमेन्ट पर गिरदावरी नहीं इन्द्राज करने दी गई और यह तीन चार साल से स्थिति चली आ रही थी। सन् ५७ से चली आ रही है। यह जो ड्रामा मेल मुलाकात का किया गया है आखिर इसमें क्या तथ्य है ? तीन साल पहले सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया जब कि गिरदावरियां की जा रही थीं और इन्द्राज नहीं हो दिये जा रहे थे। पिछले वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया ? माणिक्यलालजी वर्मा ने सत्याग्रह करने की धमकी दी जब आंखें खुलीं। मरने वाले भी कांग्रेसी और मारने वाले भी कांग्रेसी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करीब की लाश और गरीब की छुरी। जब यह स्थिति पैदा हुई तो माननीय मंत्रीजी पहुंचे वहां।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के इजेक्शन्स सारे राजस्थान में हो रहे हैं। अनूपगढ़ के अन्दर इंजेक्शन हुए हैं। मंत्री महोदय ने बहाना बना लिया कि वहां तो बाढ़ आगई। राजस्थान केनाल में इजेक्शन हुए हैं वहां क्यों नहीं गये? मैंने उनको पत्र लिखा लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। गंग केनाल में इंजेक्शन हुए और अधिकारियों ने समरियां फाड़ दीं। मंत्री महोदय को याद होगा कि सरदारगढ़ के सम्बन्ध में एक फाइल में से कागज फाड़ कर फेंक दिया गया और सरदारगढ़ का एक काश्तकार उसको लेकर उनके पास पहुंचा था। यह तो स्थिति है। वहां तो मंत्री महोदय पहुंचते नहीं है और तीन साल बाद जब काश्तकारों के ऊपर इस प्रकार की भयंकर ज्यादतियां होती रहीं और बार बार रिप्रेजेन्टेशन्स दिये जाते रहे लेकिन पहूंचे नहीं और तब पहुंचे तब कि माणिक्यलालजी सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। सत्याग्रह की घोषणा होती है माणिक्यलालजी के द्वारा तो मंत्री महोदय पहुंचते हैं। हुक्म सिंहजी के ट्रेक्टर वहां पर काश्तकारों की खड़ी फसलों को बरबाद कर दें और आप इस प्रकार के कांग्रेस के मेम्बर को बचाने के लिए पहुंच जायं। सागरमल गोपा को जिन्दा जलाने वाले परिवार के लोगों को बचाने के लिए आप पहुंच जायं। इस प्रकार काएक ड्रामा खेला जाय। आप के इस ड्रामे से संतोष किसानों को नहीं होने वाला है।

क्या आपने उनके हथकड़ियां पहनाई है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिस तत्वरता से लनोला गांव में पहुंचे उसी तत्वरता के साथ हजारों किसान बेदखल हुए हैं ऐसे इलाकों में भी वही तत्परता दिखावेंगे और जाकर किसानों को अपना हक दिलवायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं दो स्पष्टीकरण माननीय उप मंत्री महोदय द्वारा कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और आसन से यह प्रार्थना करूंगा कि जब मामला सब जुडिस है उस मामले के बारे में बहस नहीं की जानी चाहिये। वैसे उपमंत्री महोदय बड़ी सद्भावना के साथ वहां पर जाकर के राजीनामा करवाने की चेष्टा करते हैं। जिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिये उनके बारे में उनके कहने के अनुसार प्राइवेट राजीनामा करवाया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार सब जुडिस मामले में, माननीय मंत्री महोदय, चाहे किसी सद्भावना के साथ राजीनामा करवाने की चेष्टा करते हों उस आधार पर अदालत के प्रेजुडिस होने का खतरा है। उदाहरण की तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस राजीनामे के आधार पर पर उपमंत्री महोदय को बताना चाहिये कि जो केसेज १४५ के अन्तर्गत चल रहे हैं सेशन्स कोर्ट में जिनकी निगरानी हुई है।

Page No. 48

(श्री दुर्गालाल बादद्दार)

पैनल ऑफेन्स कमिट कर दिया गया चालान इत्यादि पेश हो गये वैसी हालत में राजीनामा क्या मान्यता रखता है ? राजीनामे के आधार पर कानून जो रास्ता लेना चाहता है उससे कार्यवाही पर प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं हैं नहीं है माननीय मंत्री महोदय दुबारा इस प्रकार की चेष्टा नहीं करेंगे। मेरा मंत्री महोदयों से नम्र निवेदन है कि जो मामले सबजुडिस हैं उनके बारे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उन तथ्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि काश्तकारों ने रखे। अभी जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया उनके खातेदारी हक वहां पर थे। ये जागीरदार साहब १९५७-५८-५९ तक लगातार वहां के काश्तकारों से छठा बांटा वसूल करते रहे हैं उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उनका चालान करने के लिये जो उन्होंने नाजायज कार्यवाही की है उसके लिये तैयार हैं ?

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बेदखली का जो मामला है वह अकेला वहां ही हो यह बात नहीं। ऐसे लाखों की तादाद में मामले राजस्थान में है। सरकार खुद कर रही है। क्या वहां पर भी माननीय मंत्री महोदय आपस में फैसला करवाने के लिये तैयार हैं ? कसोणिया के अन्दर सैकड़ों किसानों को जमीन से बेदखल किया गया हजारों रुपये की पेनल्टी लगाई गई, आज दिन तक कोई समझौता सरकार ने नहीं किया। उनसे बराबर तीन चार हजार रुपया पेनल्टी का वसूल किया गया। जहां कांग्रेसी-नेता सत्याग्रह करने की बात करते हैं वहां पर उनकी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये सरकार जाकर फैसला कर सकती है। लेकिन जहां के लिये विरोधी पक्ष के लोग कहेंगे वहां जाकर फैसला करवाने की चेष्टा नहीं करेंगे। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि यह मामला केवल जैसलमेर का ही नहीं है सभी जगह इस तरह के सैकड़ों की तादाद में मामले हैं उनमें भी खातेदारी हक दिलवाने का प्रयत्न किया जावे। जिन लोगों ने मारपीट की और ट्रेक्टर चलाये हैं उन पर फौजदारी मुकदमें चलाये जावें जो छठा बांटा किसानों से लिया गया है वह वापिस दिलाया जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से दो जानकारी चाहता हूं। जो सेटलमेंट किया है राजीनामे के जरिये खातेदारी राइट्स बाद में देदिये जावेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजीनामा जो किया गया है वह टूट न जाय इसके लिये उन्होंने क्या स्टेप्स लिये हैं ? केसेज के खत्म होने के बाद में झगड़ा चलता रहा तो उसके सेफगार्ड के लिये आप क्या करेंगे ?

समरी सेटलमेन्ट के आधार पर जिन्होंने गलत रेकर्ड बनाया है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके साथ यह भी पूछ लीजिये जिस आदमी ने करवाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? Congress consists of profiteers, hoarders, blackmarketeers and evictors.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राजीनामा जो करवाया है क्या लिखित में ले लिया है इसकी भी जानकारी दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजीनामा दोनों के दरमियान में हुआ है। अधिकारों के ऊपर मुकदमा चल रहा है इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि बाद में बदल जायेंगे तो क्या होगा इसके लिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आपस में लिखा पढ़ी हो गई है और दस्तखत हो गये हैं। आपस में जो समझौता हुआ है उस पर विश्वास रखिये समझौता भंग नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय उप मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने जो पर्सनल जानकारी की है उसके आधार पर वे क्या यह बता सकते हैं कि वास्तव में काश्तकार उस जमीन पर काश्त करते रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला अदालत में है। अदालत किस नतीजे पर पहुंचेगी यह तो वह मेरिट्स डिमेरिट्स के आधार इन्क्वायरी करके तय करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो फैसला कराया गया है उसके अनुसार किसानों को हक मिलेगा और जिस व्यक्ति ने क्रिमनल ट्रेसपास किया है? क्रिमनल ऑफेन्स किया है सरकार की तरफ से इनीशियेटिव लेकर उनको प्रोसीक्यूट करेंगे ? इस समझौते की वजह से किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा जिससे वे समझौते को वायोलेट न कर सकें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १४५ की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। पुलिस और हुक्मसिंह जी की तरफ से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १४५, ४४७ ४४८ के अन्तर्गत क्रिमनल ट्रेसपास है। यह साफ जाहिर है कि उन्होंने जबरदस्ती ट्रेक्टर उतारा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सब चीजें एन्क्वायरी और जुडिशियल डिसीजन्स की है।

श्री योगेन्द्रसिंह हांडा : और जो छठा हिस्सा, अध्यक्ष महोदय, वसूल करते रहे वह वापिस दिलाया जावेगा कि नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारा कर्तव्य है कि हम यह देखें और उसके अनुरूप कार्य करें कि यह सरकार जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित सरकार है। तो यह रूल ऑफ ला का क्वेश्चन है। और जो सदन की समस्या है वह ऐसी है कि जो काबिल समाअत है उस पर आधारित है एमीनेन्टली जस्टिसेबल इश्यू है उस इश्यू पर प्री-जज करके यहां पर हम वाद-विवाद करें तो यह मेरे खयाल में सदन की प्रतिष्ठा के विपरित होगा। मैं यह बात कभी एक क्षण के

(श्री माहारावल लक्ष्मणसिंह)

लिये भी इससे नहीं कहना चाहता कि अगर श्री हुकमसिंह जी की तरफ से कोई ज्यादती हुई है तो उनको छोड़ा जावे। उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जावे और जिन काश्तकारों के हक हुकमसिंहजी के द्वारा कुचले गये हैं उनको पूरा इन्साफ दिया जावे। लेकिन जब एक मामला अदालत में विचाराधीन है तब हम उस पर यहां पर अपनी राय प्रकट करें तो मेरे खयाल में यह कतई अशोभनीय और अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं तो इसमें आगे एक कदम भी जाने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is the difference between the form and 'content.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि शायद सरकार ने माणिकलाल जी वर्मा की धमकी के द्वारा डर कर ताबड़तोड़ वहां पर जाकर हुकमसिंहजी को आमादा कर के इस मामले को रफा-दफा करने की चेष्टा की है। अगर इस तरह की धमकियों के द्वारा भविष्य में बार बार दखल करेंगे तो जनतन्त्र-वाद, मेरे खयाल में नष्ट हो जावेगा। तो इस पहलू के दोनों पक्ष हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे जन तन्त्र मजबूत होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: संतुलन के साथ विचार करें और फिर छानबीन के द्वारा न्याय करें। फिर जो कुछ भी वह न्याय हो अदालत के फैसले के द्वारा हो। मान लिया जावे थोड़ी देर के लिये कि वह विपरीत होगा। तो मैं तो इतना तक कहने को तैयार हूँ कि अगर हुकमसिंहजी के फेवर में न भी वह फैसला हो तो भी हुकमसिंहजी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो कुछ भी फैसला आउट आफ दी कोर्ट उन्होंने किया है, वे उससे बदल सकें। वह तो सर्कम्सटान्सेज हैं जिन्होंने मामले को ऐसा पलटा दिया। इस सम्बन्ध में इस तरीके से न्याय बराबर रूप से नहीं हो सकता। तो हमको भी समझना चाहिये कि किस हद तक हम जाकर इस मामले में बहस करें यहां पर जो कि मामला आलरेडी सब-जूडिस है। इसमें सही तरीके से इन्साफ हो और अगर हुकमसिंहजी कसूरवार हों तो उनको सजा दी जावे। पर यह इश्यू सब-जुडिस है इस पर यहां बहस करें यह मेरे खयाल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कोशिश करें तो वे आपकी पार्टी जॉइन कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : धारा १४५ के तहत माननीय उपमंत्रीजी ने संकेत किया है कि ज़ाब्ता फौजदारी की कार्यवाही चल रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि जिस वक्त में इनका आपसी फैसला हो गया उस वक्त ही वे दोनों पार्टी अदालत के समक्ष अपनी दर्ख्वास्तें पेश कर सकती थी। आज तक लिंगर करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी विवाद हो निश्चत रूप से १४५ तहत अगर आपसी राजीनामे की दर्ख्वास्त दे देते हैं तो केस अदालत उसी वक्त समाप्त कर देती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कल इतवार था, आज पेश करेंगे करीब-करीब।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह संकेत है। राजीनामा स्वीकार ही हो सकता है। अस्वीकार करने की अदालत को कहीं अधिकार नहीं है। पर निवेदन करना चाहता हूं कि लनोला में सत्याग्रह की धमकी दी गई और माणिकलालजी वर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ सत्याग्रह प्रारम्भ किया जाने वाला था। ये घटनाएं सरकार के लिए और खासकर के मुख्यमंत्रीजी के लिये विचारणीय हैं की जिनके शासन में उनकी शासन को असफलताओं और खराबियों से हैरान होकर उन्हीं के राजनैतिक गुरू को भी उनके शासन के खिलाफ सत्याग्रह आन्दोलन करने के लिये बाध्य होना पड़ा, और केबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, विकास को विकास कार्यों में प्रगति न होने के लिए और इस शासन में बरते जाने वाले इनजस्टिस के खिलाफ में इस्तीफे भी देने पड़े, त्याग पत्र देना पड़ा। ये सारी घटनाएं मुख्यमन्त्रीजी के लिये विचारणीय हैं कि उनका शासन किस तरह से चल रहा है और कैसे चलेगा? आपके शासन से आपके खुद राजनैतिक गुरू को सन्तोष नहीं है, न साधारण सदस्यों को है और न विरोधी पक्ष में बैठने वालों को है। आपके शासन से सभी त्रस्त हैं। मानिकलालजी वर्मा वहां सत्याग्रह करने पहुंच गये, उनके पीछे-पीछे आपके डिप्टी मिनिस्टर को आपको भेजना पड़ा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप द्वारा अगर इन बातों से कोई जनरल निष्कर्ष न निकाला जावे, कोई शिक्षा न ग्रहण की जावे इससे मुझे तात्पर्य नहीं। आपके द्वारा जैसलमेर जिले के जो गांव वहां से निकाल कर बीकानेर जिले में डाले गए हैं तो उनको लेकर हमारे सैटलमेंट को रिवाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें काश्तकारों के हकों को मारा गया है। उनके करेक्ट तरीके से एन्ट्री रेकार्ड नहीं की गई है। इसलिये निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये वहां समरी सैटलमेंट हुआ है वह वास्तविक अधिकारी के द्वारा रेकार्ड नहीं किया गया है तो उनकी दुबारा जांच कराई जावे और नये सिरे से रेकार्ड तैयार कराया जावे। और जो काश्तकार ५५ में काबिज थे वहां जमीनों पर उनको खातेदारी हकूक दिये जावें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसलमेर में समरी सैटलमेंट की बात कही गई और रेगुलर सैटलमेंट प्रारम्भ कराये जाने का कहा। तो यह काफी हिस्से का हो भी चुका है और बाकी कुछ का हो रहा है।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : हम यह जानना चाहेंगे कि आप वहां पर गये तो आपको यह तो पता लगा होगा कि समरी सैटलमेंट के अनुसार उस जमीन पर कब्जा किसानों का था या हुकमसिंहजी का था, तो एन्क्वायरी करने के बाद आप किस निर्णय पर पहुंचे ताकि सच बात हम भी बता सकें? नहीं तो सिर्फ जैसे कई कम्युनिस्ट पार्टी वाले मामूली सी बात पर हमला कर बैठते हैं और नये क्रान्तिकारी विचार लाने की बात करते हैं। कहते हैं शोषण हो गया। जागीरदारी बदली जानी चाहिये, हुकमसिंह को सजा देनी चाहिये, तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि होल राजस्थान में ऐसी हालत नहीं है। एक्सीडेन्टली कहीं एक जगह कोई बात हो गई है

(श्री दलपतसिंह)

तो उसका मामला न्यायालय में चल रहा है। वहां से जजमेंट से पता लग जावेगा। तो ऐसी हालत में मन्त्री महोदय यह कह दें कि उनकी जांच के आधार पर वे किस निर्णय पर पहुंचे ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो सके। हुकमसिंहजी के नाम पर ही यह कह देना कि जागीरदार तो ऐसे हैं, एक दम जागीरदार ने काश्तकारों के साथ अन्याय कर दिया। यह उतम रहा कि माणिकलालजी वर्मा ने शान्ति से डेमोक्रेसी के फण्डामेन्टल तरीके से इस झगड़े को निपटा दिया बीच में पड़ कर। मैं इस के लिये वर्माजी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वहां जैसा माननीय सदस्यों ने बताया तीन चार साल से चले आ रहे अशान्तपूर्ण समस्या को शान्ति से निपटा दिया काश्तकार और हुकमसिंहजी के बीच में राजीनामा करा दिया। आज तो पुराने जागीरदार के नाम से लोग भड़क जाते हैं और फौरन कह बैठते हैं कि काश्तकारों के साथ अन्याय हो गया। मैं यह ठीक समझूंगा कि अगर वहां का सैटलमेन्ट नहीं हुआ है तो वह ठीक तरह से हो। अगर काश्तकारों का हक होते हुए हुकमसिंह ने जबर्दस्ती कब्जा किया है तो जरूर उन्हें दण्ड देना चाहिये। पर यह निर्णय न्यायालय से होना चाहिये। पर अब खातेदारी का राइट रेकार्ड देखने पर किसका है इस और उपमन्त्री महोदय ने कोई संकेत नहीं किया है। जब तक यह नहीं पता लगेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन कसूरवार है। और पता नहीं होते हुए भी फौरन फ्यूडेलिज्म के नाम पर शोर मचाना शुरु कर देते हैं। न्याय का विचार किये बगैर कहना शुरु कर देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उधर बैठे हैं, तब तक चिन्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष : वे वहां जांच करने गये हैं, कौन सही है कौन गलत है वे इसका फैसला करने वहां नहीं गये। न इसका उनको अधिकार था। अदालत में इसके लिये केस पेश है। बाहरी तरीके से विभिन्न पार्टियों में जो समझौता हुआ है उसकी सूचना मात्र उन्होंने सदन में रखी है। इसलिये उनको बाध्य करना कि वे बतावें कि रेकार्ड के आधार पर वहां किसका कब्जा था, क्या स्थिति थी सैटलमेन्ट की यह उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ स्थगन प्रस्ताव की जो सूचना आई है मैं उसको अस्वीकार करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

श्री फतहसिंह (चोहटन): अध्यक्ष महोदय, भूस्वामियों को नेहरू अवार्ड के अनुसार राशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में मैं एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर विकास मण्डल द्वारा सन् १९६० में प्रकाशित बस्ती सीतारामपुरा की योजना को पूरी तौर से कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में मैं एक याचिका का उपास्थापन करता हूं।

६.५८ म. पू.

विधायी कार्य

राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४

श्री अध्यक्ष : अब राजस्थान फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्पलॉइज (एग्जम्पशन फ्रॉम लेबर लॉज़) बिल, १९६४ पर विचार होगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वे सहमत हों तो बहस की व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि १२ बजे तक इस विधेयक को पारित करने के लिये जो भी प्रक्रिया आवश्यक हो समाप्त कर ली जावे और इसके पश्चात् राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज का समय खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये निर्धारित था तो इस बिल को पारित करने में जो समय लगेगा १२ बजे तक का वह समय क्या फिर आगे इसके लिये मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : इसका निर्णय बाद में कर दिया जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल झगड़ा इन्हीं से शुरु हुआ था और आज फिर....

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार का नाम कल लिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही तो झगड़े की जड़ थी, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : (श्री ज्वालाप्रसाद के लिए) दो मिनिट बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्पलॉईज़ (एग्ज़म्पशन फ्रॉम लेबर लॉज़) बिल, १९६४ पर पहले से ही सदन में चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल आता है कि सरकार ऐसे आदमियों को राहत पहुंचाना चाहती है जो कि दुखी हैं और जिनके इलाके में कहर पड़ गया है, अकाल पड़ गया है और उन लोगों को किसी प्रकार का धंधा देकर उनको कुछ कमाई का सिलसिला मुहैय्या किया जाये— जहां तक यह सिद्धान्त है वहां तक मैं सरकार की सराहना करता हूं कि वास्तव में उन लोगों को जो दुखी हैं राहत पहुंचाने के लिए सरकार उत्सुक है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल आता है कि इस फेमिन रिलीफ एक्ट के अमेन्डमेन्ट के द्वारा इस बात की कोशिश की जाय कि उन मजदूरों को तमाम अधिकार जो कि कानूनों द्वारा उनको दिये गये हैं उनको पामाल कर दिया जाय, यह किसी भी प्रकार से सैद्धांतिक नहीं हो सकता। यह माना जा सकता है कि फेमीन रिलीफ वर्क्स करने के लिए कुछ मातायें और बहनें भी वहां पर काम पर जाती हैं और उस समय उनको बच्चा पैदा हो तो क्या सरकार इस बात से इन्कार करती है कि उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिये जायें ? अध्यक्ष महोदय, यह भी मानी हुई

Page No. 54

(श्री अब्दुल जब्बार)

बात है कि काम करते हुए कोई मजदूर की गैंती, कुदाली या और किसी चीज से पैर की हड्डी टूट जाती है या सामने वाले मजदूर की ऊंगली टूट जाती है या मिट्टी का ढेर खोदते हुए उसके ऊपर मिट्टी गिर जाती है या कहीं पर पानी एकदम लीक करके फ्लड के रूप में किसी मजदूर को बहाकर ले जाता है तो क्या सरकार इस बात से इन्कार करती है कि उसके लिए किसी प्रकार का कम्पन्सेशन न दिया जाये ? वह मजदूर जिसको देश की राजनैतिक प्रणालियों के आधार पर, विधान के आधार पर और नेचुरल जस्टिस के आधार पर कुछ अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को कानून के द्वारा छीन लिये जायें ? अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सुप्रीम कोर्ट की एक दो रूलिंग्स सदन के समक्ष पेश करता हूँ और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, और मैं गवर्नमेन्ट को आपके द्वारा इस बात के लिए राय देता हूँ कि कम से कम जनतन्त्र की प्रणाली को मानने वाले और इन १७ वर्ष को पूरा करने वाली आजाद सरकार को कोई भी ऐसा नियम नहीं लाना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी देश, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी, हमारे ऊपर टीका न कर सकें कि मजदूरों के लिए इस प्रकार के दकियानूसी कानून लाये । अगर मजदूर राहत मांगते हैं और राहत उनको न दीजाये इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, ए. आई आर. १९५८ सुप्रीम कोर्ट पेज ३० पर कोटा की हुई एक रूलिंग है उसको पूरा न पढ़कर खास खास मुद्दे की बातों को ही कहूंगा। यह एक केस है जिसमें इस बात की कोशिश की गई है कि मजदूरों को राहत न दी जाये । यह यह है "Crown Aluminium Works Vs. Their Workmen".

इस प्रकार यह सुप्रीम कोर्ट में केस गया और इस केस में उसकी फाइंडिंग्स इस प्रकार से हैं: "It is obvious that co-operation between capital and labour would lead to more production and that naturally helps national economy and progress."

कितने शानदार तरीके से ३ लाइनें दी हैं कि अगर मजदूरों के साथ में सरकार काम नहीं करती, सहयोग नहीं करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ही लेकिन मेरा स्वयं का तजुर्बा और दावा है कि वह सरकार किसी प्रकार से भी कामयाब नहीं हो सकती ।

१०.५ म. पू.

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

कोई भी डेवलपमेन्ट के वर्क्स पूरे नहीं हो सकते । यह बात ठीक है कि सरकार इस तरह से अपने पैसे बचाना चाहती है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अशर्फी लुटें और कोयलों पर मोहर, Penny wise and Pound foolish यह बात ठीक है । हजारों और लाखों रुपये आपके व्यक्तियों द्वारा हड़प लिए जाते हैं और मजदूरों की राहत के लिए सरकार को इतना दकियानूसी कानून लाना पड़ता है । अब मैं आगे पढ़ता हूँ :

"These categories are sometimes

Page No. 55

(श्री अब्दुल जब्बार)

described as living wage, fair wage and minimum wage. These terms, or their variants, the comfort or decency level, the subsistence level and the poverty or the floor level, cannot and do not mean the same thing in all countries nor even in different iudustries in the same country. It is very difficult to define or even to describe accurately the content of these different concepts."

अब सभापति महोदय, पेका डिफरेन्शियेट किया गया है। मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, मजदूर कुदाली चलाने के लिए जाता है, टेबल के सामने कुर्सी पर बैठने वाला भी मजदूर होता है वह किस बात के लिए जाता है? वह इसलिए जाता है कि वह कुछ पैसा कमाये और स्वयं को ज़िन्दा रखे, डिपेन्डेन्ट्स को ज़िन्दा रख सकें। साथ ही साथ, सभापति महोदय, उसको यह भी आवश्यकता होती है कि वह अपने अरमानों को किसी तरह से कुचलने न दें, अपने बच्चों को तालीम दिला सके। इसी तरह से, समापति महोदय, आगे इसमें दिया है :

"In deciding industrial disputes in regard to wage structure, one of the primary objectives is and has to be the restoration of peace and goodwill in the industry itself on a fair and just basis to be determined in the light of all relevant considerations. There is, however, one principle which admits of no exceptions. No industry has a right to exist..."

सभापति महोदय, यह लाइनें खास तौर से सुनने के काबिल हैं और उस गवर्नमेन्ट को निवेदन करता हूं कि कृपया इस ओर ध्यान दें कि कितनी सख्ती के साथ यह लाइनें लिखी गई हैं : "No industry has a right to exist unless it is able to pay its workman at least a bare minimum wage. It is quite likely that in underdeveloped countries, where un employment prevails on a vary large scale, unorganised labour may be available on starvation wages, but the employment of labour on starvation wages cannot be encouraged or favoured in a modern democratic welfare state."

सभापति महोदय, इस प्रकार खुले रूप से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में यह बताया गया है कि डेमोक्रेटिक और मोडर्न सोसाइटी को मानने वाली सरकार इस बात के लिए कोई कानून लाकर सदन में पास नहीं करवा सकती कि एक मजदूर जो फैक्टरी में काम करता है, कारखाने में काम करता है जिसके लिए सरकार ने पहले से ही नियम बना रखे हैं, लेबर ट्रिब्यूनल बैठा रखी है और अगर कोई मजदूर किसी प्रकार की शिकायत लेकर आता है तो उस फैक्टरी और कारखाने वाले को बाध्य किया जाता है कि तुम कम्पन्सेशन दो। फिर कानून के बनाने वाले और कानून को फोर्स में लाने वाले और कानून के आधार पर काम चलाने वाली सरकार इस किस्म का कोई भी अधिकार नहीं रखती जिसको हम नैतिकता से गिरा हुआ कहते हैं, जिसको हम अमानवीय कहते हैं। जो मजदूर

(श्री अब्दुल जब्बार)

काम कर रहा है वह अपने अधिकार मांगता है और उसको अधिकार नहीं दिये जायें तो ऐसा कानून आता है तो ऐसा कानून नहीं आ सकता। मजदूर को अपना अधिकार मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग पेश करता हूँ और यह बताना चाहता हूं कि जहां मजदूरों और किसानों के लिए हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने अपने प्राण दिये, गोलियों के शिकार बने और जेलों में सड़ सड़कर मर गए और जहां सोशियेलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का दावा किया जाता है किसी तरह से मजदूरों के गले पर छुरी नहीं चलाई जा सकती। इस रूलिंग के पहले बताना चाहता हूँ कि फेमीन रिलीफ वर्क्स के साथ में क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। मैं अजमेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूँ और वहां की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। एक नहीं, दो-दो और तीन-तीन व्यक्ति ऐसे महानुभाव हैं जो कि मिनिस्टर भी है और साथ ही साथ हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी हैं उस क्षेत्र में फेमीन रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं। महीने-महीने भर उनको पैसा नहीं दिया गया, फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं, मजदूरों से १६-१६ घन्टे काम लिया जाता है और इस तरह की मेरे पास जानकारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर जिले के इन तमाम मामलों की जांच की जाये और दोषी आदमियों के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे इसको डिक्टेटरशिप मानें या कुछ भी मानें लेकिन सरकार तभी कामयाब होगी और उसी समय कह सकेगी कि हमने नेहरू की आत्मा को शान्ति दी और नेहरू की एशेज़ जो खेतों में उड़ाई है उसकी शान्ति के लिए हमने काम किया। तो ऐसे दोषी और गलत आदमियों को चौपड़ के ऊपर खड़ा करके गोली का निशाना बना दें। वर्ना मैं कह सकता हूँ कि आपका यह प्रोटेक्शन देने का तरीका किसी भी सूरत में चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता इस देश में जैसा कि मैं आगे कहूं कि चरित्र-निर्माण की हालत यह कि चरित्र हमारा धरातल की ओर चला जा रहा है। चरित्र खत्म हो चुका है। देश के नाम को इस देश के अधिकारी आपकी सरकार होते हुए भी आपकी सरकार पर हंसते हैं। स्वयं आपके अधिकारी उसकी फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। अगर हमारी हुकुमत होती तो इस सदन में खुले रूप से मैं कह रहा हूं तो ऐसे अधिकारियों को संगीनों की नोक पर टांग कर देश के सामने खड़ा कर देते। वे इस देश के चरित्र का सत्यानाश कर रहे हैं, इस देश को नोचना चाहते हैं। हमारे दिल में इस तरह जलन पैदा होने के कारण यह सब कहना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि देश इनके रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकता है।

दूसरा रूलिंग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

कई माननीय सदस्य : रूलिंग तो बहुत से हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं आपके साथ में कोऑपरेट करता हूं कि वही रूलिंग दूंगा जिसमें कि वह रिमार्क्स होंगे। लेकिन हकीकत में रिमार्क्स खुल रहे हैं कि वह सरकार या एम्प्लॉयर जो मजदूरों को तनख्वाह देना चाहते हैं, मजदूरों को एन्गेज करना चाहते हैं वे मजदूरों की मजबूरी से नाजायज फायदा न

(श्री अब्दुल जब्बार)

उठाये। मजदूरों को एन्गेज करने के बाद मजदूरों पर लागू होने वाले तमाम कानूनों का पालन करेंगी और पूरे बेनिफिट्स दे।

एक विधान सभा का सदस्य किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं रख सकता है जब कि उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में एक व्यक्ति काम करे और उसको मेडिकल फेसिलिटी नहीं मिले तो एक एम० एल० ए० किसी भी तरह से ऊंचा मुंह करके जनता के सामने नहीं कह सकता है कि उसका इलाज करवाने के लिए सरकार पैसा देने को कहती है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात होगी। इस देश के मजदूर के लिए, ऐसे मजदूर के लिए जिस पर कि ईश्वरीय प्रकोप हुआ है, जिसके मकान पर पानी तक नहीं है। पानी की तो यह हालत है कि चाटसू में—जरा रोडवेज के मंत्री जी सुन लें—चाटसू में ५ पैसे में पीने के पानी गिलास मिला। मैं टोंक गया तो रास्ते में बच्चों को पानी पिलाने के लिए ५-५ पैसों में गिलास लेना पड़ा। मैं अन्दाजा लगा सकता हूँ कि यह तो चाटसू का ही मसला है लेकिन फेमीन में काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत होगी? वे पानी कैसे पीते होंगे, कहां नहाते होंगे, कहां कपड़े धोते होंगे मैं फेमीन कोड में एमेंडमेंट करने वाले, उनके अधिकारों को छीनने वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जाइये, देखिए कि मजदूरों के कपड़ों की क्या हालत है? उनके पास खड़े होकर उनके कपड़ों को सूंघिये कि उनमें बदबू आ रही या हीना और खश की खुशबू आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि देश के ८० फी सदी लोग किस तरह से रहते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ खुलकर विरोध कर सकता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह मसला केवल कानून पास करने का नहीं है, यह मसला केवल संशोधन पास करने का नहीं है, बल्कि मसला इन्सानियत के ऊपर हैवानियत को हावी करने का है। हमारा बस चलेगा तब तक इस हैवानियत को हावी नहीं होने देंगे इन्सानियत जिन्दा रखेंगे। ऐसी सूरत में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदय, मैं संक्षेप में इस अध्यादेश पर अपने विचार रख रहा था और उस सिलसिले में मैंने यह कहा था कि सदन में जिस ट्रेन्ड से डिसक्शन हो रहा है कानूनी हिसाब से उसके बजाय जो स्थिति की तरफ मैंने इशारा किया था और मैंने मुबारकबाद दिया था इस सरकार को कि कितना बड़ा दैवी प्रकोप था, किस तरह से राजस्थान के इतने बड़े हिस्से पर इतने लोग अभावग्रस्त थे वहां की व्यवस्था को सरकार ने, जो अचानक काम किया उसके लिए मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जायेगा।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्यों को काम देने का सवाल है वहां पर इस सरकार के सामने कानून की समस्या नहीं थी, बल्कि समस्या इस बात की थी कि इतने बड़े पैमाने पर यह चीज हो रही है तो वहां पर लोगों को किस तरह से रोटी पहुंचाई जाय, किस तरह से उनको अकाल का सामना करने के लिए ताकत दी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जाय। उनकी ताकत बनाने के लिए जीने के लिए कैसे राजस्थान के लोगों को सुविधा दी जाय। इस सम्बन्ध में मैं नहीं कहता कि कितना रुपया है इस सरकार के पास जो कि विरोधी लोग कहते हैं तो उनके दिल के अन्दर भी दर्द होगा कि मिनिमम वेजेज नहीं फेयर वेजेज, नहीं बल्कि लिविंग वेजेज यह सरकार दे सकती थी तो यह सरकार लिविंग वेजेज देती। लेकिन एक स्थिति का सामना सरकार ने किया। मैं और भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार अगर स्पष्ट रूप से इस सदन को विश्वास में लेती और सही तौर से यह कहती कि हमने जो कुछ काम किया है, जिस काम की प्रशंसा अमेरिका और दूसरे लोगों ने की और उनका सहयोग लेकर और केन्द्रीय सहायता लेकर जिस तरह से तत्परता से काम किया है उसके साथ मैं इस तरह से यह बात रह गई कि मिनिमम वेजेज एक्ट जो इस राजस्थान का कानून है उसकी जो धाराएं हैं उसके मुताबिक या उससे भी कहीं ज्यादा रिलीफ दिया गया होगा। पैसे की बात छोड़ दीजिये आप लोग डेढ़ रुपया मिनिमम वेजेज का है और महीने के ४५) रु. देने की बात है जिसकी मांग करके सहादत देकर अपने दिल का दर्द प्रकट करते हुए कानूनी सहारा लेकर जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो सस्ती पापुलेरिटी लेना चाहते हैं, उन लोगों को आंखों में अंगुली डालकर नहीं दिखाना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को रिलीफ पहुंचाया गया है। इस बात से इन्कार करना चाहते हैं विरोधी दल के लोग कि जो मिनिमम वेजेज में नहीं की जा सकती हैं सुविधाएं मुहैया उन अकाल-पीड़ित लोगों को जिस तरह का रिलेक्सेशन देकर इस सरकार ने सहायता पहुंचाई है, क्या कानूनी सवाल उठाकर उसको कटवाने के लिए मिनिमम वेजेज के कठोर कानून के अन्दर दबाना चाहते हैं। क्या उनको मिनिमम वेजेज के बजाय जो सरकार ने सुविधाएं दे दीं तो कोई गुनाह कर दिया? इस तरह से बेकार इस अध्यादेश का सहारा लेकर अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा हुई है तो क्या उस सरकार से इतना कराना चाहते हैं। एक साहब हैं कोई सम्माननीय सदस्य, कोई मामला हो, कोई बात हो, उनकी कोई पार्टी भी नहीं रही है। एक हो हैं, लेकिन वह साहब यहां नहीं हैं। वह एक ही बात कहते हैं मेरे मौला बुलाले मुझे पेकिंग। उनका गाना एक ही हो गया है। उससे जो स्थिति हो रही है उससे सरकार को आगाह करता हूं। और दूसरे साहब हैं वह भी उस चीज की वकालत करते हैं और कानून कोई निर्जीव चीज हो और मनुष्य की सेवा कानून का मकसद नहीं हो और उनका मकसद कानून के लफ्जों पर ही जीना हो उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। एक डबल पार्टी है उसको हाल देखेंगे तो वह कानूनी ढंग से ही उसको हल कराना चाहती है, लेकिन असलियत से उस मामले को देखा जाय और पूरी तरह से समझा जाय तो जो मैंने समझने की कोशिश की तो मैं यह समझता हूं कि यह सिद्धान्त मिनिमम वेजेज के तौर पर जो उसके घर में पहुंचाना चाहते है वह आज के व्यवहारिक ढंग से पहुंचा है कि नहीं, मैं इस बात से कन्विन्स हुआ, मैंने समझा है कि मिनिमम वेजेज़ लगा कर यदि मिनिमम वेजेज़ के हिसाब से सरकार पेमेन्ट करती तो अकाल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पीड़ित लोगों के साथ अन्याय होता। यदि मिनिमम वेजेज़ के जो लफ्ज़ी मायने हैं उनके अनुसार सरकार या उसके अफसर चलते तो उन लोगों के साथ अन्याय होता। आप टेम्परेरी लेबर एम्पलॉय करते हैं, जिनका वह काम नहीं है, ५५ साल की अवस्था के बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाता है वहां ६० और ७८ वर्ष की आयुवाले लोगों को, जिन्होंने इस तरह का कभी काम नहीं किया उनको भी राहत पहुंचाने के लिये यह काम दिया जाता है चाहे वे काम करें न करें उनको पेट भरने के लिये वेजेज़ देनी पड़ती हैं, बच्चों और औरतों को भी रोजी देनी पड़ती है। आप कहते हैं हर तरह से चक्कर में डाल कर कानून में फिट करके। मैं निश्चित दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अकाल से पीड़ित लोगों पर मिनिमम वेजेज़ लागू नहीं की जा सकती। सरकार ने जो कुछ किया है वह उनके साथ न्याय किया है, दया का व्यवहार किया गया है।

इसके साथ ही मैं कहूँगा कि आज वातावरण बनाते हैं कानून की बड़ी भारी अवहेलना करदी। हमारे मुख्य मंत्रीजी के मुंह से किसी रोज बात निकल गई तो पकड़ा कि करोड़ों रुपयों की सरकार को बचत हो गई। मैं आपके सामने फंडामेन्टल बात रखना चाहता हूं चेयरमैन महोदय,....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर।

श्री सभापति : देयर इज ए पोइन्ट ओफ ओर्डर।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय सदस्य इस बिल के संबंध में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is no point of order, Sir.

श्री सभापति:—Let me dispose of the point of order.

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय सदस्य ने ७ तारीख को अपना भाषण समाप्त कर दिया था। चेयर से उनके भाषण की समाप्ति के आदेश होकर अन्य माननीय सदस्य को बोलने का आदेश दे दिया था। फिर उसके बाद आज दुबारा वे कैसे बोल रहे हैं:...

श्री सभापति : Resume your seat please. Sri Jwala prasad to continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं फिस्कल, स्टेट फाइनेन्सेज के बारे में कहना चाहता हूं जो हर सदस्य के ध्यान में रहनी चाहिये। हम जब मांग करते हैं सुखाड़ियाजी से पैसे के लिये या गवर्नमेन्ट से तो उनके पास कोई बांस तो है नहीं कि आसमान से उसको डालकर उतार लायेंगे। हम पैसे की मांग करते हैं तो अपनी जनता से करते हैं, आप इस प्रकार की बात करते हैं जिससे मुझे लगता है कि आप किनारी बाजार में घूम रहे हैं। यदि इस सरकार की सुविधाजनक स्थिति है, सब कार्यों पर खर्च करने के बाद बचे तो आज देने को तैयार है लेकिन इसका असर किस पर पड़ने वाला है। यह पैसा किसी के घर से नहीं आने वाला है। यह किसान, मजदूर और आम जनता से आकर सरकार के कोफर में इकट्ठा होता है। आप अजीब तरह का रवैया अपना कर इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तरह का वातावरण बनाते हैं और छोटे से समुदाय में एक्सप्लोजन की भावना भर कर इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार कानून तोड़ती है। सरकार कानून पर चलती है तो आप और तरह से बात लाते हैं और यदि सरकार कानून के अलावा भी सही तरह से चलाना चाहती है तो आप कानून की बात छेड़ते हैं और अपनी मान्यता को सही बताकर कानून की आड़ लेते हैं। मैं यह कहूंगा विरोधी पक्ष से कि आप को सही दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

एक मिसाल आपके सामने है, सेन्टर ने अमेरिका से मंगाकर और जैसा भी बना उस तरह से जनता लिये के सारी फोर्सेज को मोबी लाइज करके अकाल पीड़ितों के लिये जो कुछ किया वह आज तक राजाओं के वक्त में और अंग्रेजी के वक्त में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ, जिस तरह से आज हुआ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां तक सदन का ताल्लुक है कई बातों की जोरों से चर्चा हुई। जो सही स्थिति है उसे लाकर सदन को देनी चाहिये। इस बात से इन्कार नहीं करना चाहिये। मिनिमम वेजेज़ कानून की बात लाकर कुछ लोग भभका उठाना चाहते हैं। मिनिमम वेजेज़ अकाल पीड़ियों के लिये लगाना हितकर है या नहीं इसकी जानकारी आपको नहीं है यह मैं मानसकता हूं लेकिन उसके बाद इस मौके को लेकर ३ हजार आदमियों को बरगलाने का हक आपको नहीं था। लेकिन मैं आप से अपील करूंगा कि वे तीन हजार आदमी आये, स्टेन्डिंग कानून के मातहत सरकार को साफ कहना चाहिये था कि यह हमारे नोटिस में नहीं आया। १ जून को अचानक काम शुरू करना पड़ा। अप्रेल ६४ में हमारे सामने बात आई तो हमें मालूम हुआ। इस बाधा को हटाना चाहिये था लेकिन हटाया नहीं, चूक गये, गलती हो गई, हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं है। हुकूमत कोई खुदा तो नहीं है, जैसे दूसरे इन्सान हैं वैसे ही हम हैं, चूक हो सकती है यह बात सदन के सामने साफ कहनी चाहिये। जो दिक्कत थी उसको दूर कराने के लिये हम सदन में आये हैं, हमने ऐसा काम किया है। मैं कहता हूं दावे के साथ कि मिनिमम वेजेज़ से कहीं अधिक हमारे यहां काम करने वालों को हमने दिया है। आपका मकसद वेजेज़ दिलाना नहीं है। आपका मकसद लोगों के दुख, तकलीफ को मिटता है और उनके कटे पर नमक छिड़क कर, उनके दिल में जो आग भड़क रही है उसको और भड़काने और नशा चढ़ाने की बात गलत होगी, मैं यही कहना चाहता हूं।

एक पोइन्ट सिलेक्ट कमेटी के बारे में कहा है वह यह कहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में इसलिये जाना चाहिये कि कानूनी बातों पर पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद उसको पूरी तरह से लाकर सदन से पास कराया जाय। पूरी तसल्ली होनी चाहिये कि कानूनी ढंग से कोई खामी नहीं है।

एक सवाल उठाया था श्री अब्दुल जब्बार साहब ने कि जो एक्यू हो गया है उस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून नहीं बन सकता। इसको भी एग्जामिन करना चाहिये और उसके बाद अध्यादेश को कंपलीट करके, सारे झंझटों से बचने के लिए गलती न रह जाय जिसके कारण विरोध करने का मौका लोगों को और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

न मिले, इसको यहां लाकर पास किया जाय। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जहां तक सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, चेयरमेन महोदय, मैं पूरी तरह से चेयर की इज्जत करता हूँ और सामने सबमिट करता हूं, लेकिन हर काम में लाजिक और तर्क का साथ सदन में सबको लेना है, सदन सर्वोपरि है सबसे ऊंचा सदन है, उसका सभी सम्मान करते हैं। यदि सरकार पसन्द करें तो चाहे २ रोज के लिये सिलेक्ट कमेटी में देने की प्रार्थना करता हूँ। यदि सरकार को पूरी तरह से दृढ संकल्प है कि गलती नहीं है तो आज ही पास करने में मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्पलोईज (एग्जेम्पशन फ्रोम लेबर लाज) बिल, १९६४ इस सदन में प्रस्तुत किया गया........

श्री सभापति : Please make your speech as brief as possible.

१२ बजे सब समाप्त होना है, इसलिये यथा सम्भव संक्षेप में बोलें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जरूरी बातें हैं वही कहूँगा। १५-१५ मिनिट सबको दिये हैं।

श्री सभापति : १० मिनिट।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो इस बिल में आपत्ति हुई है स्टेचुटरी संकल्प के जरिये और उसके बाद विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने इस कानून को काला कानून कह कर अपनी दलीलें दीं। लेकिन सभापति महोदय, आप भी एक जिले से आये हैं, आपके जिले में भी काम हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में खास कर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और कई दूसरे जिले भी हो सकते हैं लेकिन सभापति महोदय, मेरा ज्ञान तीन जिलों के बारे में फेमिन वर्क के सिलसिले में है और मैं उन जिलों में गया भी हूँ। राज्य सरकार की ओर से बजट अधिवेशन में मुख्यमन्त्रीजी ने ऐलान किया था कि इस वर्ष फेमिन से इफेक्टेड हजारों गांव क्यों न हों, राज्य सरकार की ओर से ऐसा कदम नहीं छोड़ा जायगा जिससे लोगों को मजदूरी नहीं मिले, ऐसे उदाहरण सामने नहीं आयेंगे। और इस चीज को लेकर जब इस वर्ष विधान सभा में फिर आये तो हमारे जिले में भी कई काम चलते थे जिनमें सैकड़ों और हजारों रुपया लगाया गया। तो जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि समय पर पैसा नहीं मिलता है—यह बिल्कुल गलत बात है जहां तक मेरी निजी जानकारी है। और जिला जालोर में जो काम चल रहे हैं जिनकी मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि समय पर सप्ताह का पेमेन्ट हो जाता है। जोधपुर जिले में काइन्ड और केश, दोनों तरह से पेमेन्ट होता है, पेमेन्ट समय पर किया जाता है। कहीं कहीं बहुत दूर के इलाके में, जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, वहां दो चार दिन की देरी पेमेन्ट के अन्दर हो सकती है। यह स्वाभाविक भी है। जहां आवागमन के साधन उपलब्ध हैं और जहां लोगों को कुछ कठिनाइयां थीं तो वहां असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इरिगेशन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्जीनियर, रेवेन्यू अधिकारी और विकास अधिकारियों के जरिये काम कराया है और समय पर पेमेन्ट कराने की राज्य सरकार ने पूरी कोशिश की है ।

इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार बैंकरप्ट है और मजदूरों को वाजिब पैसा नहीं देना चाहती है । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन इलाकों में लोगों को हार्ड-शिप थी, वहां के सत्तर और अस्सी साल के डोकरे, छोटे छोटे बच्चे और औरतें काम रहे हैं और पिछड़ी जाति के लोगों के घरों में दस दस और बीस बीस व्यक्ति रहते हैं, वह सब सड़कों के काम में, तालाबों के काम में काम करते हैं-उनको कोई परेशानी नहीं है तोआपको क्यों परेशानी है । उन लोगों ने तीन-तीन चार चार महीने में इतना जमा कर रख लिया है कि वे करीब छः छः माह तक उस प्राप्त की हुई मजदूरी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं । इतना सब होते हुए भी आपको कौनसी परेशानी है-यह मेरी समझ में नहीं आता । जहां जहां काम हुए हैं, सभापति महोदय, वहां के सम्बन्ध में मेरी मान्यता है कि वहां एक भी आदमी नहीं है जिसकी ओर से सरकार के पास कोई शिकायत आई हो और वे लोग आज सरकार के गुण गाते हैं और उन समयों को याद करते हैं जब पिछले वर्षों में फेमिन पड़े थे और उस समय जो इन्तजामात किये गये थे । इस वर्ष जो भी स्थिति थी उसमें इस डेमोक्रेटिक फार्म आफ दि गवर्नमेंट, वेलफेअर गवर्नमेंट ने राजस्थान स्टेट में, इस समय आप समझ सकते हैं, जो भी उसकी ड्यूटी थी उसको परिपूर्ण करने में तत्परता दिखाई है और उसके लिए इसका स्वागत करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके विपरीत कुछ माननीय सदस्य यहां पर ऐसे बोल रहे थे, जिससे मालूम होता था कि उन गांवों में बिल्कुल फेमिन वर्क्स नहीं थे । मैं उन माननीय सदस्यों से सभापति महोदय, आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वेस्टर्न राजस्थान में कौन से गांवों में भ्रमण किया है और क्या उनको शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मगर वे तो लोगों को बहकावे में लाकर उनको पैसा खर्च करा कर अदालत में ले जाना चाहते हैं । उनको कोई रिलीफ पहुँचाना चाहते हों-ऐसी कोई बात कतई नहीं है। उनकी मन्शा है, उनके दिल में दुःख इस बात का है कि जनता नाराज क्यों नहीं हुई है । सरकार ने यहां पर ऐसा प्रबन्ध क्यों किया है कि उसमें कोई भी कमी नहीं रही है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर....

श्री रघुनाथ विश्नोई :उनको परेशानी यह है कि लोग प्रसन्न क्यों हुए हैं ?

श्री सभापति :There is a point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने, जो दीवानी अदालत के समक्ष साढ़े तीन हजार कैसेज अभी पेंडिंग हैं उनके बारे में यह ऑबजर्वेशन दिया है कि ये दावे उन लोगों को बरगला कर,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बहका कर कराये गये हैं और उनसे पैसा खर्च करवा कर किये गये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्ज के समक्ष, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के समक्ष, जुडिशियल कोर्ट्स के समक्ष कैसेज पेंडिंग हैं उनके बारे में यह कहना कि उनको बरगला कर, बहका कर कराये गये हैं, मैं समझता हूं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को प्रिजुडिस करना है....

श्री चन्दनमल वैद: This is no point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह के ऑब्जर्वेशन किसी तरह नहीं दिये जा सकते कि यह दावे गलत तरीके से दायर करवाये गये हैं। मैं इसलिए....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप मानते हैं कि....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए मैं आपके जरिये यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो भी कैसेज पेंडिंग हैं उनके बारे में कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं कियाजाय, कोई इस तरह के गलत ऑब्जर्वेशन नहीं किये जाय जो कि मामलों पर असर डालें।

श्री सभापति : That should do. You have made your point.

श्री श्री रघुनाथ विश्नोई : There is nothing...

श्री सभापति : You please continue with your speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : what is your Ruling ?

श्री सभापति : My ruling is-you take your seat and he will continue.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इस तरह क्यों व्याकुल हो उठे हैं। मैंने कौनसी ऐसी बात कही है। माननीय सदस्य कई बार....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं पूछना चाहता हूं कि....

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों बोलने खड़े होते हैं। यह उनको भी मालूम नहीं होता है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर निर्णय क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : I am allowing him to proceed with his speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : What about his remarks ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is convessing the ruling.

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी रूलिंग के बाद भी माननीय सदस्य बोलें-यह अच्छी बात नहीं।

श्री सभापति : This has been a ruling and you should sit down

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मैं इस निष्कर्ष पर आऊं कि आपकी यह रूलिंग है कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर, जो भी कोई दीवानी अदालत के सामने, कोर्ट के सामने निर्णय के लिए मामले पेंडिंग हों, उन पर डिस्कशन करने की छूट है। आपकी रूलिंग से इस निर्णय पर आकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : That will do.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने में क्या तथ्य है।

श्री सभापति : You will please continue with your speech.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं कह रहा था कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों के अन्दर तीस-तीस, चालीस-चालीस मील से पखाल और ट्रेक्टर से पानी पहुँचाया गया है। छाया के लिए सिरकियों का इन्तजाम किया गया है। और कोई भी मजदूर ऐसा नहीं है, छोटा या बड़ा जिसकी हाजिरी भरने में तत्परता नहीं बर्ती गई हो। जहां जहां इन्तजामात हुए हैं काम के, पांच दस हजार जोधपुर की सड़कों पर लोग काम करते हैं, तहसील फलोदी की सड़कों और बाड़मेर के कई स्थानों पर पांच हजार, दस हजार लेबर काम कर रहे हैं, जिनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं—उनको कोई शिकायत नहीं है कि उनकी हाजिरी दर्ज नहीं की गई है या समय पर पेमेन्ट नहीं किया गया हो। उनको कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई है। सरकार का जो फेमिन कोड है, सभापति महोदय, आपकी जानकारी होगी उसमें लिखा है कि जो स्टेन्डर्ड लेबर है, उसके द्वारा जो वर्क किया जाय, उसका फेमिन में जो वर्क किये जाते हैं, दूसरे की तुलना में उनका तीन चौथाई आउट पुट मिलता है। इसके अलावा भी सरकार की ओर से जो अमेनिटीज दी गई है— उनके लिए पच्चीस, दस और पन्द्रह मील से पानी उपलब्ध कराया है, वहां अनाज की दुकानों का इन्तजाम सरकार की ओर से कराया गया है। पानी पखाल ट्रैक्टर्स और ट्रकों के जरिये पहुंचाया गया है। इन सब कामों में खर्च नहीं होता है क्या? जो अमरिकन मिलो आया है, वह उन स्थानों पर जो अमेरिकन टीम के द्वारा सिलेक्ट किये गये हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के अन्दर खर्च नहीं होता है क्या? इतने भारी इन्तजाम को करने में हमारी सरकार ने तत्परता बरती है। हमारी राजस्थान सरकार ने एक एक उप मंत्री को वर्क्स को सुपरवाईज़ करने के लिए रखा। यह सब आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए किया गया। पिछले बजट सेशन में, इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने जहां दुर्भिक्ष था उन जगहों के लिए आशंका व्यक्त की थी कि राज्य सरकार इन्तजाम नहीं कर पायेगी। लेकिन उनकी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई और राज्य सरकार की मशीनरी ने रात दिन काम किया, रात के तीन तीन बजे तक पेमेन्ट करके रात काली की है। इस तरह जिस इन्तजाम को करने में तत्परता दिखाई है उसके बावजूद आप यह कहना चाहते हैं कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू हो और उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो। ताकि बुड्ढे, औरतें और बच्चे काम नहीं कर सकें और उनको मजदूरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं मिल सके । आप फेमिन रिलीफ में हुए काम को एग्जामिन करके देख लीजिये कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार अगर काम होता तो कम खर्च आता लेकिन जो वर्क हुए हैं और जो फेमिन रिलीफ में काम करवाये गये हैं उन में ज्यादा खर्च हुआ है । इन सब चीजों को मिला कर और माननीय सदस्यों की व्याकुलता देखकर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के पर्यायवाची शब्द उनको काम में नहीं लाने चाहिये । उनको वे शब्द कहने चाहिए जिनके कहने से हमारे सदन में स्वस्थ परम्परा कायम हो और लोगों के दिलों में परेशानी पैदा नहीं हो । जो लोग फेमिन वर्क्स में काम कर रहे हैं उनके दिलों में कोई परेशानी नहीं है तो आपके दिलों में परेशानी क्यों पैदा हो—यह समझने में मैं असमर्थ हूं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस कानून के लिए कहना चाहता हूं कि इस कानून को लॉ डिपार्टमेन्ट के जरिये एग्जामिन कराके देखे कि कोई कमी नजर आती है या नहीं । इसलिए मैंने सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है । कोई कानूनी मुद्दा अनटच्ड रह गया हो तो दो तीन दिन के लिए कमेटी को भेज कर उसके द्वारा ट्रेस आउट करा लीजिये जिससे आगे परेशानी पैदा नहीं हो । जिससे जो व्यक्ति किसी तरह से पब्लिक में फिजा पैदा करने की और स्टेट में जो डिफरेन्ट काम हो रहे हैं उनमें रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहें । इस उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है । अगर सरकार इसे उचित समझे तो स्वीकार करे वरना अगर कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती है तो इसे ज्यादा प्रेस नहीं करूंगा ।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित)

श्री संपतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाड़दार ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : सभापति महोदय,

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मक्खन लगा कर आते हैं दिमाग के, इसलिये ठीक काम करता है ।

श्री सभापति : साइलेन्स प्लीज़ । Silence members, silence.

(फिर भी श्री उमरावसिंह ढाबरिया व श्री गिरधारीलाल व्यास के बात करने पर) आर्डर प्लीज ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं तो मक्खन लगा कर आते हैं उसकी बात कहता हूं ।

श्री सभापति : Order please. Order. I say Order. Shri Dhabaria please keep quiet.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : राजस्थान

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्पलोइज (एग्जम्शन फ्रोम लेबर लॉज) बिल, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। कारणों के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा में जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो हमारे सामने सब प्रकार के प्रश्न ध्यान में रहने चाहिये। हमारे सामने यह धारणा रहनी चाहिये कि किस तरह से कानून का निर्माण किया जा रहा है। हमें बताया गया कि इस कानून के बनाने से हम अकाल पीडित क्षेत्रों के लोगों को जिन्होंने वहां पर मजदूरी की है उनको सहायता दे सकते हैं और अच्छी तरह से सहायता दे सकेंगे। क्योंकि उस अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वालों में आदमी भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, जवान और बुड्ढे भी थे, जिनको नौकरी नहीं मिल सकती थी और जिनको लेबर लॉज के अनुसार काम नहीं दिया जा सकता था उनको भी वहां पर काम दिया गया। मैं समझता हूं कि यदि इस भावना से यह कानून बनाया जाता है तो इस सदन के किसी भी सदस्य को विरोध नहीं हो सकता। यदि लेबर लॉज होते हैं तो बहुत से लेबर्स को बहुत सी जो इससे दिक्कतें होती हैं उससे राहत मिलती है और बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं। इन दोनों बातों पर हमें विचार करना चाहिये। साथ ही साथ हमें यह देखना है कि इस कानून के बन जाने से सेन्ट्रल लॉज रिपील किये जावेंगे जिसके अन्दर मजदूरों को राहत मिलती है, यह दूसरी बात भी हमारे सामने है। मेरा यह निवेदन है कि जब दो बातें उत्पन्न होती हैं तो इसको लाने के लिये पहले आर्डिनेन्स जारी किया गया। इसके पहले यह चीज हमारे सामने आई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स किन सर्कम्सटेन्सेज में लाया जाता है, यह दूसरा प्रश्न है। इस पर हमें विचार करना होगा। यह कानून आसानी से पास किया जा सकता है यदि इसको सद्भावना से लाया जाता है। लेकिन जब दोनों बातें हमारे सामने आती हैं कि कानून को किस भावना को लेकर बनाया जा रहा है, अकालग्रस्त लोगों को मदद देने के लिये बनाया जा रहा है और क्या उससे उन लोगों को मदद मिलेगी या नहीं, इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून बनाया जाता है और कहा जाता है कि अकाल कार्यों में हमने दौरे किये हैं और मजदूरों से बातचीत की और उनको बहुत राहत दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने भी दौरे किये और वहां पर मजदूरों से बातचीत की कि वाकई में ऐसी बात राजस्थान सरकार ने कही ऐसे फैसले किये या राजस्थान सरकार को कोई योजना दी गई, तो हमको यह बताया गया कि जहां राहत कार्य जिस तरह से होने चाहिये और मजदूरों को राहत मिलनी चाहिये थी वह राहत सही माने में मजदूरों को नहीं दी गई। इसके साथ-साथ जो रुपया लेबर लॉज की तरह मिलना चाहिये एक आदमी या औरत को, उनकी जितनी इन्कम होनी चाहिये नहीं दी गई बल्कि······।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं कहूँगा कि जितनी इन्कम उनकी होनी चाहिये थी, जितनी लेबर वे करते थे उससे ज्यादा उनको मजदूरी दी गई।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के कार्य होते हैं वहां पर राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था करनी पड़ती है और इसके लिये हजारों रुपया खर्च सरकार का होता है। बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर्स तैनात करने होते हैं, कितनी ही जीपें, कितने ही पेट्रोल की व्यवस्था आदि में काफी रुपया खर्च कर दिया जाता है। जो रुपया मजदूरों को मजदूरी का मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिलकर राजस्थान सरकार की ओर से खर्च कर दिया जाता है व्यवस्था करने पर। लाखों रुपयों की धन राशि इसी कार्य में खर्च कर देते हैं। जो वास्तव में मजदूरों के पेट पालन में काम में लानी चाहिये। इसलिये इस ओर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये कि यह सारा रुपया व्यवस्था में ही न चला जाए। ऐसी बहुत सी समस्यायें हैं। मैं दो ऐसी समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी कई बार आपके सामने उनके बारे में जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने उन लोगों को सिविल कोर्ट में जाकर अपनी मजदूरी के रुपयों को वसूल करने के अधिकार नहीं दिये हैं। चूंकि उनको कोई अधिकार नहीं हैं वे लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते और न किसी दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं। कोई व्यक्ति दो रुपया या १॥। रु० मजदूरी का तय करता है और किसी अधिकारी की गलती के कारण या किसी पारस्परिक द्वेष के कारण रुपया नहीं देता है तो वह मजदूर लेबर लॉज की तहत अदालत में जाकर अपनी कार्यवाही नहीं कर सकता। जो आर्डिनरी लाज में कम से कम जाकर रिलीफ ले सकता है। आपने यह कानून इतना सख्त बनाया है कि उसकी कोई ताकत नहीं रहती कि वह अदालत में जाकर अपना फन्डामेन्टल राइट है उसको भी प्राप्त कर सके। एक नागरिक का फन्डामेन्टल अधिकार है कि वह किसी भी अदालत में जाकर न्याय की याचना कर सकता है। लेकिन आप इसके द्वारा उस व्यक्ति को इस अधिकार से भी वंचित करते हैं या महरूम करते हैं। जब आप उसको उसके फन्डामेन्टल राइट्स से महरूम रखते हैं तो मूलभूत भावना है उनके प्रतिकूल कार्यवाही हो सकती है।

दूसरी बात विचारणीय है कि फोर्स ऑफ लॉ में आपने कानून बना लिये, जिसका आपको अधिकार है लेकिन जो कानून आप बना रहे हैं वह वैध है या अवैध है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ का अधिकार हर नागरिक को है। हर नागरिक को कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर न्याय हासिल करने का अधिकार है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि जिस भावना को लेकर आप कानून बना रहे हैं तो वे कानून हर एक नागरिक को उसके नागरिक अधिकारों से वंचित रखता है तो जो कुछ भावना वे रखते हैं वह निष्फल चला जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप एक दो दिन का समय इसके लिये रख सकते हैं। आप स्वयं बैठ सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ले लीजिये और विचार करिये कि इस रूप में या किसी दूसरी भावना में आप इसको लाना चाहते हैं। इसमें परिवर्तन करना चाहिये या परिवर्तन होना चाहिये। केवल इन मुद्दों पर विचार करने के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार कर लिया जावे क्योंकि जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उसकी

Page No. 68

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मंशा है वह निरर्थक नहीं जावे। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया था। अतः मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया इसलिये मुझे भी मौका दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : ठीक किया।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, यह बिल जो अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४ हमारे सामने आया है, उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव किया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार का यह बिल प्रस्तुत किया गया है इसमें जो उद्देश्य और जो ऑब्जेक्ट्स और कारण दिये गये हैं उसमें साफतौर से बतलाया गया है कि किन किन कारणों से यह बिल प्रस्तुत किया गया है। आपको यह भली प्रकार से मालूम है कि कुछ अर्से पहले अधिवेशन में, मार्च, अप्रेल में अकाल के प्रकोप के सम्बन्ध में विचार किया गया था कि किस तरह से राजस्थान पर आपत्ति आई उनके सामने रख सकते हैं और क्या राजस्थान सरकार के पास साधन हैं कि राजस्थान सरकार इस प्रकार से जो दैवी प्रकोप आया है उसका किस प्रकार से मुकाबला कर सकेगी। तो यहां उस वक्त असेम्बली के जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने विचार रखे थे कि इतने सीमित साधन राजस्थान सरकार द्वारा बजट में रखे गये, उसमें साफ तौर से बताया था कि राजस्थान सरकार इतनी बड़ी विपत्ति का सामना इतने स्वल्प साधनों से नहीं कर सकेगी पर उसके बाद राजस्थान सरकार ने किस प्रकार उस महान् विपत्ति का मुकाबला किया है, यह आपके सामने है। तीन लाख आदमियों को इस अकाल के समय में राजस्थान सरकार ने काम दिया है तो वास्तव में यह सराहनीय है। इसके अलावा अकाल से ग्रसित जो व्यक्ति थे उनकी किस प्रकार सहायता की है।

आज माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि लेबर लॉज इन पर लागू नहीं किये तो इन मजदूरों की क्या हालत होगी जिनको कि मिनिमम वेजेज़ मिलने चाहिये। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज़ के लॉ को इन पर कैसे लागू किया जा सकता है, न यहां कोई फैक्टरी है न कोई इन्डस्ट्री है....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन सर, उपमंत्री महोदय अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां कोई फैक्टरी नहीं, न कोई वहां इन्डस्ट्री ही है;

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जहां अकाल होता है वहां लोगों को काम दिया जाता है। तो वहां किस प्रकार सरकार लेबर लॉज की व्यवस्था कर सकती है। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था इस साल के अकाल में की है वैसी व्यवस्था गुजरे दो हजार सालों में नहीं की गई। मेरी उम्र ४० साल की है, १६६६ का काल मैंने देखा है, सम्वत् २००८ का काल मैंने देखा है....

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : भगवान् की दया से आयन्दा काल मत देखना।

श्री गिरधारीलाल व्यास : और तीसरा यह काल देखा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप काल की साक्षात् मूर्ति हैं!

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बैठ जाइये, आपके नीचे बैठने की जगह नहीं है क्या, इनकी कुर्सी में स्प्रिंग लगा दी जाय ताकि बार बार उछला न करें। इन तीन अकालों के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उनमें जिस तरह की व्यवस्था इस साल की गई है वह बहुत ही उदाहरणीय है। सरकार के इस कार्य की जितनी तारीफ की जाय उतनी ही कम है। हमारी सरकार द्वारा हमारी सरकार के अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था इस अकाल के समय में की गई है, जगह जगह पी. डब्लू. डी. द्वारा, रेवेन्यू एजेन्सीज के द्वारा सड़क तालाब आदि के निर्माण की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही सराहनीय है, इसमें तीन लाख लोगों को काम दिया है। छोटे से गांव को दूसरे गांव से मिलाना, जिन सड़कों की इस समय आवश्यकता नहीं थी, उनके बनाने की बाद में योजना हो सकती थी फिर भी उनको बनाकर लोगों को एम्प्लायमेंट दिया, तीन लाख लोगों को राहत देने की व्यवस्था की।

मैं, अपने यहां जहां-जहां राहत कार्य हुए हैं, वहां घूमा हूं, बच्चे बच्चे से मिला हूं, उन्होंने कहा कि जो इस साल में राहत मिली है वैसी अच्छे से अच्छे साल में जबकि अच्छी से अच्छी फसल हुई हो उससे भी नहीं मिल सकती थी। तो अकाल के समय में सरकार की ओर से राहत कार्य किये गये हैं उनसे गरीबों को, किसानों को आम लोगों को राहत पहुंची है। तो जो ये माननीय सदस्य कहते हैं कि मिनिमम वेजेज नहीं मिलने से गरीब लोग मर जायेंगे। बूढ़ों को बच्चों को, और जो लोग अपढ़ थे उन तक को इसमें एम्प्लोयमेंट दिया गया है, इसलिये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मिनिमम वेजेज नहीं देने से लोग भूखों मर जायेंगे उनकी स्थिति खराब हो जायगी।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस अकाल में जैसी व्यवस्था सरकार ने की है वह उदाहरणीय है, गुजरे दो हजार वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी नहीं की गई होगी जैसी कि इस अकाल के समय में की गई। मैं इस सरकार को इसके लिये बधाई दूंगा, खास तौर से मुख्यमन्त्रीजी को जो अकाल मन्त्री भी हैं....

श्री भैरोंसिंह : अकाल मन्त्री नहीं, अकाल राहत मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अकाल सहायता मन्त्री भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अकाल पैदा करो मन्त्री हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो आप करते हैं हांडा साहब। बार बार उठ उठ कर तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य इस अकाल में किया गया। इसमें सरकार द्वारा रेट्स को भी रिवाइज किया गया। पहले के अकालों के समय में जहां काम करने वाले मजदूरों को आठ आना दस आना की रेट्स से मजदूरी दी गई थी उसे इस समय रिवाइज किया उसमें १ रु. २ आना, १४ आना, १२ आना की रेट्स रखी गई। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी राजस्थान सरकार ने किस प्रकार लोगों को पहले से अच्छी रेट्स देकर राहत पहुंचाई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बोगस, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके अलावा सरकार ने किस प्रकार की व्यवस्था की, दूर दूर से पानी ला ला कर लोगों को देने की व्यवस्था की जिन जगहों पर मुश्किल से एक एक घड़ा एक रुपया में मिलता था वहां पर इस तरह पानी की व्यवस्था की........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ी महरबानी की।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुफ्त में सरकार ने पानी वितरित किया है दूर दूर से ले जाकर पानी वितरित किया है, इसके अलावा सरकार ने घास की व्यवस्था की ३) रु० मन के भाव से घास उस स्थान पर ले जाकर सरकार ने जानवरों के मालिकों को सप्लाई किया है यह उदाहरणीय कार्य है। अगर सरकार की ओर से इस प्रकार का इन्तजाम नहीं किया जाता तो जो डेजर्ट एरिया है, जहां अकाल घोषित किया गया वहां पर आज एक भी मवेशी देखने को जिंदा नहीं मिलता। यह इस सरकार की सफलता का उदाहरण है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हड्डियों के कारखानों को सफल बनाने में सफलता प्राप्त की है सरकार ने।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पर ये ऐसे नाशुक्र लोग हैं कि शुक्रिया अदा करने की बजाय नाशुक्रिया अदा करते हैं। जब इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अगर स्वर्ग में भी ले जाकर बैठा दिया जाय तो भी ये लोग तो यही कहेंगे कि यह सरकार खराब है, इस सरकार का इन्तजाम खराब है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खुदा आपको जन्नत नसीब करे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो इन लोगों की बातों में आप न आवें।

इस प्रकार का कानून नहीं बनाते हैं, अकाल में काम करने वाले मजदूरों पर लेबर लाज वगैरह एप्लाई करते हैं तो बहुत सारी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कठिनाइयां आती हैं। इसलिये यह कानून लाया गया है।

जो फैक्टरीज हैं, इन्डस्ट्रीज हैं, उनके लिये ये लेबर लाज बनाये गये हैं, उन फैक्टरीज आर इन्डस्ट्रीट के मजदूरों पर ये कानून लागू करने के लिये बनाये गये हैं, वहां यदि ये कानून लागू नहीं किये जाते हैं तो कोई सरकारी या गैर सरकारी लोगों की इन्डस्ट्रीज हैं, फैक्टरीज हैं, प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं वे लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। पर यह ऐसी व्यवस्था है जो दैवी प्रकोप के कारण करनी पड़ती है, साधारणतया इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। इनमें लेबर लाज एप्लाई करेंगे तो जितने आदमियों को इस साल राजस्थान सरकार ने एम्प्लोयमेंट दिया है उतने आदमियों को एम्प्लोयमेंट नहीं दे सकेंगे। इसलिये यदि सही माने में अकाल ग्रसित लोगों की इमदाद करना है तो जो कानून यहां लाया गया है, जिस कानून के प्रावधानों में हमने इस अकाल में काम किया है उसको बढ़ावा देना होगा, इस भावना की कद्र करनी पड़ेगी। हम यह भी नहीं चाहते कि मजदूरों को मजदूरी कम मिले पर जितने हमारे सीमित साधन हैं वे तो आपके सामने हैं, वह सब जानते हुए भी सरकार की तरह तरह से बदनामी करने की कोशिश करते हैं तो यह उचित नहीं। जितनी हमदर्दी आपको मजदूरों से है उससे ज्यादा हमदर्दी हमें मजदूरों से है पर जो साधन हमारे पास हैं वे सीमित हैं, इन सीमित साधनों से किस प्रकार काम कर सकते हैं, सब लोगों को किस प्रकार एम्प्लोयमेंट दे सकते हैं, भूखों नहीं मरने देते, राहत के काम में सब तरह से उनको आशायस मिले, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यह बिल सरकार लाई है। हमको उसकी दाद दे कर बराबर उसको लागू करना है वरना जो व्यवस्था हम रखना चाहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं रह सकेगी।

दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक मिनिमम वेजज का सवाल है, उसके लिए हमारी सरकार के साधन ज्यादा हों, अच्छे साधन हों, जिससे उन मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा दे सकें। कौन नहीं चाहेगा कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी न मिले। हम स्वयं भी चाहते है कि मजदूरों को ज्यादा मिले (समय समाप्ति सूचक घंटी)।

श्री सभापति : दैट बिल डू। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत। इसके बाद में सरकार की तरफ से जवाब होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिनके नाम सूची में पहले थे और जो बोले नहीं हैं....

श्री सभापति : आप नाम बता सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा स्वयं का नाम है। मैं नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : ये जो अमेंडमेंट्स है, इनमें जो भी नाम थे उनमें किसी का नाम छोड़ा नहीं गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय........

Page No. 72

श्री सभापति : बहस करने की गुंजाइश नहीं है। मैंने श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत को मौका दिया है, उसके बाद में गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मिनीमम वेजज एक्ट को लेकर विरोधी सदस्यों की ओर से सरकार के ऊपर जो कुछ आरोप लगाए गए है, वे बिल्कुल बेबुनियाद निराधार और गलत है। ये आरोप तो वही लगा सकता है जिसको अकाल में जो काम हुआ है उसका अनुभव न हो या जो अकाल के लोग काम करते हैं उनके साथ जिसका निकट का सम्पर्क न रहा हो वही निराधार आरोप लगा सकता है कि जो जानबूझ कर किसी मक्सद को लेकर ऐसा करता है कि इस प्रकार के आरोप लगाने से संभव है कि उनका कोई मक्सद पूरा हो जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माइक ठीक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप झूठ बोल रही है तभी तो जो माइक चल रहा था वह भी बंद हो गया।

श्री मोतीलाल चौधरी : झूठ शब्द अनपार्लिमेंटरी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप बोलते हैं तो मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हूं। तो मैं कह रही थी कि इस प्रकार के आरोप लगाने से संभव है कि उनका कोई मक्सद हो या संभव है कि उनको कोई चीप पोपूलेरिटी मिलती हो, जिससे कुछ लोगों से केसेज करवाकर दावा कर सकें तो संभव है कि उनके नाम अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खी के साथ आजाय। इससे मजदूरों का अहित भले ही हो लेकिन हित नहीं हो सकता। सभापति महोदय, हमारे ऊपर जब देवी प्रकोप ने वार किया उस समय राज्य सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस एफीसियेन्सी के साथ और जिस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर काम किया उसकी मिसाल आज तक हमारे राजस्थान के इतिहास में नहीं मिल सकती। राजस्थान में अकाल पड़ता है, राजस्थान का इतिहास अकालों से भरा हुआ है। बीकानेर में अकाल पड़ता था, ७६ का अकाल मुझे याद है। उसको निकट से देखने का मौका मुझे मिला था और हमारी जागीर में भी पड़ा था। उसमें हमारा योगदान रहा था। और आज के अकाल में भी मुझे दुर्भाग्य से निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला है। लेकिन इस बार जो वहां फैमिन रिलीफ कार्य हुआ है उसकी तारीफ हरेक को करनी पड़ेगी। इस समय मैं अमरीकी राजदूत श्री चेस्टर बोल्स के शब्दों को दुहराना चाहूंगी। उन्होंने बीकानेर और जोधपुर के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को देखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अकाल के साथ उसी तरह से जूझ रही है जैसे आज से ३० साल पहले जब अमरीका में ६ साल तक अकाल पड़ा था तो अमरीकी लोग और अमरीकी सरकार उसके साथ जूझी थी। इस अकाल के कानून को देखकर मैं जान बूझकर बीकानेर के अकाल क्षेत्रों में, गांवों में, जोधपुर के अकाल क्षेत्र में, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गई। वहां कई प्रकार के लोगों से बातचीत की, मैं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

किसानों की औरतों के घरों में जाकर मिली। उनसे जो कुछ जानकारी प्राप्त की उनकी गुजर कैसे चल रही है, उस बारे में बातचीत की और मुझे संतोष के साथ कहना पड़ता है कि चारों ओर से मुझे संतोषजनक उत्तर मिले। सभी का यही खयाल था कि बड़े व्यापक पैमाने पर काफी अच्छा इंतजाम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने यह भी आज्ञा निकाली थी कि जो कोई क्षेत्र अकाल क्षेत्र में नहीं आए हैं, वहां के आदमी भी आकर रिलीफ के काम में काम कर सकते हैं। यह आज्ञा अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आज्ञा है। इस तरह की आज्ञा आज तक कहीं भी नहीं निकली। उसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों को रोजी और रोटी की जरूरत थी, वे इस आज्ञा निकलने पर अपने पड़ौसी क्षेत्रों में जाकर जहां अकाल के काम हो रहे थे, वहां रोटी और रोजी कमाई। जो लोग कहते हैं कि उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, वे गलत हैं। हमने हिसाब लगाया कि उनकी जो वैसे डेली आमदनी होती है उससे ज्यादा उन लोगों को अकाल के वक्त में आमदनी हुई। अगर आप चाहें तो कई तरह के उदाहरण मैं सदन में पेश कर सकती हूं।

सभापति महोदय, दूसरा सवाल यह आता है मिनिमम वेजज का। लेकिन हमने यह देखा हमारे क्षेत्र में कि जहां बिल्कुल गांव के पास सड़क चलती है, उनके पास मिनिमम वेजेज़ के अनुसार तालाबों का काम भी चलता है। तो लोगों ने तालाबों पर न जाकर रिलीफ की सड़कों पर काम करने आये हैं। हमने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वहां मिनीमम वेजेज़ दिए जाते हैं तो काम भी हम से मिनीमम लिया जाता है और हम लोग पेशेवर मजदूर नहीं हैं, हमको फेमिन का वर्क करने में ज्यादा आसानी रहती है। इसके अलावा सभापति महोदय, एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। एक परिवार है, उसमें बहुत से बच्चे हैं। वहां एक औरत तथा एक आदमी कमाने वाला होता है वहां दो दो बच्चे चार चार बच्चे के नाम भी लिखा दिये हालांकि ८. १०. १२ साल के बच्चे काम नहीं कर सकते तो इसमें यही दृष्टिकोण रहा है। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचे। हम यह नहीं चाहते कि लोगों को कम मिले या उनका पेट काटा जाय लेकिन जितने सरकार के साधन थे, जितनी क्षमता थी, उतना सरकार ने किया है।

मैं इसके साथ ही साथ एक दो विभागों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। अक्सर क्या होता है कि फेमिन के कामों में कच्चा काम किया जाता है, पक्का नहीं होता लेकिन जब किसी पर्टीक्यूलर क्षेत्र को लेकर सिंचाई विभाग के सामने हमने पक्के काम की आवश्यकता बताई तो उन्होंने वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए पक्के काम भी हाथ में लिए। सिंचाई विभाग ने बड़ी एफीसियेन्सी के साथ एक महीने के अन्दर काम शुरू कर दिया। हमारा अनुभव है कि तालाबों की सर्वे करने में कई कई महीने लग जाते हैं, लेकिन इस बार अकाल की भीषणता को देख कर सिंचाई विभाग ने दो दो तीन तीन लाख के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत)

प्रोजेक्टों की सर्वे कुछ हफ्तों में कर के काम भी प्रारम्भ कर दिया। मैं सोचती हूं कि अगर दूसरे विभाग भी इसी एफिसियेन्सी के साथ इसी प्रोम्प्टनेस के साथ जनता की तकलीफों को नजर में रखते हुए उसी तेजी के साथ कार्य करें तो हमारे दिलों में जनता के दिलों में सर्विसेज के लिए बहुत इज्जत हो सकती है। लेकिन, सभापति महोदय, इतनी सब तारीफ करने के बाद भी मैं यह जरूर कहूंगी कि हमें यहीं अपने कर्तव्य की इति श्री नहीं समझ लेनी चाहिये। हमें इस बात का दुख है कि हमारे राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है, अकाल का भूत राजस्थान की गर्दन पर बराबर चढ़ा रहता है। इस अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए करोड़ों रुपया आज तक खर्च कर दिया गया है। यदि इस सम्बन्ध में कोई योजना बद्ध तरीके से ठोस कदम उठाते तो इस अकाल की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जा सकता था। इसलिए हमारे काम की इतिश्री उस हालत में होगी जब हम राजस्थान को समग्र रूप से अकाल की स्थिति से निकाल सकेंगे। यदि कोई कान्क्रीट प्लानिंग बना ली जाय तो यह काम मुश्किल नहीं है। सभापति महोदय, मैं दो मिनिट के लिए अर्ज करूंगी कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पहाड़ होते हुए भी हर दूसरे तीसरे साल अकाल की स्थिति रहती है। वह क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है। पाली डिस्ट्रिक्ट, भील वाड़ा डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर जिले के बीच का वह क्षेत्र है। वहां बरसात होती है लेकिन कुएं वहां अधिक गहरे नहीं हैं। जब वर्षा कुछ कम होती है तो उन कुओं से सिंचाई करते ही उन कुओं का पानी शीघ्र टूट जाता है। इसीलिए छोटे २ तालाब वहां बनाये गये थे। दुर्भाग्य से खारी की बाढ़ में या किसी अन्य बाढ़ में वे सारे के सारे तालाब टूट गये। नये तालाब नहीं बनाये जा सकते हैं क्योंकि मेजा बांध के खारी बांध के केचमेन्ट एरिया में आते हैं। इसके लिए मंजूरी नहीं मिलती जब तालाबों में पानी नहीं होता है तो कुओं में पानी नहीं होता है और जब थोड़ी बरसात कम होती है तो सिंचाई पूरी नहीं होती है फसल की। इसलिए उधर बरसात होते हुए भी अकाल पड़ जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचूंगी कि सरकार अकाल की समस्या को दूर करने के लिए फंड रखती है, अकाल को दूर करनेके लिये सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये हैं। यदि एक प्लानिंग के तौर पर, कुओं को गहरा करने के लिए तालाब जो टूटे हुए हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए यह पैसा उन पर लगा देती सरकार तो हमेशा के लिए उन पांच सात तहसीलों से अकाल को खत्म कर देती। मेजा और खारी बांध भरने के लिए नदी से पानी डाला जा सकता है। क्या यह कोई अन्याय नहीं है कि उन बांधों को भरने के लिए आठ तहसीलों को हमेशा के लिए भूखों मरने के लिए अकाल के लिए छोड़ दिया जाय? गवर्नमेन्ट का अकाल पर खर्चा होता है कोई परमानेन्ट इन्कम नहीं देता है। कच्चे काम होते हैं और दो साल के अन्दर अन्दर पानी से बह जाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश करूंगी कि इन आठ तहसीलों की समस्या बड़ी आसानी से सुल-

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

भायी जा सकती है और हमेशा के लिये इन क्षेत्रों को अकाल की छाया से दूर रखा जा सकता है। इसलिए कोई कान्क्रीट प्लानिंग बना कर हमेशा के लिए फेमीन से छुटकारा पावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, इस बिल को लेकर इस सदन में जो वाद विवाद हुआ उसमें विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कहना पसन्द किया उनको सुन कर मुझे आश्चर्य और दुख हुआ। इस वजह से कि सारे अकाल के बारे में मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि हमने एक मानवीय दृष्टिकोण से किस प्रकार एक इतना बड़ा भारी संकट सामने आया है उसको हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें इस दृष्टिकोण को सामने रखा। मैं समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य, जो इस सदन के अन्दर बैठता है, इस बात को नहीं कह सकता है, चाहे कोई किसी पक्ष का हो, किसी राजनैतिक दल का हो हमने कामकाज के बारे में किसी प्रकार का रिजर्वेशन करके काम किया हो किसी भी क्षेत्र का चाहे उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य किसी भी दल के हों, जो एक वास्तविक स्थिति थी अकाल की उसको हल करने की कोशिश की है। मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि इतने बड़े काम में कोई कमी नहीं रही होगी। यह एक तूफान है। घास का इन्तजाम गांवों में राजस्थान में पहले कभी नहीं किया गया। यह पहली बार किया गया। घास पहुंचाने की बात थी, पानी पहुंचाने की बात थी, हमने बड़े पैमाने पर काम किये। नोदर्न क्षेत्र में अब तक जितने रेलवे वैगन्स जाते थे इस बार कई ज्यादा संख्या में भेजने की कोशिश की गई और भेजा गया। जिन जगहों पर सड़कें नहीं हैं और पानी नहीं पहुंचाया जा सकता था तो वहां पर पखालों से पानी पहुंचाया गया। जहां तक हो सका नजदीक से नजदीक काम देने की कोशिश की गई। पिछली बार इस बिल के दौरान कहा था कि माननीय सदस्य महरबानी करके गम्भीरतापूर्वक सोचें कि मिनिमम वेजेज़ लागू करने के बाद एक मील सड़क बनाने में जो खर्चा पी. डब्ल्यु. डी के द्वारा होता है उसके मुकाबले में हमने जो कुछ वेजेज़ दिये और जिस नीति को अपनाया उसकी वजह से एक मील सड़क पर कम पैसा खर्च होगा, अगर कम पैसा खर्च हो तब तो यह कहा जा सकता है कि सरकार ने उनके काम के मुकाबले में कम दिया और मिनिमम वेजेज़ होते तो अधिक मिल जाता। मैंने कहा था कि आम तौर से कान्ट्रैक्ट लेवल पर या डिपार्टमेंटल लेवल पर मिनिमम वेजेज़ एक्ट काम में लाया जाता तो सौ रुपया जहां खर्च होता तो फेमीन के अन्दर डेढ़ सौ से कम नहीं हुआ है। कहीं दुगुना और कहीं पौने दो गुना खर्च हुआ। तो सरकार ने बचत करने की दृष्टि से इस नीति को अपनाया हो और इससे कोई बड़े भारी असेट्स बिल्ड कर लिये हों ऐसी बात नहीं है। यह असेट्स बिल्डिंग का प्लान नहीं था। प्लान में रिडक्शन की बात हो सकती है कि किस किस को लेना चाहिये। आवागमन के लिहाज से कुछ गाड़ियां निकल जायं, लोगों को अधिक दिक्कत न हो, ज्यादा दूर न जाना पड़े, सम्भव है वहां भी कमी न कर उन कामों को भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हाथ में लिया गया है। इस सदन में आम तौर से इस तरह बहस की जा रही है कि इस कानून को लाना ही नहीं चाहिये था और मूलतः गलत है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक कानून की तरफ दिलाना चाहता हूं। ६१ के अन्दर इस सदन ने पास किया है और वह कानून है राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट १९६१। यह राजस्थान रिलीफ अन्डर-टेकिंग्स एक्ट पास किया था इस वजह से कि अगर कोई कारखाना है, यहां तो फेमीन रिलीफ का काम है, अगर कोई कारखाना ठीक तरह से नहीं चल रहा है और मजदूरों के बेकार हो जाने की आशंका है, सरकार उस कारखाने को हाथ में लेती है तो उस कारखाने के अन्दर भी न मिनिमम वेजेज़ एक्ट, न इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, न इन्डस्ट्रियल एम्पलोयमेन्ट (स्टेन्डिंग ओर्डर) एक्ट लागू होंगे। चार चार कानूनों से छूट दी गई है। जैसे भीलवाड़ा में टैक्सटाइल मिल्स को हाथ में लिया तो वहां के मजदूरों को इस कानून से एक्जम्प्ट कर दिया। जब इन्डस्ट्रियल लेबर के अन्दर भी इस प्रकार के एक्जम्प्शान्स इस सदन ने कानून के द्वारा पास किये हैं, इसी सदन ने ही नहीं महाराष्ट्र और दूसरी जगह भी जहां जहां यह बात आयी है इसी सिद्धान्त को लेकर किया है कि इन्ड-स्ट्रियल अन्डर टेकिंग्स इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनसे कोई प्रोफिट करना चाहते हैं लेकिन वे बेकार न हो जायं उस रिलीफ के लिए लेना चाहते हैं। तो उस कानून को इन्ड-स्ट्रियल कन्सर्न के लिए भी लागू किया है। तो जहां प्योरली रिलीफ है, रिटर्न नहीं है, उस काम को कर रहे हैं तो यह दलील दी जा रही है। जहां कांट्रेक्ट लेबर और दूसरे लेबर काम करते हैं उनके कम्पेरिजन से आउट टर्न हमारे सामने है बजाय इसके इतने बड़े पैमाने पर काम राजस्थान में हुआ है, मैं तो माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं, उनसे अपेक्षा करता था कि कम से कम इसमें राजनैतिक पहलू को सामने न ला कर इस तरह से इसको देख कर चलेंगे कि किस तरह से यह काम किया गया है। क्योंकि मैंने निवेदन किया कि हजारों लाखों आदमियों को अलग अलग जगह हमने काम दिये और आउट टर्न पर बन्दिशें और पाबन्दियां वाली बात को रख कर हम नहीं चले।

दूसरा, माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य जानते है कि मिनीमम वेजेज़ एक्ट में खुद में यह धारा उपस्थित है उसके अनुसार भी इन चीजों को एक्जेम्प्ट कर सकते हैं बाई नोटिफिकेशन।

दूसरे कानून बने उसके अलावा मिनीमम वेजेज़ एक्ट जिसकी चर्चा की गई उसके अन्दर भी एक्जेम्प्ट करने का अधिकार है। यहां जो कामकाज शुरू किये गये हैं वह फेमीन कोड के आधार पर शुरू किये गये हैं और उसी के अनुसार शुरू किये जाते हैं। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इसके कानूनी पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया है अगर उसी पर ज्यादा जोर दिया जाने लगे तो भी मिनीमम वेजेज़ एक्ट के अन्दर भी इस प्रकार से एक्जेम्शन की धारा है। कुछ झगड़ा तो इस आर्डर के निकलने के बाद चालू हुआ, लीगल कोम्पली-केशन्स को देखते हुए इस प्रकार के कानून लाने की बात की गई, इसको लॉ मिनिस्ट्री

Page No. 77

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से एक्जामिन करवाया गया और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेकर इसको सदन के समक्ष लाया गया। सभापति महोदय, इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी को कम मजदूरी या वेतन देने के लिये यह लायें हों, हमने इस बारे में परामर्श कर ऐसी स्थिति न आये कम तनख्वाह मिलने की बात हो या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कानून हो तो फिर भी कहा जा सकता है। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा मिनीमम वेजेज़ के बारे में जो लोग मजदूरों में काम करते हैं शायद उनको मालूम होगा कि मिनीमम वेजेज़ भी डिफ़ेन्ट इन्डस्ट्रीज के लिये, डिफ़ेन्ट धन्धों के लिये अलग अलग हैं, सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज के लिये अलग वेजेज़ हैं टैक्सटाइल के लिये अलग है, पी. डब्लू. डी. में जो काम करते हैं उनकी मिनीमम वेजेज़ अलग हैं, कौल, माइका आदि में काम करने के लिये वेजेज़ अलग अलग हैं। इनमें देखा यह जाता है कि कितनी प्रोफिटेबिलिटी है उसके लिये वेज बोर्ड्स बैठते हैं वहां डिफ़ेन्ट स्टेन्डर्ड कायम किया जाता है। इसलिये जहां मिनीमम वेजेज एक्ट की बात दुहराई जाती है उनको उसका भी बैक-ग्राउन्ड देखना होगा वह भी किस प्रकार से फिक्स की जाती है, इसलिये मिनीमम वेजेज एक्ट हर जगह लागू नहीं होता, सर्टेन लेवल के नीचे मिनीमम वेजेज़ नहीं होंगे जनरल कानून की तौर पर लागू किया गया है, लेकिन इन हालातों के अन्दर भी कई प्रकार के रिलेक्सेशन हैं, कई प्रकार की एमीनिटीज थी कई प्रकार के खर्च लगते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद भी जो फेमिली वहां काम करती है, मेरा यह निश्चित मानना है कि अगर मिनीमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत जो स्टेन्डर्ड वर्क लोड है उसके अनुसार यदि काम लिया जाता तो पर फेमिली जितना पैसा मिला है मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत जो वर्क लोड के अनुसार पैसा मिल सकता था उससे कहीं ज्यादा पैसा इसके जरिये मिला है। उसके अनुसार वर्क लोड के अनुसार पैसा दिया जाता तो बहुत कम पैसा मिलता! सवाल इस बात का है कि किन कारणों से किन लोगों को रिलेक्सेशन देने की बात भी आयी है। मेरे सामने ऐसे मौके भी आये हैं बहुत से अन्धे और ज्यादा उम्र वाले कहते थे कि हमको भी काम देओ। हमने उनको ग्रेचुटस रिलीफ देने की बात कही लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार किया और वो लेते भी तो बहुत कम मिलता और अगर उनको लेबर रजिस्टर में लेते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है यही बात नहीं थोड़ी देर के लिए काम करें उनका नाम रजिस्टर में एन्टर किया जाकर उनको पूरी मजदूरी दी गई ताकि उन लोगों को भी पेट भर कर खाने को मिल जाय। इस दृष्टिकोण से सारा काम किया गया, चारों तरफ लोगों के अन्दर काम करने की भावना थी। इस कानून को लाकर किसी की इन्कम को गिराने की बात हो ऐसा मानना गलत है। मिनीमम वेजेज एक्ट में एक तरफ जहां वर्क लोड का महत्व है उसके अनुसार वेजेज मिलते हैं वहां इसमें हमने मुख्य बात यह ध्यान में रखी है कि कुल मिलाकर सब को खाने को मिल जाय इस बात का खास तौर से प्रयत्न किया गया है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं महरबानी करके इस कानून को, इस विधान सभा को इस बात का फोरम न बनावें इस बात का ख्याल न रखें कि हमारे दिल में रिलीफ देने की बात नहीं, जिस भावना से यह काम शुरू किया गया इस बात को लक्ष्य में रख कर चले हैं कि जो भी अकाल से पीड़ित है उसको भी बराबर खाने को मिले। अगर मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत वेजेज एवं वर्क लोड को लागू करने की बात अगर हम फेमीन के लिये लागू करते हैं तो सदन भी इस तरह के कानून को पसन्द नहीं करेगा बमुकाबले जो आज रियायत मिल रही है। उससे ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं। हमारा यह ध्येय रहा है कि ज्यादा रिलीफ मिले, काम मिले कानूनी पहलू को हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कानून के दृष्टिकोण से नहीं देखा। सब को रोजी रोटी मिल सके यही इसका मूल ध्येय था। जिस किसी ने भी अकाल के कार्य को देखा है, उन क्षेत्रों में गये हैं वहां जाकर किसी ने यह पूछा नहीं होगा कि क्या सवाल विधान सभा में उठाना है। वास्तव में वहां रिलीफ मिलता था इसलिये किसी सवाल को उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। जिन लोगों ने वहां जाकर काम को देखा है मेरी निश्चित मान्यता है और जो लोग वहां गये हैं वे भी मानेंगे कि लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। हजारों लोगों के बीच जो काम हुए हैं वहां सब लोगों को बराबर राहत दी गई है। इसके लिये मैं सरकारी कर्मचारियों को, गैर सरकारी व्यक्तियों को और बहुत से माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस सारे कामकाज में रात-दिन एक करके सहयोग दिया है उन सब की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। काफी मेहनत के साथ रात-दिन एक करके इस फेमिन के काम को अन्जाम दिया है। इन सब बातों को लक्ष्य में रखकर के मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को पारित करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के रखे गये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We claim division.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : क्या सदन का अनुमति है कि श्री ज्वालाप्रसाद को अपना संशोधन वापस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय मुझे भी अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री रघुनाथ विश्नोई को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं भी अपना संशोधन विथड्रा करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने के रखे गये हैं उनको स्वीकृत किया जाय।

जो पक्ष में हों हां कहें,

जो विपक्ष में हों ना कहें,

ना पक्ष जीता

श्री विजयसिंह झाला : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता।

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्प्लोइज एक्जेम्प्शन फ्रोम लेबर लाज बिल १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक की धारा २, ३, ४, ५ एवं ६, को स्वीकार किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस पर अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री सभापति : Would you like anyone clause to be deleted ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज एक पर मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : क्लाज एक बाद में लिया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरों के डिलीशन पर बोलेंगे।

श्री सभापति : तो क्लॉज़ दो तीन चार और पांच स्वीकार किये जावें; प्रश्न यह है कि इन को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ दो तीन चार और पांच स्वीकार किये गये।

क्लॉज ६।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, यह बिल जिस शक्ल में आया है और उस पर सदन में जो दो दिन से विचार चल

(श्री रामकिशन)

रहा है, मैं समझता हूं राजकीय पक्ष भी उसकी गम्भीरता को समझा होगा।

उनके द्वारा जैसी बात कही जा रही है कि विरोधी सदस्य किसी खास प्रचार के लिये, इस अकाल का भी फायदा उठाने के लिये इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस तरह की बात कहना, विरोधी दल के सदस्यों के साथ भयंकर अन्याय करना है। सरकारी पक्ष वाले जो चाहें सो बोल सकते हैं, उनके बोलने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता पर जो बातें मैं सदन के समक्ष रखने को खड़ा हुआ हूं और जो बातें हमारे दल ने सदन में रक्खी हैं उनके पीछे केवल मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय उत्तम भावना ही थी। इस अकाल राहत के काम करने में हमारा सरकार से मतभेद नहीं है, न हम इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बिल मैंने पढ़ा। पर मुझे इस सारे बिल को पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आया कि वे यह बिल लाये क्यों? इसका कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। इसके पीछे न विधान का समर्थन है, न मर्यादाओं का समर्थन है। इसको देखने से मालूम पड़ेगा कि इस बिल के द्वारा न केवल मजदूरों को राहत देने के आधार को इन्कार किया है, पर संविधान की धारा ३६ व ४२ को भी तोड़ा है।

संविधान की धारा ३६ में साफ कहा है कि बच्चों से काम नहीं लिया जावेगा। उनकी जो दयनीय दशा है, उनकी जो लिविंग कन्डीशन है उससे कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया जावेगा। पर इस सरकार के प्रवक्ता यह शान से कह रहे थे कि हम बच्चों को भी काम कराने के लिये पैसा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उनसे काम लेकर तो आप संविधान की धारा ३६ का उल्लंघन स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, अगर आपको उनको राहत देनी है तो आप उनके पास से काम लेकर पैसा मत दो, वह पैसा उनके काम करने वाले मां-बाप को दे दो जो कि काम करते हैं। उनको कुछ अधिक दे दो। हमारे बच्चे सैंट जेवीयर में पढ़ने जावें और वे गरीब बच्चे धूप और गरमी में काम करें—आप यह चाहते हैं। आपने उनसे काम लेकर यह काम किया है जो अक्षम्य है। बल्कि इसके ऊपर तो मेरी मान्यता है कि विधान भंग करने और उसकी हत्या करने के अपराध में आप पर मुकद्दमा चलना चाहिये।

उल्टे आप छोटे बच्चों से काम लेने का बिल ला रहे हैं सदन में। यह धृष्टता ऊपर से कर रहे है। एक तरफ आप कहते हैं प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पलसरी होगी, और दूसरी तरफ आप बच्चों से काम ले रहे हैं और इस सम्बन्ध में कानून बनाने भी जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मानवीय दृष्टिकोण है।

श्री रामकिशन : बलिहारी है आपके इस दृष्टिकोण की।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : आप देर से समझेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): आप ने अपने गोदामों के अकाउन्टस् ठीक कर लिये हैं क्या ? ब्लेक मारकेटियर ! आप बैठिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें तो ठीक है ।

श्री रामकिशन : आपकी कृपा होगी आप शान्ति से सुनेंगे तो, वरना आपको अधिकार है, बोलिये । यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं । २५ जुलाई को राज्यपाल महोदय ने चीफ इन्जीनियरों को कलेक्टर महोदय को अंग्रेजी में कहा है जिसकी केवल मैं शब्दावली का अर्थ बता सकता हूं । उन्होंने खुद ने माना है कि बच्चों से काम लिया गया है और यह अच्छा नहीं है । फेमीन कोड़ की ७५वीं धारा के अनुसार उनसे काम लेना अपराध था । हमें वह नहीं लेना चाहिये था । इसके अलावा उन्होंने ही आगे कहा है ऐसी हालत थी । सो, सभापति महोदय, यह मान्यता तो सरकार की भी है । राज्यपाल की ओर से पत्र गया है जिसकी यह प्रतिलिपि है । मन्त्री लोग इसे ध्यान से पढ़ लें । इसमें साफ लिखा है कि हमने बच्चों से काम लेकर अपराधपूर्ण कार्य किया है । इसके लिये सरकार को दण्डित होना चाहिये । एक बात । दूसरी बात और है जिसे सुनकर हंसी आती है । आखिर जो यह संविधान है । इसमें जो शुरू का शिड्यूल है उसकी तीसरी लिस्ट में बात कही गई है कि मजदूरों के कल्याण के लिये कानून बनाये जा सकते हैं । बनना चाहिए, पर मेरी समझ में नहीं आता कि इस कानून में मजदूरों के कल्याण के लिए कौनसी बात कही गई है । शिड्यूल में से इन्डस्ट्रियल एम्पलॉयमेंट एक्ट की बात हटा दी गई है । मिनिमम वेजेज़ की बात भी हटा दी है । जितनी मजदूरों को सुविधाएं दी जा सकती थीं उनको वापिस लेने के लिए यह बिल बनाया गया है, देने के लिए नहीं । जैसा कि इसके उद्देश्य में जिक्र किया गया है । तो जो कानून बनाया जा रहा है वह न न्याय संगत है। न मजदूरों के लिए कल्याणकारी है, न विधान संगत है और न उसके पीछे कानूनी सेंक्शन है । तो, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह कानून बनाना गलत है । माना कि सरकार ने गलती की है, हर इन्सान गलती करता है, जब तक जिन्दगी रहेगी, इन्सान गलती करता रहेगा । पर गलती को सुधारना और गलती अगर मालूम हो जाय तो उसे ठीक करना इन्सान का फर्ज है । तो जब गलती आपको मालूम हो गई कि यह गलती करने जा रहे हैं तो आप उसे वापिस ले लीजिये । आपको इसमें क्या शर्मिन्दगी है ।

विरोधी दल के लोगों ने चिट्ठी लिखी मुख्य मन्त्री को कि हम इस मसले पर आपसे बहस करना चाहते हैं । मुख्य मन्त्रीजी ने इसका जवाब तक नहीं दिया और शायद इसलिये नहीं दिया होगा कि चिट्ठी अंग्रेजी में थी । मुख्य मन्त्रीजी की समझ में नहीं आई होगी । क्योंकि अंग्रेज़ी उनको भी नहीं आती और न मुझको आती है । पर मुख्य मन्त्रीजी के तो बगल में आचार्यजी नाथूरामजी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने वाले काफी बैठे हैं, उनको पढ़ा दी होती, वे उसका अर्थ उनको बता देते । नहीं तो यही लिख देते कि चिट्ठी आपकी आई, विचार

(श्री रामकिशन)

करने को तैयार हूं। पर यह सरकार एक तरफ तो मजदूरों, की किसानों की हितचिन्तक की दुहाई देती है, और दूसरी तरफ कहती है, हमने उनको पानी पिलाने का प्रबन्ध किया वह मुफ्त में किया। आप अगर काम करने वाले मजदूरों को पीने का पानी भी नहीं पिलावेंगे तो क्या करेंगे, उनको प्यासे मारेंगे ? कोई सरकार श्रमिक को पानी नहीं पिला सके और पिलाए तो अहसान जताती है कि हम सत्तर मील से पानी लाये। यह आपका कोई उन पर अहसान नहीं है। यह तो आपकी असफलता का ढोल पीटना कहते हैं सत्तर मील से पानी लाये। १५ वर्ष आपको राज करते हो गये। आप इन इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी पिलाने का प्रबन्ध आज तक नहीं कर सके। यह आपके लिये शर्म की बात है, आपके शासन पर एक कलंक हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी अभी विदेशों में गये इजराइल भी गये होंगे। मिस्र गये होंगे वे भी रेगिस्तानी इलाके हैं पर वहां की सरकारें पानी की समस्या वहां के निवासियों के लिये कभी की हल कर चुकीं। आपकी यह असफलता है। तो या तो आप यह अपने अज्ञान के कारण कहते हैं, यह आपकी जानकारी में नहीं हैं। पर मैं यह मानकर चलता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी असफलताओं और गलत कामों का समर्थन करने के अभ्यस्त बन गये हैं। नसीराबाद वालों ने हमारी पार्टी वालों का जिक्र किया। जिस तरीके से किया उसका जवाब देना मैं नहीं चाहता पर लगातार वे कहते रहते हैं एस० एस० पार्टी है। पता नहीं इस एस. एस. शब्द पर जोर देकर कहने का उनका क्या अर्थ है। पता नहीं इससे वे क्या कहना चाहते हैं। इसका अर्थ उनका गधे से है। एक बार गधा कहा तो उत्तेजित हो गया। पर तुलसीदास की चौपाई मुझे याद आ गई और तभी शान्त हो गया।

तुलसी बुरा न मानिये,

जो गंवार कहि जाय।

न उसमें ज्ञान है न बुद्धि न तर्क है, न न्याय है और न धैर्य है। जो कह जावें वह ठीक है। बाकी हम जो लोग कहते हैं उसके पीछे हमारी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न कठिनाई में डालने की भावना है। अगर सरकार इसके बदले यह कहती कि पैसा नहीं है तो बात सीधी हमारी समझ में आ जाती। हम तो मानते हैं सरकार की तकलीफें हैं। इसके लिये पांच छः करोड़ का प्रोवीजन रख नहीं सकते। पर आपने पहले से कोई प्रयत्न इसके लिये नहीं किया। आपने अपने शासनकाल के १७ सालों में इस राज्य को कंगाल, अकालग्रस्त, भूखा और करप्ट बनाया है। गलतियां की गईं पर उनको सुधारने की कोशिश कभी नहीं की गई। एक गलती को छिपाने के लिये बल्कि दूसरी गलती की गई। कभी आपने अपनी अज्ञानता को ठीक नहीं किया। एक गलती से बचने के लिये निरन्तर गलती करते गये। और इसके लिये निरन्तर गलती करते जाना आपके लिये शोभनीय नहीं है। गलती दबाने की कोशिश करते है, यह ठीक नहीं है।

जहां तक मिनिमम वेजेज का सवाल है, सदन में कहा कि धारा ४३ के नीचे राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा कि कम से कम।

(श्री रामकिशन)

एक व्यक्ति को जिन्दा रखने के लिये साधारण व्यवस्थाएं लोगों के लिये पैदा की जावें। आज यह आप करना नहीं चाहते। आपने फेमीन कोड को तोड़ा है।

आपने इसमें रखा है औरतों के लिये १४ छटांक और १८ छटांक अनाज पुरुषों के लिये, यह फेमीन कोड आपका पुराना है। स्त्री और पुरुष में भेद करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। औरत १४ छटांक ही खा सकती है। जो औरत है वही औरत की पीडा को समझ सकती है कि उनकी इनर्जी ज्यादा क्षीण होती है इसके लिये उसको ज्यादा अच्छी डाइट मिलनी चाहिये। पर इसके बदले में आपने रखा है केवल १४ छटांक। पुरुषों से भी चार छटांक कम। पर फेमीन कोड के तहत व्यवस्था की गई थी कि कलेक्टर, इन्जीनियर और हैल्थ अफसरों की एक कमेटी जिले जिले में फैसला करेगी कि किस वर्कर के लिये क्या दिया जाय। तो इन सारी बातों में न जाकर मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इन बातों पर गम्भीरता से विचार करें। इसे आप विवाद का विषय न बनावें। हमारी आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है हमारी यह इच्छा नहीं है कि आपकी इस मामले में बताई गई कमजोरी का फायदा उठावें। इस मौके पर आपकी कमजोरी का लाभ हम नहीं उठावेंगे। और कभी भी उठा लेंगे। आप तो रात दिन गलतियां करते रहते हैं। वह फायदा तो कभी भी जब भी चाहेंगे उठा लेंगे। पर इस अवसर पर नही उठावेंगे। अकाल पड़ते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको क्या पता, अकाल क्या होता है!

श्री रामकिशन : आप अकाल पीड़ित है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। श्री गिरधारीलालजी अकाली जो हैं जिनके यहां अकाल ही अकाल पड़ता रहता है। उनकी जिन्दगी में अकाल ही अकाल उन्होंने देखा है। उनकी जिन्दगी ये कभी बसन्त आया ही नहीं, जिन्दगी भर अकाल की छाया रही है। पर हमारी जिन्दगी में तो बसन्त भी आये हैं आज तक हमारे जीवन में तो संघर्ष काल से लेकर आजादी के काल तक अधिकांश रूप से बसन्त ही रहा है। संघर्ष की हालत में भी हमारी आंखों में तेज, मन में जोश और उमंगे, हृदय में उत्साह रहा है निरन्तर। पर हमारे इन अकालरामजी ने तो पिछले १७ सालों से बसन्त ही नहीं देखा अपनी जिन्दगी में। आपका तो जन्म ही अकाल में हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पिछले दो हजार सालों में ऐसा प्रबन्ध नहीं देखा।

श्री रामकिशन : तो, सभापति महोदय इनको न तो इतिहास का ज्ञान है और न उसके बारे में कुछ जानते ही हैं। वह दो हजार वर्षो का इतिहास पढ़ें तो मालूम होगा कि ७०० वर्ष पहले तो अकाल पड़ने जैसी स्थिति नहीं है। हां, सात सौ वर्षों में तो ऐसा समय रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके महाभारत और रामायण में भी ऐसी व्यवस्था हुई थी ?

श्री रामकिशन : मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपने प्रवक्ताओं को छांटे तो ऐसे लोगों को छांटे जिनको इतिहास का, तर्कशास्त्र का और तर्क का ज्ञान हो। केवल भावनाओं के आधार पर नहीं छांटे और बोलने वाले भी जबरदस्ती इसलिए तारीफ न करें कि टिकट लेना है कि पिछले दो हजार सालों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। दो हजार वर्ष पहले तो अकाल ही नहीं पड़ते थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हर बारह साल में अकाल पड़ता है।

श्री रामकिशन : हमारे इलाके में तो अकाल पड़ता ही नहीं। क्यों नहीं सरकार १७ सालों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर पाई कि इस प्रकार से अकाल न पड़े ? जब सरकार स्वयं जानती है और कहती है कि अकाल पड़ता है और पड़ता रहता है तो उसकी रोक-थाम होनी चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

तो, सभापति महोदय मैं से आप निवेदन, करूंगा कि जो हुल्लड़बाजी करें उनको रोकने की व्यवस्था की जाये और इसके लिए मैं आपको सुरक्षा के लिए निवेदन करता हूँ।....

श्री सभापति: Order ! Order please !

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कांग्रेस के हुल्लड़बाजी सदस्य हैं उनसे मेरी सुरक्षा की जाये। सारी बातों को समझने की कोशिश तो करते नहीं हैं।

तो सरकार कहती है कि अकाल पड़ा और हमने ४ करोड़ रुपयों का इन्तजाम किया। मैं कहता हूं कि आजाद देश में ऐसे अकाल पड़ते क्यों हैं ? बर्मा, लंका, इन्डोनेशिया और पाकिस्तान में अकाल जैसी स्थिति आई लेकिन वहां ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वहां की सरकार जानती है इसलिए उसके अनुसार ही वहां पर व्यवस्था की गई। जब आप स्वयं जानते हैं कि १२ साल में अकाल पड़ता है तो आपने कार्यवाही क्या की ? अकाल पड़ता है तो आप बाल्टी लेकर भागते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्योतिषी हैं तो आपने रोकने के लिए क्या किया ? आपने हजारों और लाखों आदमियों को भूखों मार दिया, लाखों महिलाओं को निर्जीव बना दिया, उनकी आंखों में चमक नहीं है। यह सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाने जैसी स्थिति है कि सरकार को यह मालूम होते हुए कि अकाल पड़ेगा उसने किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं किया और हजारों लाखों व्यक्तियों को भूखों मार दिया। तो, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार का यह तर्क बहुत लूला लंगड़ा और बे-बुनियाद है। एक तरफ सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि हमने इतना इन्तजाम किया है कि हमने मिनिमम वेजेज से ज्यादा दिया है। फिर कहते है कि हमने ७० साल के बूढ़े को और ८ साल के बच्चे को भी काम दिया है। तो क्यों किया आपने ऐसा ? आपने कानून तोड़ा है और उसका यहां पर समर्थन कर रहे हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे समय में आप कानून की दुहाई देते हैं !

श्री रामकिशन : ऐसा मत समझिये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम तो बड़े नाशुक्रगुजार हैं। हम तो कहते हैं कि जो

(श्री रामकिशन)

आपने काम किये हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो ४ करोड़ रुपया आपने खर्च किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन कोई सरकार दो चार करोड़ रुपया खर्च करके जनता के विश्वास की भाजन नहीं बन सकती।

अंत में सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि वैसे मैंने तुलसीदास पर विश्वास नहीं किया। उनका विश्वास मुझे ३ कारणों से नहीं है। एक तो उन्होंने महिलाओं का विरोध किया है, दूसरे ब्राह्मणों को ऊंचा बताया है। इसलिए मैं तुलसीदासजी को कोई मौलिक कवि नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि कलयुग होगा उस समय का जो उन्होंने वर्णन किया है वह कांग्रेस वाले उसमें शामिल होते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इस युग के नहीं हैं क्या?

श्री रामकिशन : यह सभापति महोदय, बड़ा मुश्किल हैं। माननीय सदस्य न तो इतिहास को समझना चाहते हैं, न तर्क को समझना चाहते हैं। तो सभापति महोदय, इस समय जो अकाल चल रहा है उसमें निश्चित है इनका अंत। मेरी मान्यता है कि कांग्रेस राज्य में अकाल, भ्रष्टाचार, फेमिन और फ्लड इस चारों का साथ साथ जन्म है। तो इनका तो जन्म हुआ है साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। जब तक कांग्रेस राज्य होगा अकाल का निवारण नहीं कर सकते ये। भरतपुर की बाढ़ आपसे रुक नहीं सकती। नन्दा जी के भाषण धरे रह जायें लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। इस सरकार को गद्दी से हटाये बगैर दूसरा काम हो नहीं सकता। ऐसी ही बात उधर बैठने वाले हमसे गवर्नमेंट होस्टल में कहते हैं लेकिन यह उनकी बड़ी कमजोरी है। जैसे नाथूराम जी विश्नोई जी की तरफ देख रहे हैं तो वह मेरी तरफ देखने लग गए और उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ कह सकें या मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कुछ कह सकें। आप डरते क्यों हैं समझ में नहीं आता। टिकट तो आपको मिलेगा। जब जागीरदारों को, मालदारों को, राजाओं को और शहीदों को टिकट मिल जाता है, हत्यारों को मिलजाता है तो आपको जरूर मिलेगा। समझ में नहीं आता कि आप इस तरह से भिखारी कैसे बन गये और वह भी केवल टिकट के लिए। सही पूछें तो मुझे दया आती है ....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिल से हट कर आप टिकटों पर आ गये।

श्री रामकिशन : इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह शिड्यूल और धारा ६ को हटाया जाये। मैं सदन से निवेदन करूंगा और खास तौर से कांग्रेसी बेन्चेज से कि वह इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और अगर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया या बनाते है तो विरोधीदल को अधिकार है कि नियमों के आधार पर इसका विरोध करें।

(श्री हांडा व श्री गोकुल प्रसाद शर्मा एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : One at a time please. (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा की ओर संकेत) आप डिलीट कराना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं डिलीशन के लिए कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : Only five minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं सदन से आपकी मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्लाज ६ जो इस बिल का है वह डिलीट किया जाये। इस के तहत ५ और ६ दोनों क्लाज डिलीट की जायें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इस क्लाज के तहत सारे के सारे लेबर लाज रिपील किया जा रहा है........

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज ५ तो सदन ने पारित कर दिया है। इसलिए इसके डिलीशन का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिड्यूल और और क्लाज ६ को रिपील किया जाये। इस सम्बन्ध में लेबर लाज को रिपील करने के सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और लेबर लाज को रिपील करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ही भावुक सा भाषण दिया है और अकाल से पीड़ित मनुष्यों के उद्धार का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन उन्होंने किया। सभापति महोदय, यह राहत, यह दान, दक्षिणा अकाल से पीड़ित लोगों को इस प्रकार से राहत देकर उसके गौरव को इस तरह से उठाना यह एक राज्यके मुख्य मंत्री को तो शोभा नहीं देता। राज्य के मुख्य मंत्री होने के नाते राज्य के किसान और मजदूरों के प्रति उनका कुछ कर्त्तव्य है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि फेमिन कोड जो कि बाकायदा लागू था, राज्य के मुख्य मंत्री ने और सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया। अगर फेमिन कोड के मुताबिक ही राहत देते तो एक रुपया २० न० पै० देने की बात कभी नहीं आती, ३५ न० पै० एक बच्चे को देने की बात कभी नहीं आती। १८ छटांक कोर्स ग्रेन हर स्थिति में देना पड़ता और इसके अनुसार पलसेस, दालें, मिर्च, दूध यह सब प्रावीजन्स फेमिन कोड में हैं। जिसका मूल्य लें-फैमिन के दौरान में बाजरे का मूल्य कितना रहा—१८ से २३ तक वैरी किया है। याने २० रुपया एवरेज रहा है। उसके अनुसार ६ आने का बाजरा ही देना पड़ता है और २ रुपये से अधिक का सामान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी ने इस पत्र के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि छोटे छोटे बच्चों से कार्य लिया है वह फेमिन कोड के विरुद्ध है। अगर वह मेजर्स पुरुष और स्त्री और एड़ल्ट्स को फेमिन कोड के तहत वेजेज लेते तो उनको इस प्रकार की मानवता की दुहाई दिलाने में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न तो बच्चों को काम करना पड़ता...

श्री सभापति : There should be no repettion of arguments.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This argument has not been repeated atall.

श्री सभापति : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि चूंकि समय कम है। आप बिजिनेस लाइक मेथड से अपनी बात कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी आज्ञा मान्य है।

श्री सभापति : क्योंकि Listen to me. At 12 O'clock I will put the question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं माननीय मुख्य मन्त्री की इस दलील की ओर भी शिकायत करूंगा कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट की धारा २६ के तहत हम इस एक्जेक्शन को कर सकते हैं। इस इक्जेम्पेशन को उन्होंने किया भी। मिनिवेजेजएक्ट की धारा २६ के तहत मिनिमम वेजेज एक्ट में ३० अप्रेल से उन्होंने यह एक्जेम्पशन कर दिया। अब उसके बाद प्रश्न यह था कि फेमिन रिलीफ का बिल है। ला पहले से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चल रहा था। यह डुप्लीकेसी आज क्यों पैदा हुई। जब एक लेजिस्लेशन पहले से मौजूद है जिसके तहत मिनिमम वेजेज एक्ट को रिपील किया जा सकता है और आज सारे लेबर लाज को रिपील करने के लिए बिल लाया गया है वह क्यों ? इसलिए कि एक जून ६२ जो कि उनको वास्तविक हकूक ३ लाख अकाल-ग्रस्त लोगों को देने चाहिए थे उनको नहीं देना चाहते हैं। वह उनके अधिकारों को मारना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त एक दलील और देते हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं माननीय मुख्य मन्त्री की उस दलील को। उन्होंने कहा कि ३ रुपये २० पैसे के हिसाब से पेमेन्ट हुआ है जब कि पी० डब्ल्यु० डी० केशिड्यूल के मुताबिक १ रुपये २० पैसे के अनुसार यह सारे का सारा पेमेन्ट होना चाहिए था। आज राज्य के मुख्य मन्त्री इस बात को स्वीकार कर लें कि जिस रोज से रिलीफ का कार्य हुआ उस रोज से ३ रु० २० पैसे के हिसाब से वह पेमेन्ट करने को तैयार हैं तो मैं सारे विरोधी दलों की ओर से उनको आश्वासन दिला सकता हूं कि वह इस बिल का विरोध नहीं करेंगे। वह इस बात को स्वीकार करें। एक बीकानेर डिवीजन के सुप्रिन्टेडिंग इन्जीनयर के पत्र पर उन्होंने अपनी इस दलील को आधारित कर दिया। न कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, न राजस्थान के सारे इन्जीनियर्स की रिपोर्ट हैं रिलीफ रिलीफ वर्क्स के सर्वेकी रिपोर्ट है न इस रिपोर्ट के पीछे कोई टेक्निकल दलील है और न इस रिपोर्ट के पीछे कोई टेक्निकल आब्जेंवशन है। यह केवल अपील करने के लिए एक सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, बीकानेर का पत्र प्राप्त हुआ उसी पर आधारित है। यह सदन के माननीय सदस्यों के अन्दर ठोस दलील का वातावरण पैदा नहीं करता है। वह स्वीकार करेंगे कि अगर ३ रु० २० पैसे पर १०० क्यूबिक फीट के हिसाब से अगर आप पेमेंट करेंगे तो हमको स्वीकार है, यह बिल हम सारे के सारे इन दलीलों को इस सदन में वापिस लेने को तैयार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल इसलिए कि मानवीय दृष्टिकोण का हवाला देकर किस प्रकार से मजदूरों के एक करोड़ रुपये का पेमेन्ट नहीं देना चाहते हैं और उसके चार कानूनों का जिनको कि मजदूरों ने अपना खून देकर प्राप्त किया है और जिनके तहत डिटेक्टेड और डिलेड वेजेज के पेमेन्ट का हक प्राप्त होता है उसको काट डालना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चैलेन्ज करके राज्य के मुख्य मंत्रीजी से जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट में होता है कि १० दिन के बाद पेमेन्ट होना चाहिए मगर १० दिन के बाद....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जालोर में हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो विश्नोईजी आपको जानकारी नहीं है। कहीं पर ६ हफ्तों में पेमेन्ट हुआ है तो कहीं पर १० हफ्तों में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पेमेन्ट हुआ है और कई जगह पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जो वक्तव्य दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। वह पेमेन्ट बराबर दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप चापलूसी कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई चापलूसी की बात नहीं है !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I strongly object to it.

श्री सभापति : (कई मेम्बर्स के एक साथ बोलने पर) Order Order please

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी जांच करवा ली जाय। अगर मेरी बात गलत निकलें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या वे इस्तीफा दे दें।

श्री सभापति : Order ! Order

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, अगर हमारे माननीय सदस्य मेरे कहने से इतने व्यथित हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सदन के ५ आदमियों की एक कमेटी का निर्माण किया जाय जो सारे वर्क्स के ऊपर आब्जर्वेशन करे कि क्या वास्तव में पूरी वेजेज दी गई हैं और क्या वेजेज का १० दिन के अन्दर पेमेन्ट हुआ है जो कि कानून के अन्दर हो जाना चाहिए था। मैंने डिटेक्टेड डिलेड वेजेज के लिए कहा है इसके अतिरिक्त सन्डेज देने पड़ेंगे १५ दिन के वेजेज का जिनका अधिकार था, मानवता का दृष्टिकोण रखकर राज्य के मुख्य मंत्री ३ लाख मजदूरों को उनके इन अधिकारों से वंचित कर दें जिनको कि अंग्रेज सरकार ने नहीं किया था....

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने लड़ाई की उसको यह कांग्रेस की सरकार करना चाहती है।

श्री सभापति : श्री माकिचन्द सुराणा ! आप संक्षेप में ही बोल लें, ३—४ मिनट में ही बोल लें। आप थर्ड रीडिंग के टाइम पर बोलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एमेंडमेंट बाद में ले लूंगा।

श्री सभापति : छठा क्लाज अभी चल रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : On a point of order, Sir. जो रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप चापलूसी कर रहे हैं। यह झूठ बात कर रहे हैं। आपको खुद को जानकारी नहीं है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं। उस चीज के बारे में एलिगेशन लगाया है और यह प्रेस करते हैं तो उसके बारे में मैं चैलेन्ज करता हूं कि इन्होंने जो बात कही है वह बिल्कुल गलत है। या तो ये साबित करके बतायें या मैं साबित करता हूं।

श्री सभापति : Ignore it please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय

Page No. 89

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विश्नोईजी का चैलेन्ज मैं स्वीकार करता हूं और मैं बड़े हर्ष से स्वीकार करता हूं। मैं उनसे चैलेन्ज रखवाने वाले माननीय मुख्य मंत्रीजी से कह रहा था। मैं आपको चैलेन्ज नहीं कर रहा था, मैं राज्य के मुख्य मंत्री को चैलेन्ज कर रहा हूं। वह पान चबा रहे हैं वह जवाब दें। आप छोटे भाई क्यों बोलते हैं ? क्यों इस चक्की में पिसते हो !

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, हमारे हाउस के नेता, राज्य के मुख्य मंत्री ने एक आर्ग्युमेन्ट का निर्माण किया है कि मिनिमम वेजेज से अकाल के मजदूरों को दुगुना पेमेन्ट दिया जा रहा है और इस सिद्धान्त को, इस प्रपोजिशन को बहुत जोर शोर से उन्होंने प्रतिपादित किया है और कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। सभापति महोदय, वह कलजुग की बात हो गई। आज जो हम अपने आपको वामपंथी कहते हैं जो मजदूरों के हिमायती अपने आप को मानते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उनको दुगुना देना चाहते हैं और हम इतने कृपण और इतने ओछे हैं कि अकाल के मजदूरों के लिये यह कहते हैं कि उनको आधा दिया जाय और उनको मिनिमम वेजेज दी जाय और उनको मिनिमम वेजेज दी जाय और जो डबल पेमेन्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं वह नहीं करने दिया जाय। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह दलील बिल्कुल + + पर आधारित है....

श्री सभापति : Must you use that word. It is unparliamentary.

श्री मानिकचन्द सुराणा : You may expunge it.

श्री सभापति : यह एक्सपन्ज किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is a most appropriate word.

श्री मुरलीधर व्यास : आप बता दें उसको कह दिया जाय। कौन सा दूसरा लफ्ज़ है। कोई बड़ी गलती कर दी जाय तो उसके लिए कौन सा आसान शब्द या मुलायम शब्द रखा जाय।

श्री सभापति : Don't try to advise me. Please keep sitting.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो मिनिमम वेजेज, हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि ३ रु० २० पैसे प्रति १०० घनफुट के हिसाब से देना पड़ता है और पी० डब्लयु० डी० की शिड्यूल के हिसाब से १ रु० ६० पैसे देने पड़ते हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यह भूल जाते हैं कि जो सड़क पी० डब्लयु० डी० एक महीने में निर्माण करती है वह फेमिन रिलीफ वर्क्स में तीन महीने में निर्माण होती है इसलिए एक दिन की मजदूरी का जो प्रश्न है उसका विवाद नहीं करना चाहता। तीन महीने में ३ रु० २० पैसे जिसको मिलता है। प्रश्न बिल्कुल कांच की तरह साफ है जिस तरह से यह स्पष्ट है कि हम दिन में बात कर रहे हैं। मिनिमम वेजेज में रोज की मजदूरी डेढ़ रुपया मिलती है अकाल कोड के तहत जो मजदूरी दे रहे हैं वह एक आदमी को १ रु० १० पैसे, औरत को ८७ पैसे और

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला।

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

बच्चे को ७५ पैसे देते हैं। मिनिमम वेजेज में एक बच्चे को सवा रुपया मिलता है, लेकिन मैं प्रति दिन की मजदूरी पर बहस नहीं करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी इसको कन्फ्यूज करना चाहते हैं। वे बहुत एक्सपर्ट हैं क्योंकि १०-१२ सालों से वह यह काम कन्फ्यूज करने का इस सदन में करते आये हैं। इस काम में उनकी होशियारी का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से कन्फ्यूज करके राजस्थान की जनता को और इस विधान सभा का गलत तथ्यों के द्वारा ध्यान आकर्षण कितना ही करना चाहते हैं लेकिन आपकी दलीलें प्रमाणित नहीं हो रही हैं।

आपके दिल में जो हमदर्दी है वह ज्यादा बाहिर नहीं होती लेकिन मुख्य मन्त्रीजी बचना चाहते हैं और फेमिन कोड की दुहाई देते हैं। इस कानून के द्वारा आपने सारे लेबर लाज को खत्म किया है। लेकिन आपके फेमिन कोड का सरकार ने किस बात में पालन किया है। फेमिन कोड में मजदूरों को मजदूरी क्या दी जाय, किस जिले में क्या दी जाय यह प्रत्येक जिले के कलेक्टर, डी. एम. ओ. और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिल कर तय करेंगे और वहां पर जो प्राइस लेवल है उसको देखकर तय करेंगे। जो आपने १८ ग्राम कोर्स ग्रेन मुकर्रर किया है और उसके साथ साथ तेल, गुड़, मसाले आदि की जो आवश्यकता है उसके अनुसार मजदूरी निर्धारित की जाय। मैं मुख्य मन्त्रीजी को चुनौती देकर कहता हूं कि राजस्थान के एक भी जिले में यदि आप यह बात दिखादें तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र देने को तैयार हूं। सरकार ने श्रमिक निधियों का पालन नहीं किया है। फेमिल कोड को लाकर श्रमिकों के हाथ से उनके अधिकार खोस रहे हैं। किसी अदालत में जाकर यह कहने का अधिकार छीन रहे हैं कि दो महीनों से उनको मजदूरी नहीं मिली है, पेमेन्ट ओफ वेजेज़ छीनना चाहते हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि एक महीने तक मजदूरों को वेजेज़ नहीं मिले तो कौनसी अदालत में जाकर वे कह सकते हैं कि हमें जानबूझ कर वेजेज़ नहीं दी गई हैं। उनके इस अधिकार को भी आप छीनना चाहते हैं कि वे मीटिंग करके मांग करें कि उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाय। आप इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को उनसे छीनना चाहते हैं। आपका एकमात्र तात्पर्य यह है कि अकाल में कार्य करने वाले मजदूर विवाद न करें। उनके सारे अधिकार आप छीनना चाहते है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आनेवाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगी। कांग्रेस के हमदर्द ऊपर से आपकी चापलूसी करने के लिये, आपको खुश करने के लिये और आपसे खुशखत प्राप्त करने के लिये भले ही आपकी बड़ाई करें लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ और श्रमिक वर्ग सरकार को माफ नहीं कर सकते। मुख्य मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि तीन गांवों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिनमें काम करने वालों का पेमेन्ट आपके कलेक्टर ने रोक रखा है इस-लिये कि वहां पर पी. डब्ल्यू. डी. के शिड्यूल के माफ़िक काम नहीं हुआ था और उससे कम हुआ था। हजारों रुपये बीकानेर जिले में रोक रखे हैं। तीन की एग्जेम्पल मैं आपके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सामने देता हूं। उनमें से एक है ग्राम पंचायत नकासर वहां पर कलेक्टर ने ५०००) का पेमेन्ट रोक रखा है इसलिये कि पूरा काम पी. डब्ल्यू. डी. की शिड्यूल के माफिक नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि आपने प्रत्येक काम का मुकाबला पी. डब्ल्यू. डी. के काम से किया है और उसके अनुसार काम में कमी रही है तो उनका पेमेन्ट रोका है। एक गांव का उदाहरण मैंने दिया है। दूसरा गांव है ग्राम पंचायत नापासर जहां पर सड़क निर्माण कार्य का पेमेन्ट रोक रखा है क्योंकि कलेक्टर का कहना है कि पी. डब्ल्यु. डी. के शिड्यूल के माफिक वहां पर काम पूरा नहीं किया है।

तीसरा ग्राम है पंचायत तारासर जहां पर ७-८ हजार रुपये रोक रखे हैं इन स्थानों पर और दूसरे बहुत से स्थानों पर पेमेन्ट इस तरह से नहीं दिया गया है यह सच्चाई छिप नहीं सकती मुख्य मंत्रीजी यह उदाहरण भी हमारे सामने है कि किसी जगह ३. २० पैसे या साढ़े तीन रुपये भी दिये गये हैं लेकिन ये जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर में नहीं दिये गये हैं, लेकिन ये दिये गये हैं आसिन्द में ३।।) रु० रोज के हिसाब से दिये गये हैं....

मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि आप साबित करदें कि वहां पर एक रोज में ३।।) दिये गये हैं तो सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप वहां के २५,२६ और २७ जून के मस्टर रोल मंगाइये इसमें यदि मेरी गलती होगी तो आसन जो पेनल्टी मुझे दे वह मैं भोगने को तैयार हूं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : मैं इनके चैलेन्ज को स्वीकार करता हूं। या तो ये इस्तीफा दें या....

श्री मुरलीधर व्यास : भीलवाड़ा में १ रु० २ आना से ज्यादा दिया है काम न करने पर भी, इसका चैलेन्ज में स्वीकार करता हूँ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

आपने चुनाव में लोगों को बुलाया, उनके वोट लिये। आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा। चुनाव के समय फेमिन के काम में भीलवाड़ा में नाजायज तरीके से पेमेन्ट किया है। चुनावों वोट देने के लिये बुलाया, आप जांच कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २५, २६ और २७ जून का मस्टर रोल मंगा लिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि सही है तो पेनल्टी दी जाय....

श्री सभापति : Order please. यदि आपके पास सबूत हो तो लिखित रूप में पेश करें यहां कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : चुनाव का मसला है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हम प्रमाणित कर देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं बिल्कुल तैयार हूं इनका चैलेन्ज स्वीकार करने को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ इतना ही नहीं कि वहां पर ३।।) के हिसाब से पेमेन्ट किया बल्कि जिस महीने में चुनाव हुआ उससे पिछले ५ महीनों में सवा लाख रुपये खर्च किए, जिस महीने में चुनाव हुआ उस एक महीने में ७ लाख रुपये समाप्त किये (शेम शेम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मजदूरों को काम मिला इसलिये शेम कहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिये कहते हैं कि बीकानेर के मजदूर महरूम हो गये और उनको ३।।) रु० मिले।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो काम करने के लिये आया हर एक जगह हर एक काम करने गया उसको दिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मजदूरों को मजदूरी मिलती है उस पर आप ईर्ष्या करते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मजदूर मजदूरी लेना चाहते हैं लेबर लाज के तहत....

श्री सभापति : Order please. क्या आप समझते हैं कि एक साथ सब खड़े होकर बोलते जायेंगे तो सदन की व्यवस्था ठीक रह सकेगी ? Wind up please.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Immediately, Sir.

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ईर्ष्या का प्रश्न नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने किसी एक विशेष जगह के ही सही, उनको अकाल मजदूर और मानव समझा है और उनके दैनिक जीवन में ३।।) रु० की आवश्यकता समझी है। मैं कहना चाहता हूं कि उनके स्टेन्डर्ड से सब को जज करें और राजस्थान के सारे मजदूरों के साथ एक सा बर्ताव किया जाय।

सिर्फ मजदूरी चुकाने का ही मामला नहीं है बल्कि साप्ताहिक छुट्टी देने के मामले में भी सरकार ने डबल स्टेन्डर्ड एडोप्ट किया है। जहां तक जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अकाल पीड़ित मजदूरों का सम्बन्ध है, ६ दिन काम करने के बाद उनको आधे दिन की छुट्टी दी है। यह उदयपुर की चिट्ठी की नकल मेरे पास है इसमें लिखा है कि उदयपुर में साप्ताहिक छुट्टी इन मजदूरों को पूरे दिन की दी जाती है। मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम राजस्थान में एक जगह तो कानून का पालन किया है, मानवता का काम किया है, ६ दिन तक मजदूरी करने के बाद एक दिन तो पूरे वेतन सहित छुट्टी उनको दी है। लेकिन राजस्थान के दूसरे हिस्सों में फेमिन कोड का पालन मानव दृष्टि से भी मुख्य मंत्रीजी करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल में लिखा गया है 'श्रमिक' उसको डिलीट किया जाय और क्लाज ६ को भी डिलीट किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज ६ मय शिड्यूल के स्वीकार किया जाय ?

ना पक्ष जीता ?

Page No. 93

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने सुना नहीं दुबारा प्रश्न किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है, इस विधेयक का क्लाज ६ मय शिड्यूल के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री विजयसिंह झाला : ना पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ना पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We claim division.

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी एक पर कर लेना। एक पर कर लेना।

श्री सभापति : हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

खंड ६ और अनुसूची विधेयक के अंग बने।

क्लाज १। श्री अब्दुल जब्बार।

लम्बा ज्यादा समझाने की बात नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं तो आपके हुक्म की तामील करने के लिए हमेशा तैयार हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा एक संशोधन है, वह साधारण है देखने में और वह है क्लाज १ के सब क्लाज तीन को निकालने के लिए। आप इसके अन्दर से लेबर लाज को निकालना चाहते है। निकाल दीजिये कोई बात नहीं। लेकिन सवाल आता हैं कि कौनसी मजबूरी के कारण, ऐसी क्या असुविधा, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहते हैं। यह लाजिमी चीज है कि मजदूरों का कोई हक मारा होगा, उनके हक को पामाल किया होगा इसलिए वे अदालतों में गये होंगे, लेबर ट्रिब्यूनल के सामने गये होंगे। बहरहाल, कोई न कोई बात होगी जिसकी बिना पर आपको यह संशोधन लाना पड़ा। सभापति महोदय, यह सवाल आता है, बार ओन कागनीजेन्स आफ कोर्टस के क्लाज में लिखा है।

"As from the commencement of this Ordinance, no court shall take cognizance of any matter in respect of an employee of the famine relief works under any labour law."

अब फिर बाद में इस प्रकार आता है कि कोई चीज, किसी किस्म का दावा या सूट दायर किया होगा वह इसके अनुसार डिसाइडेड समझा जायेगा, उसको डिसमिस कर दिया जायगा। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, यह मजदूरों के लिए कानून बना रहे हैं या चीन के फ्रन्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए। आपने मजदूरों के

(श्री अब्दुल जब्बार)

हकों पर तो मार दी बन्दूक की गोली लेकिन वहां पर बन्दूक की गोली नहीं मारने देते। वहां पर तो आप इन्तजार करते हैं और यहां पर इतनी जल्दी की जा रही हैं और रिट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट लागू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर किसी ने दावा दायर किया है तो उसको खारिज समझा जायगा....

श्री सभापति - माननीय सदस्य ने अपने अमेंडमेंट में क्या फर्माया है?

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा अमेंडमेंड....

श्री सभापति : Delete 3 of clause 1.

श्री अब्दुल जब्बार : Yes Sir. This should be deleted.

अब इसके सम्बन्ध में मैं यह पढ़ कर सुना देता हूं—

The Clause says-It shall be deemed to have come into force with effect from the Ist day of July, 1963.

श्री सभापति : इसको डिलीट कर दिया जाय— यही कहना है!

श्री अब्दुल जब्बार : यह डिलीट कर दें। यह हो जाता है तो पूरा कानून खत्म हो जाता है और इससे हमारा मकसद हल हो जाता है। हम सरकार से कहते हैं जो इस चीज को इस तरह कर रहे हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से सपोर्ट कर दें।

श्री अब्दुल जब्बार : उसको डिलीट कर दें!

श्री सभापति : Yary clever. ठीक है, बस इतना ही कहना है।

श्री अब्दुल जब्बार : इतना ही कहना है, मुख्य मंत्री जी ने मानवीयता की बात कही मैं कहना चाहता हूं शिरोधार्य है। इन्सानियत के नाते आपने किया तो ठीक किया। तो आप कहते हैं कि हम मजदूरी ज्यादा देते हैं तो फिर कानून क्यों लाते हैं लेकिन इतने दावे हुए, इतनी कम्पेन्सेशन के लिए एप्लीकेशन्स आईं और मजदूरों की तन्ख्वाह पड़ी है उसको चुकाने के लिए बात आ रही है और जैसी बीकानेर की बात आई, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पेमेंट रोक रखा है उनको पेमेन्ट नहीं करना चाहते है इसलिए लेबर लाज के अनुसार वे कोर्ट में मामले ले जाना चाहते हैं और अपना लेबर क्लेम प्रकट करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको डिलीट इसलिए कर दिया जाय। और अगर इसको पास ही करना है तो यह पास हो जाता है उसके बाद गजट में साया होने के बाद यह लागू होगा—ऐसा कर दिया जाय ताकि तब तक सब केसेज डिसाइड कर दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि ये मजदूर राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, यह दो तरह की परेशानियों से परेशान हैं, एक तो उन पर ईश्वर का प्रकोप है, इधर उनके लिए नाज की व्यवस्था नहीं करते हैं और उनका ठीक तरह से पेमेन्ट नही होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति : मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा—सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट उसी प्रकार का है जैसा अभी निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है । जितने भी लाज हम बनाते हैं, कानून बनाते हैं वे उस दिन से फोर्स में आते हैं जिस दिन से वे गजट में शाया किये जाते है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल के द्वारा जो आर्डिनेन्स का निर्माण कराया है उसमें है कि १९६३ से इसका निर्माण किया गया है और जो बिल बना रहे हैं उसमें भी है कि १९६३ से यह बिल एक्ट के रूप में काम में आयेगा । इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है । मैं आपके द्वारा यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त में आपने कोई गलतियां की या आपके द्वारा कुछ ओमीशन्स हो गये—उन ओमीशन्स को कवर करने के लिए बाद में कानून लाना किसी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता । आज राजस्थान सरकार के ओफीसर्स की अपनी गलतियों के कारण यह कानून बना है-यह स्पष्ट है-३ अगस्त १९६४ को यह नोटीफिकेशन जारी किया लेकिन आज तक मुख्यमंत्री इस प्रकार का कोई रेफरेन्स नहीं देते हैं। उस नोटीफिकेशन के तहत मिनिमम वेजेज एक्ट राजस्थान के अकाल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर लागू नहीं हों—इसकेलिए आपने एक अवधि के लिए निर्णय किया है और उसी तरह से नोटीफिकेशन बनाया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इस तरह का नोटिफिकेशन के विद्यमान होते हुए भी यह कानून लाना चाहते हैं कि यह १९६३ से काम में आयेगा सिवाय इसके कि जिन लोगों ने, आपने जो ३०—अप्रेल की घोषणा की, उसके पहले अदालत के दरवाजे पर गवर्नमेंट को एक प्रतिवादी के रूप में ले जाकर खड़ा कर दिया उन साढ़े तीन हजार मजदूरों के क्लेम्स को मारने के लिए, उनके पैसे को हजम करने के लिए यह कानून लाकर एक दिवालिये से भी बदतर यह काम राज्य सरकार कर रही है । इसलिए जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेडमेंट किया जा रहा है । यह जनतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और किसी आनेस्ट गवर्नमेंट के सिद्धान्तों के खिलाफ है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज १ में जो संशोधन श्री अब्दुल जब्बार एवं श्री मानिकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गये)

प्रश्न यह है कि क्लाज १, इनेक्टिंग फार्मूला, प्रिएम्बल इत्यादि आफ दि बिल स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

क्लाज १, इनेक्टिंग फार्मूला, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

प्रश्न यह है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्प्लाइज (एग्जेम्प्शन फ्रोम लेबर लाज) बिल, १६६४) पारित किया जाय।

श्री हरिराम चौहान : मैं विरोध करने के लिए खड़ा हो रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : हम चाहते हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सभापति : काफी बहस हो चुकी है। चूंकि माननीय अध्यक्ष ने समय निर्धारित कर दिया था कि १२ बजे क्वेश्चन पुट हो जायगा। अब १५ मिनट ज्यादा हो गये हैं। इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्प्लाइज (एक्जेम्प्शन फ्रोम लेबर लॉज) बिल, १६६४ को पारित किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री सभापति: हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

श्री हरिराम चौहान : Noes have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Noes have it. We claim division.

श्री नाथूराम मिर्धा : पारित हो गया।

श्री रामकिशन : वाह साहब, वाह!

श्री सभापति : You are claiming too late.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No. We are in time.

श्री सभापति : Not in time. Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We had claimed earlier

श्री चन्दनमल वैद : पास हो गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे की कार्यवाही को करना है।

श्री रामकिशन : यह डिवीजन का प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके आसन से हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी मौका दें और इस मामले के अन्दर....

श्री गिरधारीलाल व्यास : बाहर जाना है तो इस तरह से जाना है क्या?

श्री रामकिशन : बाहर नहीं जाना है। क्यों जायं बाहर!

श्री मुरलीधर व्यास : उसके बारे में कहने का सवाल आता है।

श्री सभापति : एक एक कर कहेंगे तो ठीक होगा।

श्री हरिराम चौहान : हम इस बिल पर बोलेंगे....

श्री सभापति : No. You Cannot speak.

श्री हरिराम चौहान : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री सभापति : बिल पारित हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवस्था यह है कि हमारी बात है वह हम कह सकें। हम चाहते हैं कि बिल पारित करने से पहले हम अपने विचार रख सकें। आप मौका देते हैं तो थर्ड रीडिंग पर बोलने का मौका दीजिये। जैसा वह कहते है कि पारित हो गया, जैसा माननीय मंत्री ने कहा तो आप रूलिंग दे दीजिये।

श्री सभापति : देखिये, चूंकि समय हो चुका है, बोलने का मौका नहीं मिल सकता है। निश्चित समय पर प्रश्न पूछने की बात थी, वह मैंने पूछ लिया।

श्री हरिराम चौहान : मैं खड़ा हो गया था तब आपने कहा।

श्री सभापति : हां, हां समय नहीं मिलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवस्था चाहता हूं कि....

श्री हरिराम चौहान : नियमानुसार अधिकार है कि बोल सकते हैं....

श्री सभापति : That is no point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, यदि आपका निर्णय है कि बिल पारित हो चुका है....

श्री सभापति : इसमें आपको शक रह गया क्या?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह निर्णय है तो हम निवेदन करते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया हुई है वह रूल्स आफ प्रोसीजर के अनुसार नहीं हुई है और यदि हमें उन अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं तो निश्चित बात है कि हम जो अपोजीशन में बैठे हैं वह अलग अलग अपने वोट रिकार्ड कराना चाहते हैं, यह बतलाना चाहते हैं कि कितना जबर्दस्त पार्टियों का विरोध है। हमें विरोध प्रदर्शित करने का मौका नहीं देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से घोषणा करते है कि आपकी इस रूलिंग के विरोध में, जो हमको मौका नहीं दिया गया है, उसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा बहिर्गमन के लिए खड़े हुए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने डिवीज़न क्लेम किया और बिल्कुल सही टाइम पर डिवीजन क्लेम किया। आप डिवीजन अलाऊ नहीं करते हैं। अव्वल तो थर्ड रीडिंग के वक्त पर बहस अलाऊ की जानी चाहिए....

Page No. 98

श्री सभापति : You look up the procedure first.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We have seen.

श्री सभापति : You look up again.

श्री मानिकचन्द सुराणा : (बहिर्गमन करते हुए) It has been a poor performance in the history of the parliamentary democracy.

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : You are shielding...

(शोरगुल व्यवधान)

(सं.सो.पा. के नेता श्री मुरलीधर व्यास को छोड़ कर अन्य सदस्यों ने बहिर्गमन किया।)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री रामानन्द अग्रवाल ने बहिर्गमन किया)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग पर हमको बोलने का हक है और अच्छा तो यह होता कि हमें बोलने दिया जाता। जिस समय प्रश्न रखा गया उस समय डिविजन क्लेम किया गया था। आपने हमें कोई मौका नहीं दिया। इसलिये सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बारे में वाक आउट करना उचित है और मैं वाक आउट करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद : सभापति मोहदयं, इनसे पूछ लिया जावे कि कितने समय में वापिस आरहे हैं।

(१२.२० म० प०)

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

श्री सभापति : We are now having food debate.

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्यमन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय, इस सदन में आज से कुछ दिन पूर्व जब इस सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उस सिल सिले में मैंने इस सदन के सामने राज्य की खाद्य स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। इसके बाद इस सदन के माननीय सदस्यों ने यह निश्चय किया कि राज्य की खाद्य स्थिति पर काफी चर्चा की जावे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम ने अगले तीन रोज राज्य की खाद्य स्थिति के बारे में विचार करने के लिये रखे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों की इच्छा थी, उनकी भावनाओं का खयाल रखते हुए राज्य की सारी खाद्य स्थिति के बारे में दो नोट्स एक हिन्दी में और एक अंग्रेजी में तैयार करके माननीय सदस्यों के सामने सक्यूलेट किये जा चुके हैं और मेरे खयाल से सदन के माननीय सदस्यों ने उन को गम्भीरता से पढ़ा होगा और मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर प्रकाश डाला गया है और देश में खाद्यान्नों

(नाथूराम मिर्धा)

की जो विषम स्थिति है और जिस स्थिति में होकर हम गुजर रहे है, हमारी क्या स्थिति रही है, राज्य सरकार ने क्या क्या कदम स्थिति पर काबू पाने के लिये उठाये हैं और उनका क्या असर हुआ है इसका नोट मैंने माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट कर दिया है उसमें जिक्र मौजूद है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में इस स्टेज पर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूं कि सभी दलों के माननीय सदस्य खुद स्वीकार करेंगे कि आज जो स्थिति देश में खाद्यान्नों के बारे में बनी हुई है उसको हमें एक सामूहिक दृष्टि से देखना है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिये लगातार काफी दिनों तक प्रयास करना पड़ा और यह सभी तरह से किया गया। आज की स्थिति हमारे देश में जो बनी है वह हमारे यहां ही नहीं है बल्कि सारे देश में है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले दो सालों से बरसात अच्छी तरह से नहीं होने से उसका असर उत्पादन पर रहा है और खास कर उत्पादन में खाद्यान्नों की कमी रही है। वह सारे देश के सामने है। कई चीजों का उत्पादन कम हुआ है और खास कर खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले दो वर्षों में कम हुआ है। और खास कर राजस्थान में, जैसा कि हम अकाल के बिल पर चर्चा करते आए हैं। हमारे यहां १३ जिलों में यानी आधे राजस्थान में अकाल पड़ा और उससे पांच, छः हजार गांवों में हम कुछ भी पैदा नहीं कर सके। वर्षा नहीं हुई और वर्षा नहीं होने के जो कुछ बाजरा जवार या और चीजें जो पैदा होनी चाहिये थी नहीं हो सकी और पिछले साल जहां राजस्थान में खाद्यान्न ४५, ४७ लाख टन उत्पन्न होता है वहां ३२ लाख टन ही हुआ इसलिये राजस्थान में इम्पोर्टेड व्हीट ला सके। जितनी कानून के नीचे राहत हम उन लोगों को दे सकते थे, दी और जो धान निर्यात हुआ वह सब सूचना नोट में देखने को मिलेगी।

आज जितने भी हम सदन में बैठे हैं चाहे इधर या उधर, वे नोट को पढ़ कर अवश्य इस बात को महसूस करेंगे कि आज देश में जो हो रहा है उसमें विचार और चिन्तन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को शुरू में ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लगातार इसके लिये जागरुक हैं कि इस स्थिति पर काबू किया जावे और इसके लिये हम कोशिश करते हैं और जो कुछ माननीय सदस्यों की ओर से सही प्रस्ताव आयेंगे उनका स्वागत करें जो स्वागत के योग्य होंगे और बराबर सरकार उनका स्वागत करेगी और उन पर बराबर हम कदम उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता कि जो कुछ परिस्थितियां हैं, यदि हम इस चिन्ता में रहे कि इन परिस्थितियों का कुछ न कुछ लाभ उठा कर जनता के सामने रख कर बहुत ज्यादा भूख हड़ताल करें, आन्दोलन करें और जो नहीं कहने की बातें हैं वे कहें, इससे हमें कोई बहुत बड़ा राजनैतिक बल मिलेगा तो यह उचित नहीं होगा। यह दृष्टिकोण अभी देश के नेताओं ने सभी पार्टीज के नेताओं से बात की है और सबने एक टेबल पर बैठकर कांफ्रेन्स की और सब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पार्टियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि इस प्रकार परिस्थितियां.......

श्री भैरोंसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना है और अखबारों में देखा है । यदि आप करें तो करिये । आपको करना है सो आप करिये और हमको जो कदम उठाना है हम उठावेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमने इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये हमने अपने आपको सही दिशा में रखा है जो राजनैतिक पार्टी इससे लाभ उठाकर इस मामले को किस तरह से रखना चाहती हैं, हम उसको देखेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर । सभापति महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने भाषण में एक छोटी सी इस प्रकार की बात कही है जो सभी सदन के माननीय सदस्यों पर प्रहार करती है । आपने कहा कि अगर कोई दूसरी कार्यवाही की तो हम उसके अनुसार देखेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आई । क्या माननीय मन्त्री इस प्रकार की धमकी दे सकते हैं ?

श्री सभापति : यह धमकी है या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ । आंख से देखेंगे । आंख क्या बन्द कर लेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अब तक आंखें बन्द थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यही तो कहा है कि हम देखेंगे । आप अपने तरीके से काम करेंगे । हम देखेंगे । बावजूद आपको सब कहने से जो नजारा देखने की उम्मीद थी वह हमें नहीं मिला । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं सहयोग की और अगर वे कहेंगे कि हम करेंगे तो इससे ज्यादा क्या करेंगे.......

श्री रामानंद अग्रवाल : यह अपील नहीं कर रहे हैं । आप अपनी शक्ति का डर दिखाना चाहते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो कोई पुलिस का मिनिस्टर नहीं हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी सहयोग की अपील करते हैं हम राजनैतिक दलों से । मैं यह माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार कहने की स्थिति में हैं कि उन्होंने राजस्थान के विरोधी दल के कार्य कर्ताओं को कभी बुला कर सहयोग के लिये कोनफीडेन्स में लिया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले सत्र में तो मैंने और चीफ मिनिस्टर साहब ने बैठ कर आप लोगों से बात की थी, उसके बाद किसी पार्टी के आदमी ने आकर मुझे कोई बात नहीं कही । अब अगर आप चाहते हैं कि आप से बात की जाय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो आपकी बहस के बाद कोई रचनात्मक बात निकलेगी तो हम बात करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपने कोन्फिडेन्स में लिया ? आपने कोन्फिडेन्स में नहीं लिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी बहस हुई, आप लोगों ने सुझाव दिये, उनके ऊपर कानून बनाया, कदम उठाया और उस कानून पर अमल किया है । और उसके बाद और सुझाव देंगे, और बातें कहेंगे तो आपके सुझावों को माना जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फूड प्राइसेज के कन्ट्रोल के लिये विजिलेंस बोर्ड बनाया, उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा बोर्ड बना नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are a member of that Board. What do you say ? You are Chairman.

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मेरी निगाह में तो ऐसा बोर्ड नहीं बना ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर इतना ही ज्ञान है तो खाद्य समस्या कभी सुलझ नहीं सकती ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो सदन में माननीय सदस्यों ने खाद्यान्नों की समस्या के बारे में कहा । देश में दो तीन महीनों में विषम परिस्थिति आने वाली है । उन विषम परिस्थितियों पर हम काबू पा लेंगे और चौथी योजना में जिस गति से देश की पोपुलेशन बढ रही है उसी तेज गति से खाद्यान्नों के उत्पादन को बढाने की आवश्यकता है, लोंग रेंज में ढाई तीन परसेंट प्रोडक्शन बढा है, उसको ५-६ परसेंट करना पड़ेगा क्योंकि तेज रफ्तार से पोपुलेशन बढ रही है, दो परसेंट पोपुलेशन बढ़ रही है ।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा प्रदर्शनों से, ज्यादा नारों से इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं वह सही हल नहीं है । खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या खामियां हैं, उन खामियों को पूरा करने के लिये कदम उठाना होगा, कीमतों को किस प्रकार ठीक तरह से रखा जा सकता है, कौनसी वाजिब एजेंसीज ट्रेड को करने के लिये उपयुक्त हैं, उनके लिये वाजिब मुनाफा क्या हो, आगे खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्च करना है, चौथी योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन और इससे सम्बन्धित मामलों पर जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा देश के अन्दर उत्पादन को बढा के इन सारे दृष्टिकोणों को अपना कर बहस करना है । साथ ही बढती हुई जन संख्या पर काबू पाने के रास्तों को अपनाने के साथ साथ खाद्यान्नों में इस दृष्टिकोण को अपनायें कि योजना में जो गति रही है वह और तेजी से आगे बढाई जाय । इन सारे दृष्टिकोणों को अपना कर ही हमारे देश में जो विषम परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उन पर विजय पाना है । इस विषम परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से अनाज मंगा कर इस आपत्ति को पार कर सकते है, यह रास्ता हो सकता है, आने वाले कुछ समय में इस आपत्ति को मिटा सकते हैं। कन्ज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को संतोष दे कर क्या हमारा कार्य क्रम हो इस दिशा में विचार किया जाय।

मैं आशा करता हूं कि सदन के इस ओर और उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्य इन गम्भीर समस्याओं के बारे में विचार कर के आगे के कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव रखेंगे, सरकार भी उन सारी बातों का स्वागत करेगी। इसी विश्वास और भरोसे के साथ इस दृष्टिकोण से इस विषय पर आगे बहस की जायगी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस विषय पर बहस करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से कुछ इन्फार्मेशन चाहूंगा ताकि बहस में सुविधा हो।

पहली बात तो मैं यह चाहूंगा कि १९६३, ६४ में कितना खाद्यान्न राजस्थान से एक्स्पोर्ट हुआ, उसके फीगर्स नहीं दिये और कह दिया कि मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि जब खाद्यान्नों के बारे में इस प्रकार का संकट पैदा हो गया तो उस समय इस प्रकार के आंकड़े नहीं दें तो ऐसा मालूम होता है कि उसके पीछे कोई राज है। ६४ की जनवरी से लेकर जुलाई तक के आंकड़े दिये हैं। पर पिछले साल के एक्स्पोर्ट के फीगर्स सरकार नहीं दे पा रही है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डिबेट को ठीक तरीके पर लाने के लिये इस प्रकार के आंकड़े दें।

दूसरे, इस रबी की फसल पर पाला पड़ जाने से गेहूं का उत्पादन कम हुआ, ऐसी स्थिति बताई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल कितने गेहूं के प्रोडक्शन का एक्स्पेक्टेशन था, कुल कितना नुकसान हुआ, गेहूं की एक्च्युअल पोजिशन क्या है कि इस साल रबी की फसल को नुकसान हो जाने के कारण इतना गेहूं कम मिला।

तीसरे, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने नये नये आर्डर इश्यू कर के राजस्थान के बाहर अन्न का निर्यात जो करते हैं उसका परमिट लेना पड़ता है, इन परमिट्स के जरिये कितना अनाज राजस्थान सरकार ने बाहर एक्स्पोर्ट किया है और बिना परमिट के कितना अनाज लोगों ने एक्स्पोर्ट किया ताकि पता चल जाय कि राजस्थान सरकार के परमिट्स से इतना अनाज और प्राइवेट एजेन्सीज के जरिये इतने अनाज का एक्स्पोर्ट हुआ। ताकि हम महसूस कर सकें कि प्राइवेट एजेन्सीज ने एक्स्पोर्ट किया वह प्राइवेट एजेन्सीज दोषी हैं या परमिट से सरकार ने एक्स्पोर्ट किया है वह दोषी है, कौन दोषी है, इस डिफरेन्सियेशन के लिये अलग अलग स्थिति बतायें।

तीसरे मैं यह कहना चाहूंगा, सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह)

कहा कि राजस्थान के २६ जिलों में से १३ जिलों में अकाल पड़ा, वैसे नाम लेने में बड़ा सुन्दर है कि १३ जिलों में अकाल पड़ा पर तेरह के तेरह जिले पूरे के पूरे स्केअर्सिटी एरियाज हों ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं किलो ५० परसेंट काल पड़ा है तो कहीं अब ६० परसेंट पड़ा है। इसलिये सारा का सारा १३ जिलों का उत्पादन गिर गया यह कहना ठीक नहीं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना प्रोडक्शन एक्स्पेक्टेड था और कितना प्रोडक्शन हुआ यह सब आंकड़े बता दें ताकि पता चल जाय कि अकाल के कारण कितना खाद्य संकट पैदा हुआ है। इस पर बहस के लिये जरूरी है कि वे इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स दें।

पांचवें मैं यह जानना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेड व्हीट है बाहर के तो फिगर्स दे दिये, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के फिगर्स दे दिये राजस्थान के दे दिये पर ये फिगर्स नहीं दिये कि राजस्थान की पोपुलेशन के आधार पर राजस्थान को इम्पोर्टेड वीट का जो कोटा मिलता है वह बाकी की स्टेट्स के कम्पेरिजन में कितना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, यू. पी. को कितना मिलता है और राजस्थान सरकार को कितना मिलता है। पोपुलेशन के बेसिस पर टोटल डिमांड तो बता दी पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया किसी भी स्टेट का पूरा नहीं करती, अपनी स्टेट का किस हद तक पूरा करती है? यह बताने के लिये आपको यह बताना चाहिये कि राजस्थान की इतनी जरूरत है और इतना देती है।

छठे मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों आपने प्रेस में कहा था कि सितम्बर तक राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं हो सकती। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सितम्बर के बाद स्थिति और एक्यूट होगी। आप यह कहते है कि सितम्बर तक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। तो आप यह भी बता दें कि सितम्बर तक तो इन कारणों से स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी और सितम्बर के बाद यह नई चीज होगी जिससे स्थिति ठीक हो जायगी। आप यह बता दें ताकि हम इस पर भी बहस कर सकें कि सितम्बर तक किन कारणों से यहां स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी।

तो आप बताएं कि अभी अभी जो पोजीशन आपने बताई है उससे राजस्थान की स्थिति एक्यूट क्यों बनी है आपने जो प्रोडक्शन के फिगर्स दिए हैं वे कौन से हैं और प्लानिंग वालों को आपने क्या फिगर्स दिए हैं और पिछली बार आपने क्या फिगर्स दिये हैं। ये सब कहीं टैली नहीं करते हैं। यह फिगर्स का एक ऐसा जाल है जिसको समझना मुश्किल है। आज तक जो इस खाद्य समस्या के फिगर्स दिए उनको किस प्रकार वाइटवाश किया है। दूसरे आपके सामने ऐसी कौन डिफीकल्टीज हैं कि सितम्बर तक हालत नहीं सुधरेगी। इन सब चीजों का साथ ही क्लैरीफिकेशन कर दें ताकि उस पर डिबेट शुरू हो जाय।

श्री सभापति : यह बेसिक इन्फरमेशन है, अगर अवेलबल हो तो बता दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा (बैठकर) : जो सवाल उन्होंने पूछे हैं....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जरा डेकोरम के साथ खड़े होकर बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापतिजी, जनसंघ के नेता ने जो सवाल पूछे हैं उनमें से जो इन्फोरमेशन अवेलबल नहीं है उस बारे में पहले से ही ना लिख दिया। १९६३-६४ के आंकड़े जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, अवेलबल नहीं थे, जो अवेलबल थे वे दे दिए। बाकी के लिए स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से कहा है, वे कलेक्ट कर रहे हैं। अगर बहस खत्म होने तक वे आंकड़े मिल जायेंगे तो देंगे। अभी हमारे पास नहीं हैं। बाकी सब बातों का जवाब दे सकता हूँ। आपने कहा कि गेहूं राजस्थान के अन्दर जो साढ़े सात लाख टन पैदा हुआ तो कितना एक्सपेक्टेड था। मैं कहूंगा कि फिगर जो एक्सपेक्टेड था वह तो मैं नहीं कह सकता पर मेग्जीमम प्रोड्यूस जो गेहूं का हुआ है वह करीब ११ लाख टन का हुआ है और आम तौर से तीन चार साल का औसत देखेंगे तो साढे दस लाख टन लगभग उत्पादन हुआ है पर क्योंकि पिछले साल बरसात न होने की वजह से कई इलाकों में कम रही क्योंकि कुओं में पानी कम था जिसकी वजह से करीब एक लाख टन व्हीटका कल्टीवेशन कम रहा। इसके अलावा शीत की लहर एडीशनल काज बना। अलग अलग एरियाज के सन्दर अलग अलग असर रहा, कहीं ५ परसेंट कहीं १० परसेंट रहा। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से साढ़े सात लाख टन पैदा हुआ।

दूसरी बात जो आपने उठाई उस बारे में खास तौर से आपने कहा कि सितम्बर के बाद में क्या स्थिति हो जायगी। भारत सरकार तो यह कहती है। मैंने जो अखबार वालों के सामने यह कहा था कि अब खरीफ के फसल बोने का टाइम है और अगर टाइम्ली रेनफाल ठीक ढंग से हो जाय तो राजस्थान के अन्दर खाद्य स्थिति में कुछ अन्तर आएगा। सितम्बर अक्टूबर के बाद प्रॉस्पेक्ट्स ठीक नजर आते हैं। हालांकि उसके बाद में कुछ और कदम उठाए हैं स्टाक डिक्लेरेशन के बारे में। तो कानून के जरिए जितना भी हो सकता है हम अनाज को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम क्रॉप के प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छा बनाते हैं तो जिन लोगों ने अनाज को अपने पास जमा रखा है उनके दिमाग में असर होगा। यह असर उस वक्त देखने को मिल सकता है। इसलिए इस स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश है। मैं सोचता हूं कि यह कहना मेरा गलत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इम्पोर्टेड व्हीट ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने खास तौर से दूसरी स्टेट्स के आंकड़े मांगे हैं। मैं सोचता हूं कि वे आंकड़े शायद मिल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। डिबेट जब कन्क्लूड होगी तो जो हमारे पास इन्फोर्मेशन होगी, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि हमारी डिमांड क्या है। दूसरी स्टेट्स में जो कुछ चल रहा है, अखबारों के जरिये जानकारी आप लोगों के सामने आ रही है, वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जिस समय डिबेट को वाइन्ड अप करने का सिलसिला होगा उस समय जितनी इन्फोर्मेशन भी कलेक्ट कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकूंगा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : परमिट से कितना एक्सपोर्ट हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात खास तौर से कहना चाहूंगा । सारी व्यवस्था के अन्दर परमिट नाम की चीज राजस्थान सरकार ने नहीं रखी। न सारी सप्लाई व्यवस्था में रखी है न कोई परमिट राजस्थान सरकार ने दी है और न राज्य सरकार का आगे भी कोई इरादा है। परमिट के द्वारा किसी प्रकार सप्लाई नहीं होती। जैसे भी कानून में लिखा गया है…………

श्री भैरोंसिंह : परमिट शब्द लिखा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी आदमी को नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन कानून में परमिट शब्द लिखा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमली रूप में मैंने स्पेशल आफीसर को हिदायत दी है कि परमिट नाम की किसी चीज को बाहर न निकाला जाय, न बाहर निकालने की इजाजत दी जाय। जो कुछ किया जाय कानून के नीचे किया जाय।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: सरकार ने बाहर जाने केलिए, चाहे परमिट नाम हो, लाइसेंस हों, कुछ इजाजतें मोटे अनाज निकालने की दीं था नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोटे अनाज को निकालने की इजाजत का सवाल नहीं है। १८ से २५ तारीख तक रोक हुई थी। उन तारीखों के सिवाय उनमें कोई परमिट नहीं दिया गया। वह तो पहले भी खुला था आज भी खुला है। जहां तक बारले का सवाल है, स्पेशल आर्डर है। कोई भी स्टाकिस्ट हो उसने जितना माल जमा किया है, उसका २५ प्रतिशत एक्सपोर्ट कर सकता है। बाकी ३/४ रेकार्ड के अन्दर लिखना पड़ेगा, चाहे वह खुद बेचे चाहे खुदरा व्यापारियों से बिकवाए। चने के लिए यह व्यवस्था है कि कोई भी स्टाकिस्ट जो होलसेलर है, चने का स्टाक इकट्ठा करके, उसका ३३ परसेंट एक्सपोर्ट कर सकता है बाकी ६६ परसेंट खुद बेचे या दूसरे रिटेलर्स से राजस्थान में बिकवाए। इसलिए जहां तक बाहर एक्सपोर्ट का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कोई परमिट नहीं जारी किया है और न आगे जारी करने का इरादा है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास टोटल डिक्लेअर्ड स्टाक्स फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर के अनुसार कितना है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : डिटेल्स तो बताए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को आपने फूडग्रेन्स लाइसेंस दिया है उनको अपने स्टाक्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। जबसे आपने आर्डर इशू किया है उस दिन से अब तक

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की एक्चुअल स्टाक पोजीशन क्या रही है, कितने कितने लोगों के पास कितना कितना अन्न है और आज की स्थिति में इस लाइसेंसिंग आर्डर के मातहत कितना डिक्लेअर्ड स्टाक राजस्थान में पड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिक्लेअर्ड स्टाक्स की स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं पर उनको इस समय डिक्लेयर करके मैं बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : हमारे पास कहां हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं बताना चाहता।

श्री सभापति : आप नहीं बताना चाहते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस पखवाड़े, किस महीने के अन्त तक क्या है, उसकी क्या स्थिति है मैं अभी उन फिगर्स के आंकड़े देना ठीक नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : पोजीशन तो उससे क्लैरीफाइ होनी है। राज्य सरकार यह बता दे कि इतना इम्पोर्टेड व्हीट मिल रहा है और इतना इसके अलावा डिक्लेयर्ड स्टाक्स हैं तो लोगों को पता लग जाय कि राज्य सरकार के पास इतना अनाज पड़ा है, इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उन आंकड़ों को, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता को बताना उनके हित में है और उन्हें रोकना उल्टा अहित है और मन्त्री महोदय का कहना मुझे विचित्र सा लगता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय बताना मैं जरूरी समझूंगा, मैं बताऊंगा, बाकी इस समय नहीं बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : वह स्टेज कब पैदा होने वाली है ?

श्री ज्वालाप्रसाद : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। मेरा एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है चेयरमेन महोदय, इस सदन में सम्माननीय मन्त्री महोदय इतने बड़े मसले पर जिसकी तरफ सारे राजस्थान की निगाहें लगी हैं, उस पर यह कहकर कि मेरे पास उसकी फीगर्स हैं लेकिन मैं उनको उचित समय पर बताऊंगा इस हाउस को कानफिडेन्स में क्यों नहीं लिया जाता है ? लिया जा सकता है या नहीं इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये। सदन की पूरी इज्जत की बात है। सम्माननीय मन्त्री बताने की कोशिश करें। कोई फाइल हो और कोई हो पार्लियामेन्ट में और दूसरी जगह भी सदन को विश्वास में लिया जाता है। कोई भी फीगर हो, कोई भी जानकारी हो जिसमें सारे राजस्थान की दिलचस्पी हो, जिससे मामले पर विशेष रोशनी पड़ती है तो माननीय सदस्यों को वह इन्फोर्मेशन लेने का हक है।

श्री सभापति : ऐसी बात है कि जहां तक यह इन्फोर्मेशन मिनिस्टर महोदय के पास मौजूद है और वे नहीं देना चाहते तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां तक सवाल है स्टेज आयगी तो बताया जायगा, मैं यही कह सकता हूँ कि यही प्रोपर स्टेज है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं इस आंकड़े को इसलिए नहीं बता सकता कि स्टेटमेन्ट कई व्यौपारियों से कई पीरियड के मांगे जाते हैं, कई लोगों को फोर्टनाइटली, कई लोगों को तीन महीने में देने पड़ते हैं और स्टाक डिक्लेरेशन के बारे में जो जो नया कानून लागू किया है और उसमें १५ दिन की मियाद है उन सारी स्थितियों की जांच करने के बाद, प्राइवेट लोगों ने क्या पेश किये हैं, क्या स्थिति बनती है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद हम और बातें सोच रहे हैं उसको करने के लिए, कौनसी तारीख की वे स्टाक पोजिशन चाहते हैं, अप टु डेट, हर जगह की सारे राजस्थान की इस समय मेरे पास नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिंग ओर्डर के अनुसार लेटेस्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट के के पास आये क्वार्टरली या फोर्टनाइटली, जो भी हों, लेटेस्ट पोजिशन उनके हिसाब से क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसे महीने तक की ? जो हमारे पास........

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो आप कह रहे थे स्टेटमेंट तैयार है और मैं इस स्टेज पर देना नहीं चाहता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह क्या बात है ? अपटु डेट लिस्ट मिलनी चाहिये । मैंने बार बार पूछा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहें कि लेटेस्ट जुलाई के एण्ड तक दी जाए तो मेरे पास कलेक्टेड नहीं है । आप अभी बहस कर लें । मैं डिबेट को वाइन्ड अप करूंगा तब दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट में कुछ भी कहें । जब आप इन्फोर्मेशन नहीं देते हैं तो क्या बनता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे आप पहले लिख कर दे देते कि यह इन्फोर्मेशन चाहिये तो मैं उसको कलेक्ट करवा लेता और दे देता ।

श्री भैरोंसिंह : लिख कर देने की आवश्यकता ही नहीं है । गवर्नमेंट को खुद इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये थी और उसके पास लेटेस्ट पोजिशन रहनी चाहिये थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बता देते कि इन इन मुद्दों पर इन्फोर्मेशन चाहिये और ये आयेंगे तो बहस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो मैं बता देता कि इसमें इतना टाइम लगेगा ।

श्री सभापति : इस प्रकार की इन्फोर्मेशन माननीय मुक्तिलालजी ने बराबर चाही थी कि कितना धान था, कितना बाहर चला गया है और अब कितना मौजूद है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोडक्शन के फीगर्स और दूसरी सारी की सारी चीजों के फीगर्स जो अवेलेबल थे उनको मुहैया करके दे दिया है ।

श्री सभापति : It is alright.

श्री ज्वालाप्रसाद : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, आपके द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है। सम्माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे पास फीगर्स हैं लेकिन मैं इस स्टेज पर नहीं दूंगा। उसके बाद आपकी व्यवस्था हो गई और उसके बाद रिकोइल किया जाय फिर सदन में इस तरह से कि किस साल का किस महीने का चाहिये आदि। उन्होंने अभी पहले अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि सब चीजें मौजूद हैं और अब उनकी ओर से यह स्थिति आती है कि मेरे पास मौजूद नहीं है और कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपने लिख कर नहीं दिया। आपने खुद ने पोइन्ट आउट किया है अपने ऑब्जर्वेशन में कि माननीय मुक्तिलालजी मोदी ने बार बार इस प्रकार की इन्फोर्मेशन चाही थी। कितना मेन मेड यह क्वश्चन है और कितना अन्य कारणों से यह स्थिति हमारे सामने पैदा हुई है इसके बारे में सही स्थिति जनता के सामने आये। उससे सरकार को मदद ही मिलेगी। इसके लिए सहूलियत ही मिलेगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : श्री सम्पत्तिलाल।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (गावली) : माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जुलाई के दूं या किस महीने के फीगर्स दूं। हमारा कहना यह है कि जो भी लेटेस्ट आंकड़े आपके पास मौजूद हों वे दे दें। जुलाई के हों तो जुलाई के दे दीजिये।

श्री सभापति : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरा यह निवेदन है कि यह सदन शुरु हुआ उसके दूसरे दिन ही इस बात की जोरदार बहस हुई, इस बारे में जोरदार चर्चा हुई कि आज ही खाद्य स्थिति पर स्टेटमेंट आना चाहिये और आज ही इस पर बहस होनी चाहिये। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि चार पांच दिन के पश्चात् इसके लिए एक समय निश्चित किया जाय, ताकि सही इन्फोर्मेशन दे सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय निश्चित किया था और उसी के अनुसार इस पर बहस हो रही है। अब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि यह जानकारी मेरे पास नहीं हैं और देना नहीं चाहता। यह बड़े दुख की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास स्टेटमेन्ट मौजूद है और उन्होने यह भी कहा है कि यह स्टेज नहीं है मैं दूं आपने यह कहा कि यदि है आपके पास, तो स्टेज यही हैं जब कि वह आनी चाहिये। तो अब क्लीयर कट आसान के इस आदेश को मानने की बात है। आसन के आदेश के बावजूद भी मंत्री महोदय, यह कहें कि मैं जरूरत समझूंगा तब दूंगा यह तो आसन के आदेश की अवहेलना करना है। सुबह यह चर्चा की गई थी कि सदन की डिग्निटी को कीप अप रखने की कोशिश करें। अगर ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से यह कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड इस सदन की ओर, और आसन की ओर दिखाया जायगा तो, मैं समझता हूं, यह सही परम्परा नहीं है। तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय

को जो इन्फोर्मेशन उनके पास है आसन के आदेश के अनुसार भी, इसी समय देनी चाहिये।

श्री सभापति : टेबुलेशन में वह नहीं है फिर भी क्लेरिफाई कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों के क्लेरिफिकेशन के लिए कहना चाहता हूं कि फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर के तहत जितने भी स्टाक डिक्लेरेशन के लिए स्टेटमेन्ट आते हैं तहसीलदार की लेवल पर आते हैं ....

श्री भैरोंसिंह : फिर गवर्नमेंन्ट क्या करती है सेक्रेटेरियेट में बैठ कर ?

श्री मोहन लाल सारस्वत : आप किस लिये बैठे हो ? देखने के लिए।

श्री सभापति : सुनिये।

श्री मुरलीधर व्यास : वक्त पर ही यह रचना मिल जाय। १ बजने वाला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग-अलग स्टेज से अलग अलग स्टेटमेन्ट कलेक्ट होते हैं उस ऑर्डर नीचे। सेन्ट्रल में उन स्टेटमेंट के कलेक्शन के लिए उस ऑर्डर में कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी जानकारी रखने के लिए कलेक्टर को कहते रहते हैं कि क्या स्टाक पोजिशन है समय समय पर बताते रहिये। मैं कह नहीं सकता कि किस महीने की पोजिशन स्टाक की हमारे पास है। जितने महीनों की पोजिशन मेरे सामने है मैं वह दे सकूंगा। अप्टूडेट इन्फोर्मेशन हो इसलिए वहां से कलेक्ट करने में काफी समय लगता है। अगर इसी से मसला होता हो तो जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है, वह मैं दे दूंगा। मैंने मेरी ओर से इन्फोर्मेशन न देने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जितनी इन्फोर्मेशन थी वह मैंने अंग्रेजी और हिन्दी के नोट्स के जरिये मेज दी है। और भी बाकी मैं फिर कलेक्ट कर लूंगा। जो मेरे पास होगी उसको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें जनता को बताने की हैं वे अवश्य बतायी जानी चाहिये।

श्री सभापति : अवेलेबल इन्फोर्मेशन जो भी है वह आपको दे दी जावेगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब दे दी जावेगी ? कल दे दी जावेगी ?

श्री सभापति : डिबेट होगी तब दे दी जावेगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कल सदन शुरू होने से पहले व्यवस्था की जायगी क्या ?

श्री सभापति : जो भी इन्फोर्मेशन अवेलेबल हो, देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा देने के लिये बाध्य तो नहीं किया जा सकता लेकिन है तो दे देनी चाहिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आप बाध्य कीजिये।

श्री सभापति : नहीं देते हैं तो it does not reflect satisfactorily on the Government and the House is at liberty to draw whatever inferences it likes.

We now adjourn to meet tomorrow at 8 A. M.

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० १.२ बजे (दिनांक ११ अगस्त के म.पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

List of grantees of Sawai Madhopur to whom the Housing Subsidy sanctioned at the rate of Rs. 750/-

S. N.		Name of grantee with his father's name.	Amount. Rs.
1.	Shri	Sannu s/o Suva.	750/-
2.	„	Surjia s/o Dhulia.	750/-
3.	„	Ramswaroop s/o Bhanwaria.	750/-
4.	„	Babu s/o Gogla.	750/-
5.	Smt.	Chothi w/o Gaburji	750/-
6.	Shri	............Shanbhu s/o Ramrakha.	750/-
7.	„	Lalu s/o Bansi.	750/-
8.	„	Chotia s/o Punia.	750/-
9.	„	Ram Prashad s/o Ghashi.	750/-
10.	Smt.	Puni w/o Hari.	750/-
11.	Shri	Gogla s/o Punia.	750/-
12.	„	Ramrakha s/o Sundra.	750/-
13.	„	Kishna s/o Goda.	750/-
14.	„	Bishna s/o Bhuria.	750/-
15.	„	Ramniwas s/o Muru.	750/-
16.	„	ghisha s/o Danshi.	750/-
17.	„	Mathura s/o Ramprashad.	750/-
18.	„	Nathu s/o Dhulia.	750/-
19.	„	Mathuria s/o Kishna.	750/-
20.	„	Gopi s/o Chhota.	750/-

S. N.	Name of grantee with his father's name.	Amount. Rs.
21.	Shri Sannu s/o Moti.	750/-
22.	„ Parsia s/o Bansi.	750/-
23.	„ Chothmal s/o Dhulia.	750/-
24.	„ Murli s/o Madho.	750/-
25.	„ Nathu s/o Gandia.	750/-
26.	„ Phulia s/o Chhotu.	750/-
27.	„ Kastura s/o Dhulia.	750/-
28.	„ Prabhu s/o Dhulia.	750/-
29.	„ Chotia s/o Goda.	750/-
30.	„ Ladhoo s/o Kishna.	750/-
31.	„ Kishna s/o ghashi.	750/-
	Total Rs.	23250/-

(Rupees Twenty three thousand two hundred and fifty) only.

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिये)

अधूरे स्कूल भवनों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम
	पं. स. बड़गांव
१.	लीयों का गड़ा
२.	नेडच
३.	कडीया
४.	डूलावतों का गड़ा
५.	इसवाल
६.	घोडय
७.	उथाए
८.	पीपड
९.	लोशीन्दा
१०.	केशुली
११.	झालोंग का गुड़ा
१२.	वाटी
१३.	वेदला
१४.	कदमाल

क्रमांक	नाम ग्राम
पं. स. बड़गांव	
१५.	शीशवी
१६.	रठूजणा
१७.	सेमल
१८.	काली वाक
१९.	वेरन
पं. स. गिर्वा	
१.	पडूणा
२.	जावर
३.	काया
४.	खेड़ी
५.	वसू
६.	त्रिछड़ी
७.	उमरड़ा
८.	अलसीगढ़

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर देखिये)

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों पर पढ़ाये जाने वाले विषयों की सूचि

१. **सामान्य:**—योजना, सामुदायिक विकास एवं प्रशासन (जिसमें कृषि संबंधी प्रशासन सम्मिलित हैं)

२. **कृषि:**— १) कृषि संबंधी औजार एवं भू-जल प्रबंध (जिसमें लघु सिंचन कार्य, भू-संरक्षण एवं जल निकास कार्य सम्मिलित हैं।

२) शस्य पालन एवं फार्म प्रबंध।

३) बागवानी (हार्टीकल्चर)

४) पौध संरक्षण।

३. बीमार पशुओं की व्यवस्था (जिसमें फर्स्ट एड भी सम्मिलित है)

४. सहकारिता।

५. पंचायत एवं पंचायती राज।

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य।

७. कृषि प्रसार शिक्षा।

* शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १० अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	अन्तिम से ४	म	में
५	२२,२७,	श्री आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६	८	श्री अध्यक्ष	—
७	१	श्री उप-मंत्री, वित्त	उप-मंत्री, वित्त
११	शीर्षक	तारकित	तारांकित
१७	१२ व २२	श्री आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१९	२	माँग	मांग
२०	१०	श्रीमती	श्रीमती
२९	१	श्री अध्यक्ष	—
३२	१४	(बागोदुरा)	(बागीडोरा)
३५	अन्तिम से ६	(बैर)	(वैर)
३७	अन्तिम से २	उप मन्त्री यातायात	उप-मंत्री, यातायात
४८	१५	जो जोधसिंह	श्री जोधसिंह
५९ से ६६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर-१० अगस्त, ६४-तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के-१० अगस्त ६४-तारांकित प्रश्नोत्तर
५९	१८	श्री मनिकचन्द	श्री मानिकचन्द
६३	८	मापासर	नापासर
६७	शीर्षक	अतारांकित	अतारांकित
६८	१५	(हिन्डोन)	(हिन्डौन)
७२	१२	ट्रेनिग	ट्रेनिंग
७३	शीर्षक	७ अगस्त की घटना-१० अगस्त, ६४-सम्बन्धी खेद प्रकाश	अतारांकित प्रश्नोत्तर-१० अगस्त, ६४-७ अगस्त की घटना सम्बन्धी

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
७८	३ व २२	(वैर)	(वैर)
८३	शीर्षक	१० अमस्त	१० अगस्त
८६	,,	स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य	सम्बन्धी खेद प्रकाश
,,	२४	सम्वन्घ	सम्बन्ध
८७	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
,,	२	संख्गा	संख्या
९०	शीर्षक	प्रस्ता परप थक्तव्य	प्रस्ताव पर वक्तव्य
९६	,,	प्रष्ताव	प्रस्ताव
९८	१७	श्री योगेन्द्रसिंह हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०४	शीर्षक	याचिकाओं का उपस्थापन	स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य
,,	अन्तिम से २	९.५८ म० पू०	(९.५८ म० पू०)
११२	२५	कई	अनेक
११८	५	भी सभापति	श्री सभापति
१२५	शीर्षक	रा० अ० सा कार्य	रा० अ० स० कार्य
,,	अन्तिम से २	श्री रघुनाथविश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
१३०	१५	श्री सभा ाति	श्री सभ.पति
१४०	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
१४५ व १४६	शीर्ष	चूड़ावत)	चूंडावत)
१६६	शीर्षक	कर्मचारीं	कर्मचारी
१६७	२०	(कई	(अनेक
१७०	१४	श्री रघुनाथ विशनोई	श्री रघुनाथ बिशनोई
१७७	अन्तिम	अध्यक्ष पीठ के....निकाला)	अध्यक्ष पीठ के....निकाला गया।
१७९	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१८२	१२	(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)	(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)
१८८	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
१९५	,,	राज्य की खाद्य-१० अगस्त, ६४–स्थिति पर विचार	रा० अ० स० कार्य–१० अगस्त, ६४-राज्य की खाद्य स्थिति
१९७	शीर्ष	(नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
२०९	३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२१७	शीर्ष	—	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	११	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोसिंह
२१८	११	श्री सतीशच	श्री सतीशचन्द्र
,,	अन्तिम से २	(दिनांक	दिनांक

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।